श्रम की दुनिया

आइएल्ओ की पत्रिका

अंतरराष्ट्रीय
श्रम
कार्यालय
जेनेवा

बाल श्रम

का अन्त
लाखों आवाज़ें, एक विश्वास

अंक 32, अप्रैल 2008

इस अंक में

बाल श्रम रहित भावी फसलें • खदानों में बाल श्रम • नयी यात्रा का आरम्भ • बाल श्रम से शिक्षा तथा प्रशिक्षण की ओर- भारत बाल श्रम के विरुद्ध • सामाजिक समावेश की सेवा में नयी तकनॉलजी • वैश्वीकरण के प्रति श्रमिक संघों का रवैया • फ़ोटो रिपोर्ट : श्रमशील चीन

आइएल्ओ भाासी निकाय का वर्श 1919 का सत्र

© ILO PHOTO

वॉ िंगटन की नेवी बिल्डिंग, जहां 27 नवंबर 1919 को आइएल्ओ भाासी निकाय की प्रथम बैठक हुई

भाासी निकाय के प्रथम अध्यक्ष आर्थर फ़ॉन्तेन

गत वर्श 27 नवंबर को आइएल्ओ भाासी निकाय की स्थापना के 300 वर्श पूरे हुए। भाासी निकाय की प्रथम बैठक 1919 में कैसी हुई होगी? अमरीका के राश्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट ने द्वितीय वि व युद्ध के मध्य में नवंबर 1941 में अंतरराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन को अपने संबोधन में उस दिन को याद करते हुए कहा था –

'यह स्पश्ट है कि कोई ज़रूरी इंतज़ाम करना भूल गया था। मुझे नेवी बिल्डिंग में ऑफ़िस के लिए जगह ढूंढ़नी पड़ी, आव यक सामान और टाइपराइटर भी.. .

' उन दिनों आइएल्ओ एक सपना ही था। बहुतों के लिए एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। किसने सुना था कि श्रम के मानकों को अंतरराश्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करने के वास्ते सरकारें एकसाथ एक जगह एकत्र होंगी। और यह विचार तो बिल्कुल ही हास्यास्पद था कि वे लोग जो सीधे प्रभावित हैं – विभिन्न दे ाों के श्रमिक तथा नियोक्ता सरकारों के साथ मिलकर ये श्रम मानक तय करें। अब 22 वर्श बीत चुके हैं। आइएल्ओ कड़े परीक्षण से गुज़र चुका है।

प्रथम बैठक का महत्वपूर्ण कार्य था अंतरराश्ट्रीय श्रम कार्यालय का प्रथम निदे ाक चुनना। यह सोचा गया था कि निदे ाक या तो आर्थर फ़ान्तेन बनें या हैरल्ड बर बनेंगे। एडवर्ड फ़ेलन का वृत्तान्त –

'बैठक बड़े भाान्त, साधारण तरीक़े से आरम्भ हुई, हालांकि जल्द ही यह एक नाटकीय रूप लेने वाली थी। भाासी निकाय के केवल 21 सदस्य ही भाामिल थे, क्योंकि सहायकों या प्रतिनिधियों के लिए अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी थी, लेकिन सम्मेलन के लगभग सभी वि िश्ट व्यक्ति इसमें भाामिल थे – फ़ॉन्तेन, निस्पृह–से, दाढ़ी वाले गरिमामय, नम्र और कुछ थके–थके ऋशि जैसे; दलवीन्य चुस्त और चौकन्ने मायोर द प्लां ा, फ़ॉन्तेन से भी अधिक नम्र, पुराने ज़माने की दरबारी भाालीनता सहित; कार्लिए, अपनी लंबी, चौकोर कटी सफ़ेद दाढ़ी में भााही नज़र आने वाले; झूओ अपनी कड़कती आवाज़ के साथ अपनी तीक्ष्ण राजनीतिक चतुराई का आभास देने वाले. ..'।

यह सुझाव दिया गया कि अगली बैठक तक एक अस्थायी निदे ाक अव य नियुक्त किया जाये। झूओ एकदम खड़े हो गये और अपनी कड़कती, दृढ़ और तनिक धमकी देती आवाज़ में उन्होंने कहा कि सब कुछ बहुत धीमा चल रहा था। क्या श्रमिकों से किये गये वादे पूरे नहीं किये जायेंगे?... एक अस्थायी निदे ाक?... भाासी निकाय को अपना कर्तव्य निभाते हुए तुरंत एक नि चित स्थायी नियुक्ति करने दी जाये।'

स्थगन के बाद यह समझौता हुआ कि भाासी निकाय को तुरंत एक अध्यक्ष तथा निदे ाक चुनना चाहिए। जब आर्थर फ़ॉन्तेन को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो उनका नाम संभावित निदे ाकों की सूची से अपने आप हट गया। उनकी अध्यक्षता दस वर्शों तक रही, और उन्होंने अपना कार्यकाल सर्वोच्च योग्यता तथा वि िश्टता से पूरा किया।

'जब झूओ ने मांग की कि अब स्थायी निदे ाक नियुक्त किया जाये, तो दलवीन्य ने कार्रवाई रोकने का एक और प्रयास किया : यह एक ऐसा मामला है जिस पर भाासी निकाय को अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लेना है; उनके सामने कोई नाम भी नहीं है।

'यदि आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, हमारे पास है,' श्री गेरैं ने आवेगपूर्वक टोका और माहौल तुरंत गरमा गया।

और इस प्रकार ऐल्बर्ट टॉमस पहली बार अंतरराश्ट्रीय श्रम संगठन में नज़र आये। इससे पूर्व भाायद ही किसी महान व्यक्ति ने एक ऐसे मंच पर जो भविश्य में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था इतना अप्रत्या ित और नाटकीय प्रवे ा नहीं

आइएल्ओ की पत्रिका
श्रम की दुनिया

श्रम की दुनिया पत्रिका का प्रकाशन जेनेवा में आइएल्ओ के जन संपर्क ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इस पत्रिका का प्रकाशन चीनी, चेक, डैनिश, अंग्रेज़ी, फिन्निश, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, जापानी, नार्वेजियन, रूसी, स्लोवाक, स्पैनिश और स्वीडिश भाषाओं में भी होता है।

संपादक
मे हॉफ़मैन अयरमार्क
प्रोडक्शन मैनेजर
किरन मेहरा कर्पल्मन
प्रोडक्शन असिस्टंट
कोरीन, लुचिनी
फ़ोटो संपादक
मार्सेल क्रोज़े
कला निर्देशन
एम्डीपी, आइएल्ओ, तूरिन
कवर डिज़ाइन
गिल बटन
संपादकीय बोर्ड
टामस नेट्टर (अध्यक्ष), चालॉत बोशां, लॉरेन, एल्सेसर, मे हॉफ़्मन अयरमार्क, किरन मेहरा कर्पलमन, कोरिन पर्थ्वस, हैन्स फ़ॉन रोलैंड।

यह पत्रिका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं है। पत्रिका में व्यक्त विचार आवश्यक रूप से आइएल.ओ. के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं। पत्रिका में अभिव्यक्त विशिष्ट उल्लेख किसी भी देश, क्षेत्र या उपक्षेत्र और उनके प्रशासन या उनकी सीमाओं के बारे में आइएल्ओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं।

पत्रिका में कंपनियों या वाणिज्यिक उत्पादों या प्रक्रियाओं का उल्लेख आई.एल.ओ. द्वारा उन्हें मान्यता देना नहीं है और किसी निश्चित कंपनी, वाणिज्यिक उत्पाद या प्रक्रिया का उल्लेख रह जाना उनके प्रति आइएल्ओ की असहमति नहीं है।

पत्रिका के आलेखों या छायाचित्रों का स्वतंत्रता से स्रोत का उल्लेख करके पुनःउपयोग किया जा सकता है। लिखित सूचना का स्वागत होगा।

सभी पत्र व्यवहार निम्न पते पर किये जाएं:–

Neelam Agnihotri
Communications & Information Unit
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
Subregional Office for South Asia
Theatre Court, 3rd Floor,
India Habitat Centre
Lodi Road, New Delhi-110003
Tel: 011-24602101-02-03
email: sro-delhi@ilodel.org

मुद्रक: वीबा प्रेस प्रा0 लि0,
नई दिल्ली–110 020
आइएसएसएन : 1020.0010

बाल श्रम का अन्त : लाखों आवाज़ें, एक विश्वास

एक द ाक से भी कम समय में, आइएल्ओ ने एक असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वर्श 1999 में बाल श्रम की बदतरीन क़िस्मों पर समझौते के बाद, वि व एक ऐसी उपलब्धि के कगार पर खड़ा है जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था – बाल श्रम के निकृश्टतम रूपों का उन्मूलन। वि ोश लेखों की एक श्रृंखला में 'श्रम की दुनिया' उन प्रक्रियाओं तथा उस प्रगति की समीक्षा करती है जो अभी बाकी हैं।

© M. Crozet/ILO

पृश्ठ 4

आवरण कथा

बाल श्रम का अन्त : लाखों आवाज़ें, एक वि वास 4

सामान्य आलेख

बाल श्रम रहित भावी फ़सलें 10

नन्हे कंधों पर अत्यधिक भार : खनन व खदान में बाल श्रम 14

नयी यात्रा का आरम्भ : बाल श्रम से ि क्षा तथा प्र ि क्षण की ओर 18

सिम्पॉक : संख्याओं से जूझना 21

बाल श्रम के ख़िलाफ़ भारत 22

स्यारिस : सामाजिक अंतर्वे ान की सेवा में नयी तकनीक 25

तूरिन प्र ि क्षण कार्यक्रम कैलेन्डर

श्रम ील चीन : वै वीकरण तथा उत्कृश्ट कार्य की चुनौती का सामना करते हुए *(फ़ोटो रिपोर्ट)* 29

फ़ीचर पुस्तक

वै वीकरण के प्रति श्रमिक संघों की प्रतिक्रिया 35

फ़ीचर

प्लैनेट वर्क 38
- बाल श्रम का सामना करता वि व

समाचार 40
- आइएल्ओ भ्ाासी निकाय का 300वां सत्र
- न्यायोचित वै वीकरण हेतु उत्कृश्ट श्रम पर लिस्बन फ़ोरम
- नयी आइएल्ओ रिपोर्ट : श्रम की दुनिया में मातृ मौतों को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है
- अन्तरराश्ट्रीय विकलांग दिवस 2007
- वै ि वक श्रम उत्पादन प्रणालियों के श्रम तथा सामाजिक पहलू
- इक्कीसवीं सदी में संघीय ि क्षा
- अग्रणी कार्य को मिला मैनपावर इन्स्टीट्यूट का 2007 मानव संसाधन पुरस्कार
- युवा रोज़गार पर स्रोत निर्दे ि का

महाद्वीपों के इर्द–गिर्द 47

नये प्रका ान 50

1919 में गठित, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएल्ओ) अपने 175 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच पर लाता है ताकि विश्व भर में जीवन और कार्य की परिस्थितियों तथा संरक्षण में सुधार के लिए एक समान कार्रवाई की जा सके। जेनेवा में स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, संगठन का स्थाई सचिवालय है।

बाल श्रम का अंत
लाखों आवाज़ें, एक

© M. Crozet/ILO

पिछले दषक में, विश्वभर में बाल श्रम के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुहिम छिड़ी, वह बेमिसाल थी। आइएल्ओ के अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आइपेक – इंटरनैशनल प्रोग्रैम ऑन दि इलिमिनिशेन ऑव चाइल्ड लेबर) के 15वें वर्ष में 'श्रम की दुनिया' उसकी उपलब्धियों को भावी कार्यक्रम के तौर पर देख रही है। आइपेक के वरिष्ठ बाल श्रम विशेषज्ञ ऐलेक फ़ाइफ़ ने इस लेख में अपना योगदान दिया है।

जेनेवा – सैकड़ों बच्चे बाल श्रम के ख़िलाफ़ वै ि वक मार्च के दौरान 100 से भी अधिक दे ाों की कठिन यात्रा के बाद जब 2 जून, 1998 को आयोजित हुए अंतरराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन के मंच पर चढ़े तो भाायद उस वक़्त उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि एक द ाक से भी कम समय में वि वभर में उनकी आवाज़ सुनी जाने लगेगी।

आइएल्ओ के 181 सदस्य राश्ट्रों में से 90 प्रति ात से भी अधिक दे ाों ने दस वर्श से भी कम समय में बाल श्रम के बद्तरीन क़िस्मों के ख़िलाफ समझौता संख्या 182 का अनुसमर्थन कर दिया – आइएल्ओ के 88 वर्श के इतिहास में सबसे भीघ्र अनुसमर्थन था। आज अंतरराश्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम आइएल्ओ का सबसे वि ाालकाय तकनीकी सहयोग कार्यक्रम है, जो 88 दे ाों में कार्य कर रहा है, जिनमें से 55 में 6 करोड़ अमरीकी डॉलर खर्चे पर 100 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें 450 कर्मचारी संलग्न हैं और उनमें से 90 प्रति ात कार्यक्षेत्र में ही लगे हैं।

आइपेक की निर्दे िका तथा समझौता 182 के निर्माण में महती भूमिका निभाने वाली मि ोल यान्कानि ा कहती हैं, 'इन बच्चों की आवाज़ उस पूरी परिचर्चा के दौरान प्रतिध्वनित हुई जो 1998 में आरम्भ हुई और जिसकी परिणति 1999 में समझौता संख्या 182 में हुई। इन बच्चों ने एक मिसाल कायम करते हुए सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से खुलकर बातचीत की, और उन्हें प्रेरित किया कि वे ऐसा मानक स्थापित करें जो न केवल उनका बल्कि उन जैसे लाखों बच्चों का जीवन बदल डाले।'

'हमें कश्ट पहुंचाया जा रहा है और आप हमारी मदद कर सकते हैं' यही उनका संदे ा था। 'श्रम की दुनिया' के इस वि ोश अंक के लिए साक्षात्कार में सुश्री यान्कानि ा ने कहा, 'इन सब से हमें यह महसूस होता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं और हमें क्या करना है।'

उस दिन हज़ारों त्रिपक्षीय प्रतिनिधियों ने मार्च में भाग लेने वालों की जयजयकार की थी और उसकी गूंज बरसों बाद भी सुनाई दे रही है। वि व भर की सरकारें, श्रमिक, नियोक्ता बाल श्रम के निकृश्ट रूपों के विरुद्ध संघर्श के लिए एकजुट हो रहे हैं। वै वक मार्च के संयोजक कैला ा सत्यार्थी ने कहा है कि इस प्रकार का बाल श्रम मानवता के मुंह पर धब्बा है जिसे हटाना ज़रूरी है।

1999 के बाद –

- आइएल्ओ के 160 से भी अधिक सदस्य राश्ट्रों ने समझौता 182 का अनुसमर्थन कर दिया है।
- वि वभर में बाल श्रम के ख़िलाफ़ एक वि वव्यापी आंदोलन उभरा है, और एक बेमिसाल आम सहमति बनी है कि ऐसा भूमंडलीयकरण नहीं होना चाहिए जिसमें अमीर दे ाों की दूकानों पर बिकने के लिए बच्चे सस्ता माल तैयार करें।
- लगभग सारे वि व में यह तथ्य स्वीकार किया जा रहा है कि बाल श्रम की मौजूदगी – वि ोशकर सबसे घृणित प्रथा – आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि बहुमूल्य मानव संसाधनों की बर्बादी है तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजीज़–मिलेनियम डिवेलपमेंट गोल्स) को हासिल करने में एक बड़ी रुकावट है।
- विभिन्न 23 दे ाों में बाल श्रम के निकृश्टतम रूपों के उन्मूलन हेतु 'समय–सीमा बद्ध कार्यक्रम' आरम्भ किया गया है, जिसका लक्ष्य है वर्श 2016 तक इस प्रकार के बाल श्रम का अंत।

लाखों आवाज़ें, एक मकसद

आखिर इस असाधारण आंदोलन ने कैसे जन्म लिया? बीस वर्श पूर्व यह प्रगति अकल्पनीय थी। 1980 के अन्त तक, आइएल्ओ के पास बाल श्रम से निबटने के लिए केवल एक ही समर्पित अधिकारी था तथा एक फ़ील्ड परियोजना थी। वर्श 1979 में अंतरराश्ट्रीय बाल वर्श (आइवाइसी–दी इंटरनै ानल यिअर ऑव द चाइल्ड) ने बाल श्रम समस्या में रुचि लेनी आरम्भ की, बाल अधिकार समझौता (1989) ने एक अंतरराश्ट्रीय बहस–मुबाहसे में एक नया दृश्टिकोण जोड़ा और बीसवीं सदी के अन्तिम द ाक में इस नयी धारा ने ज़ोर पकड़ लिया। नेदरलैंड्स, कार्टाजीना तथा नॉर्वे में 1997 में आयोजित सम्मेलनों में सरकारी श्रमिक, नियोक्ता तथा नागरिक समाज नेताओं ने बाल श्रम के ख़ात्मे की ज़ोरदार वकालत की तथा अन्य संयुक्त राश्ट्र संस्थाओं, युनिसेफ़ तथा वि व बैंक ने भी पूरा साथ दिया।

ये आवाज़ें तथा अंतरराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन में 1998 में उठे बच्चों के स्वर – वि व भर में सुने जाने लगे। दस लाख से भी अधिक बाल श्रमिक या तो उनके परिवारों, उनकी सरकारों, या श्रमिक संघों तथा नियोक्ताओं के बीच समझौते द्वारा आज़ाद कराये गये और उन्होंने अपना नया जीवन स्कूल जाने से आरम्भ किया।

लेकिन वर्श 2006 में प्रका ित आइएल्ओ अनुमानों के अनुसार आंकड़े हुए, 5–17 वर्श के 20 करोड़ बाल श्रमिक अभी भी काम कर रहे हैं। सबसे अधिक, अनुमानतः 12 करोड़ 60 लाख, बाल श्रमिक जोख़िम भरे कार्यों में लगे हुए हैं। अधिकां ा कामगार बच्चे (69 प्रति ात) कृशि से जुड़े हुए हैं, जबकि उद्योगों में केवल 9 प्रति ात कामगार बच्चे हैं। ए िाया–पसिफ़िक क्षेत्र में बाल श्रमिक सबसे अधिक संख्या में हैं – 12 करोड़ 20 लाख उप सहारा क्षेत्र में, 4 करोड़ 93 लाख तथा लातीनी अमरीका तथा कैरिब्बियन में 57 लाख बाल श्रमिक हैं।

तथापि, आइएल्ओ ने पहली बार एक सकारात्मक प्रवृत्ति का ज़िक्र किया है। उसके अनुसार वर्श 2000 की तुलना में वर्श 2004 में 5–14 वर्श की आयु के 2 करोड़ बाल श्रमिक थे, ख़ासकर जोखिम भरे कार्यों में। सबसे अधिक लातिनी अमेरिका तथा कैरिब्बियन में देखी गयी है। हालांकि अभी भी भारी संख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, ऐसे में ये ख़बरें उत्साहजनक हैं।

विचार एवं कार्य का संगम

निःसंदेह पिछले द ाक में बाल श्रम के ख़िलाफ़ वि वव्यापी आंदोलन के तहत विचार तथा कार्य का बेमिसाल संगम देखने को मिला है। नयी सहस्राब्दि में ग़रीबी से संघर्श तथा सार्वभौमिक मानव अधिकारों को प्रोत्साहन में बाल श्रम उन्मूलन की भूमिका पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित हो रहा है।

बाल श्रम के निकृश्टतम रूपों के विरुद्ध समझौता संख्या 182 ने इस समस्या को केंद्रबिंदु बनाकर उस पर नीतिगत कार्रवाई सुसाध्य की है। इस समझौते ने आइएल्ओ का पूर्ववर्ती आधुनिक न्यूनतम आयु समझौता संख्या 138 (1973) अपने साथ लिया है। वर्श 1999 के बाद बाल श्रम पर आइएल्ओ के दोनों मौलिक समझौतों का अनुसमर्थन साथ–साथ हुआ है, और कुछ ही वर्शों में समझौता संख्या 182 वरिश्ठ समझौते (संख्या 138) से कहीं आगे निकल गया है।

आज, इस उभरती वै वक आम सहमति के तहत ज़रूरत है कि –

- अतिसंवेदन ाील बच्चों, ख़ासकर लड़कियों पर ध्यान दिया जाये;
- निर्धनता को बाल श्रम का एक महत्वपूर्ण कारक न कि काम न करने का बहाना समझा जाये;
- बाल श्रम को वै वक विकास तथा मानव अधिकारों – वि ोशकर 'सभी के लिए ि ाक्षा' – के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये;
- अफ़्रीका में विकास को मुख्य चुनौती के रूप में लिया जाये।

इस आम सहमति के फलस्वरूप हर स्तर पर कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी कार्य ाला भी उन्नत हो रही है। इसके अलावा दाता समुदाय ने अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराये हैं, ख़ासतौर पर आइएल्ओ के लिए। आइपेक द्वारा आइएल्ओ ने अभूतपूर्व संसाधन एकत्र किये हैं तथा बाल श्रम से निबटने में अपने घटकों के समर्थन हेतु तकनीकी

© M. Crozet/ILO

© G. Cabrera/ILO

>>

उपकरण विकसित किये हैं।

तथापि अभी कई चुनौतियां समाने हैं। वि वव्यापी आंदोलन आज बिखरा और खंडित है, जिससे काम के दुहराये जाने तथा परस्पर विरोधी उद्दे यों की आ ांका है। हालांकि बाल श्रम के ख़िलाफ़ वि ाल संख्या में रोश प्रकट किया जाता है, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि नब्बे के द ाक में जो वै वक संवेग सामने आया वह क्षीण हो रहा है। ओस्लो सम्मेलन के दस वर्श बाद समय आ गया है जब सारी स्थिति का जायज़ा लिया जाये तथा एक नीवीनीकृत भूमंडलीय रणनीति तथा अधिक समाकलित अंतरराश्ट्रीय प्रयास पर पुनः ध्यान केन्द्रित किया जाये।

आगे के क़दम

कई ऐसी पहलें की गयी हैं, जिनसे अधिक अंतरसंस्थीय सहयोग संभव हो सकेगा। वर्श 2000 में आरम्भ की गयी बाल श्रम संबंधी समझ (यूसीडब्ल्यू–अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन्स वर्क) परियोजना का जिसमें आइएल्ओ यूनिसेफ़ तथा वि व बैंक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिसने अंतरसंस्थीय सहयोग तथा डेटा संग्रहण में साझा दृश्टिकोण विकसित करने का मार्ग प्र ास्त किया। इसके फलस्वरूप बाल श्रम तथा सर्वे ाक्षा अभियान पर वै वक कार्य बल (जीटीएफ़ – ग्लोबल टास्क फ़ोर्स) ने वर्श 2005 से आइएल्ओ, युनेस्को, वि व बैंक, यूएनडीपी, अंतरराश्ट्रीय ि ाक्षा, 'वै वक मार्च' तथा प्र ासनिक प्रतिनिधियों को एकत्रित किया ताकि इन जुड़वां लक्ष्यों में अधिक सामंजस्य प्रोत्साहित किया जा सके। इस उभरते प्रारूप को अन्य क्षेत्रों – जैसे कृशि तथा स्वास्थ्य – में अपनाने के लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं।

इस वि वव्यापी आंदोलन की सफलता के लिए नियोक्ता तथा श्रमिक संगठन अपरिहार्य हैं। आइएल्ओ के घटक संगठन स्थानीय मुद्दों को भूमंडलीय समस्याओं के साथ जोड़ सकते हैं तथा वि व से जुड़े जन संगठन दबाव समूहों के तौर पर सरकारों को कायल कर सकते हैं कि वे अंतरराश्ट्रीय क़ानून के तहत अपने उत्तरदायित्व निभाएं (पृश्ठ 7 पर बॉक्स देखें)।

तथापि नियोक्ता तथा श्रमिक संगठनों को इस वि वव्यापी आंदोलन के हिस्से के तौर पर अपनी पूरी क्षमता विकसित करने में कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक मुख्य चुनौती है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जहां बाल श्रमिक सबसे अधिक पाये जाते हैं, में प्रवे ा पाना।

सामाजिक सहभागियों को अभी बहुत काम करना है, सुसंगत योजनाएं बनानी तथा लागू करनी हैं ताकि अन्य कार्यकर्ताओं, जैसे ग़ैर–सरकारी संगठनों, के साथ कार्य के दुहराये जाने से बचा जा सके। समान सोच वाले नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन नियोक्ता तथा श्रमिक संगठनों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।

आने वाले वर्शों में चुनौती होगी आम दृश्टि, लक्ष्यों तथा रणनीतियों के साथ वि वव्यापी आंदोलन के संवेग को पुनर्जीवित करना। आम सहमति की ओर ले जा रहे उपरोक्त घटनाचक्र एक ढांचा प्रदान करते हैं और एक आ ा जागृत करते हैं कि इस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक किया जायेगा। लेकिन यह सफलता 'चल रहा है' की मानसिकता के साथ हासिल नहीं हो सकती– वि ोशकर जब आइएल्ओ ने वर्श 2016 तक बाल श्रम के सभी निकृश्टतम रूपों के उन्मूलन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ज़रूरत होगी द्रुतगामी प्रगति की।

सुश्री यान्कानि ा कहती हैं, 'वर्श 1998 में मार्च में भाग लेने वालों ने बहुत सी उम्मीदें जगायी थीं। उसके बाद बहुत कुछ हुआ लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने प्रयास दुगुने कर दें। अंतिम दस प्रति ात – बाल श्रम के उन्मूलन के लिए आइएल्ओ का हमारा खुद का मार्च/प्रयास निःसंदेह कठिन हिस्सा होगा।'

© G. Cabrera/ILO

© M. Crozet/ILO

अतिरिक्त पाठ्य सामग्री

फ़ाइफ़ ए 2007 बाल श्रम के ख़िलाफ़ वि वव्यापी आंदोलन : प्रगति तथा भावी दि ाएं (द वर्ल्डवाइड मूवमेंट अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर : प्रोग्रेस ऐंड फ़्यूचर डिरेक न्ज़) (जेनेवा, आइएल्ओ)।

आइएल्ओ, 2006। बाल श्रम का ख़ात्मा : पहुंच से बाहर नहीं। (दि एन्ड ऑफ़ चाइल्ड लेबर : विदिन रीच) मौलिक सिद्धांतों तथा कार्यस्थल पर अधिकारों पर आइएल्ओ घोशणा की अनुवर्ती वै वक रिपोर्ट (जेन. वा, आइएल्ओ)।

नियोक्ता, श्रमिक तथा बाल श्रम

'आइएल्ओ के त्रिपक्षीय घटक बाल श्रम के प्रति जागरूकता बनाये रखने, उसे अजेन्डा में भाामिल रखने, और उसके राष्ट्रीय तथा वैि वक उन्मूलन हेतु गुटों के निर्माण में स्वाभाविक नेता हैं।'

– आइएल्ओ महा–निदे ाक हुआन सोमाविया 9 जून, 2006, को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में बोलते हुए

निर्णायक भूमिका

आइएल्ओ के संस्थापन के बाद से नियोक्ता तथा श्रमिक संगठनों ने मौलिक सिद्धांतों – जिनमें बाल श्रम से संबंधित सिद्धांत भी भाामिल हैं – को प्रोत्साह देने में ऐतिहासिक तथा अग्रणी भूमिका निभायी है। नियोक्ता बाल श्रम से निबटने के प्रयासों में गंभीर भूमिका अदा कर रहे हैं। नियोक्ता संगठन बाल श्रम के विरुद्ध राष्ट्रीय तथा वैि वक संघर्श में निरंतर निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। और ये संगठन एक ओर यह सुनिि चत करने में मदद कर सकते हैं कि उनके उद्यमी सदस्य दूसरी ओर राष्ट्रीय नियोक्ता संगठनों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इस तरह के श्रम के आंकड़ों को एकत्र करने में मदद करने तथा बाल श्रम के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय नीतियों के समुचित विकास को प्रभावित करने का सामर्थ्य भी है। अंततः, वे कामगार बच्चों के लिए व्यावसायिक कौ ाल तथा प्रि ाक्षण जैसी प्रासंगिक प्रक्रियाओं के निर्माण तथा बाल श्रम के हानिकारक प्रभाव व बाल अधिकारों के प्रति जनजागरण में भी श्रमिक संगठनों के स्वाभाविक सहभागी बन सकते हैं।

'...वि वभर के कुल बाल मज़दूरों में से 70 प्रति ात से भी अधिक कृशि तथा खनन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस कारण अब बाल श्रम के ख़िलाफ़ संघर्श में इन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंन्द्रित करना होगा।'

– श्री अ ारफ़ डब्ल्यू तबानी, नियोक्ता, पाकिस्तान, 9 जून, 2006, को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में नियोक्ता समूह की ओर से बोलते हुए

'...यह अंतरराष्ट्रीय त्रिपक्षीय समुदाय तथा उसके सामाजिक सहभागियों द्वारा अभी तक की गयी कार्रवाइयों में सबसे अधिक प्रगाढ़, निर्णायक, एवं केन्द्रित श्रृंखला है।'

– श्री जे.डब्ल्यू.बी. बोथा, नियोक्ता प्रतिनिधि, दक्षिण अफ़्रीका; बाल श्रम समिति के नियोक्ता उपाध्यक्ष, 1999 में बाल श्रम के निकृश्टतम रूपों पर समझौता (संख्या 182) के अपनाये जाने पर अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में बोलते हुए

© M. Crozet/ILO

वादे निभाना

'समझौता 182 आइएल्ओ की त्रिपक्षीयता तथा अध्यादे ा का एक अत्युत्तम उत्पाद है। यह सही है कि हमें निरंतर इस बात की पुश्टि करनी पड़ती है कि यह समझौता न्यूनतम आयु पर समझौता 138 का पूरक है, उसका स्थान नहीं लेता। इस निरंतर पुनःपुश्टि के कारण ही समझौता 138 की अनुसमर्थन दर बढ़ी है। सर्वांगीय पहुंच से एक आम सहमति बन रही है कि ये दोनों समझौते, जो विभिन्न रूप से सर्वव्यापी बुनियादी ि ाक्षा से जुड़े हैं, उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं, जो उत्कृश्ट श्रम के आधार हैं।

श्रमिकों के प्रवक्ता सर लरॉए ट्रॉटमन, 1998/1999 में श्रमिकों के प्रवक्ता और अब श्रमिक समूह के अध्यक्ष, ने कहा था, 'यह सोचकर कि समझौता अपना लिया गया है और उनका काम ख़त्म हो गया है, श्रमिक संघों को बैठ नहीं जाना है – सब को अभी और ज़िम्मेदारियां निभानी हैं। वास्तव में वैि वक श्रमिक संगठन अच्छी तरह समझते हैं कि हमें समझौतों के कार्यान्वयन के लिए आन्दोलन चलाना है और वह करें जो केवल हम कर सकते हैं : उन क्षेत्रों में बेहतर ढंग से संगठित हों जहां बाल श्रम मौजूद हो।'

'आइपेक निदे ाका मि ोल यान्कानि ा तथा हाल ही में लगभग द ाक पुराने अपने सहयोग को याद कर रहे थे : समझौता 182 के विकास के चरण में; हमारा उसके अनुसमर्थन तथा कार्यान्वयन के लिए प्रयास; बाल श्रम के खिलाफ़ वैि वक मार्च – वि व का सबसे बड़ा श्रमिक संघ/एनजीओ गुट, जिसने 1998 में जेनेवा में सैकड़ों बच्चों के साथ मार्च किया, जो बाल श्रम के निकृश्टतम रूपों के उन्मूलन को पूर्ण वरीयता देने की मांग कर रहे थे। टिम नूनन (आइसीएफ़टीयू), रॉस नूनन (एड्यूके ानइंटरनै ानल) तथा मैंने समझौता प्रारूप निर्माण समिति में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया था। आज मैं वैि वक मार्च परिशद् में आइपेक प्रवक्ता तथा आइटीयूसी प्रतिनिधि हूं। मि ोल और मैं सहमत हैं : हमारे कामगार जीवन में हमारी कोई भी उपलब्धि समझौता 182 का मुक़ाबला नहीं कर सकती – निःसंदेह बहुत से आइएल्ओ अधिकारियों की भावनाएं ऐसी ही हैं।'

'हमें जो भी उपलब्धि हुई, उस पर हमें गर्व है, परन्तु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अभी और आगे जाना है। और लक्ष्य है : हर बच्चा स्कूल में तथा हर वयस्क उत्कृश्ट कार्य में। यूएन् में सुधार का प्रयास करते हुए हमें याद है कि जो भी उपलब्धियां हुई हैं वे त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद का परिणाम हैं। और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए : वि व के बच्चों की हमसे अपेक्षा है कि हम अपने वादे निभायेंगे।'

– श्री साइमन स्टेन, आइएल्ओ भाासी निकाय श्रमिक समूह के प्रवक्ता, आइपेक अंतरराष्ट्रीय परिचालन समिति; आइटीयूसी प्रतिनिधि, बाल श्रम के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय वैि वक मार्च परिशद; वरिश्ठ अंतरराष्ट्रीय अधिकारी, श्रमिक

जेनेवा : आइएल्ओ अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाने की ओर अग्रसर है, और बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों पर समझौता 182 को अपनाये जाने की अपनी 10वीं। बाल श्रम आइएल्ओ का हमेशा से ही एक प्राथमिक मुद्दा रहा है, लेकिन केवल पिछले 15 वर्षों में ही यह संगठन के सबसे विशाल तथा सफल अभियानों में शामिल हुआ है। 'श्रम की दुनिया' ने, आइपेक निदेशिका मिशेल यान्कानिश, जो समझौता संख्या 182 के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वालों में से एक हैं, आइपेक की भावी योजनाओं के बारे में पूछा–

हम कहते हैं कि हम एक द ाक के भीतर बाल श्रम के बद्तरीन किस्मों का ख़ात्मा कर देंगे। यह अपेक्षा कितनी यथार्थवादी है?

मिशेल यान्कानिश : पहली बात, यह एक नैतिक आदे ा है कि हम जितनी तेज़ चल सकते हैं चलें। यदि आप सोचें तो उन लाखों बच्चे, जिनका जीवन जोखिम में है और जो ि ाक्षा से वंचित किये जा रहे हैं जिससे उनके तथा उनके परिवार के लिए उत्कृश्ट जीवन उपलब्ध हो सकता है वर्श 2016 तक इंतज़ार असहनीय लगता है।

जब अंतरराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने 1999 में समझौता संख्या 182 को अपनाया, तो उसने कहा कि बाल श्रम के निकृश्टतम रूपों द्वारा बच्चों का भोशण असहनीय है। इस भोशण का अन्त करने के लिए तत्काल क़दम उठाये जाने चाहिए। एक लक्ष्य सामने रखने से इस वचनबद्धता की तत्कालीनता पर ध्यान केन्द्रित रहता है।

'यथार्थवाद' निःसंदेह तुलनात्मक है। अति–महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव सिद्ध हई है जब एकचित्त होकर दृढ़नि चय से प्रयास किया गया है। दूसरी ओर मामूली से मामूली मक़सद भी अयथार्थवादी हो सकते हैं यदि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। बहुधा सारा मामला इस बात पर निर्भर करता है कि उद्दे य के पीछे कितनी राजनीतिक भाक्ति लगायी जा सकती है – अर्थात् कितनी ि द्दत से कोि ा ा की जा रही है।

इसके अलावा, वर्श 2006 में वैि वक रिपोर्ट में हमने जो प्रवृत्ति पहचानी है, वह 2016 के लक्ष्य के प्रति आ ाा द ार्ती है। काफ़ी कुछ होना अव य अभी बाकी है, और कुछ जगहों की अपेक्षा कुछ में यह अधिक कठिन भी है। उप–सहारा अफ्रीका पर अधिक ध्यान है : वहां प्रगति काफ़ी धीमी है, एच्आइवी तथा एड्स ि ाकंजा कस रहे हैं, और कई दे ा समस्त संघर्श के नतीजे भुगत रहे हैं।

लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए हमें यह भरोसा भी होता है कि आव यक जानकारी तथा उपकरण बहुधा मौजूद होते हैं। जहां तक आव यक संसाधनों का प्र न है, आइएल्ओ अध्ययन द ार्ते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन एक ऐसा निवे ा है जिसमें लागत पर सात गुना लाभ होगा। अधिकां ा लागत ि ाक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में होगी, जिसके लिए अंतरराश्ट्रीय समूदाय ने वर्श 2000 में डाकार में वि व ि ाक्षा फ़ोरम में भापथ ली थी। अतिरिक्त संसाधन जो बाल श्रम के समस्त वर्श 2016 तक अन्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आव यक है, तुलना में मामूली होंगे तथा समझौता संख्या 182 का अनुच्छेद 8 कहता है कि अनुसमर्थन करने वाले दे ा एक–दूसरे की सहायता करेंगे। विलम्ब होने का कोई ठोस कारण नज़र नहीं आता, चाहे ऐसा कारण पहले कभी रहा हो। काम हो सकता है, तो आइए हम काम करें।

समझौता 182 के सर्वव्यापी अनुमोदन के लिए क्या ज़रूरी है? आइएल्ओ के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, इस मुद्दे पर अंतरराश्ट्रीय दृश्टिकोण के बारे में यह क्या कहता है?

मि ोल यान्कानि ा : ओस्लो ने इस मुद्दे पर अंतरराश्ट्रीय ध्यान तथा वचनबद्धता को आकर्शित किया और इसके तुरन्त बाद बाल श्रम के निकृश्ट रूपों पर समझौता 182 अपनाया गया। संवेग जारी रहा, और अनुसमर्थन अभियान के फलस्वरूप एक के बाद एक दे ा ने इस समझौते का भीघ्रता से अनुसमर्थन कर दिया। हम 165 अनुसमर्थनों तक पहुंच गये हैं, लेकिन अब यात्रा का अंतिम कठिन भाग तय करना है। समझौता 182 के अपनाये जाने के बाद से आइएल्ओ ाासी निकाय बिना हिचकिचाए लगातार हमें आदे ा देता रहा है कि हम सर्वव्यापी अनुसमर्थन हेतु

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

प्रयास करें। हम आइएल्ओ संघटकों का आह्वान करते हैं कि वे सर्वव्यापी अनुसमर्थन हेतु वकालत तथा समर्थन जारी रखें।

समझौता 182 ने वि व से कहा कि वे सब दे ा जो उसका अनुसमर्थन करते हैं, उन्हें न केवल अपने बच्चों को बाल श्रम की बद्तरीन किस्मों से बचाने की फ़िक्र है, बल्कि वे चाहते हैं कि किसी भी दे ा, में, उसके विकास का स्तर चाहे जो हो, कोई भी बच्चा इस महाविपत्ति का ि ाकार न हो। इतना सब कहने के बाद दरिद्रता, बहिश्करण तथा भेदभाव और ि ाक्षा से वंचन कमी इत्यादि से साफ़ है कि केवल इच्छा ही काफ़ी नहीं है। दे ाों को सहायता की ज़रूरत है, जिससे कि समुचित नीतियों, संसाधनों तथा राजनीतिक इच्छा ाक्ति की कमी का ख़ामियाज़ा बच्चों को न भुगतना पड़े।

दरअसल अनुच्छेद 8 इस अंतरराष्ट्रीय एकात्मकता की ठोस अभिव्यक्ति है जिसमें सदस्य दे ा वि व को बाल श्रम – वि ोशकर उसके निकृश्टतम रूपों से मुक्त करने हेतु एक–दूसरे की मदद करने को वचनबद्ध हैं। यह सहायता सामाजिक तथा आर्थिक विकास, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, सर्वि ाक्षा, संसाधन जुटाने, लक्षित हस्तक्षेप तथा तकनीकी एवं क़ानूनी सहायता के रूपों में हो सकती है।

सामान्यतः हम अनुसमर्थन जैसी कई उपलब्धियों का हवाला दे सकते हैं, लेकिन क्या आपका वि वास है कि हमारे काम ने ऐसा सामाजिक दृश्टिकोण तैयार किया है तथा सांस्कृतिक बदलाव लाया है जो बाल श्रम को बीते ज़माने की बात बना दे?

मि ोल यान्कानि ा : सौभाग्यव ा हम अस्वीकृति, अपवर्तन तथा उपहास के दिनों से बहुत आगे आ गये हैं। इन दृश्टिकोणों का स्थान एक अधिक खुली और सुलझी वि वदृश्टि ने ले लिया है। अभी भी बच्चों के पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम में पिसे जाने के कुप्रभाव तथा बहुमूल्य मानव संसाधनों की बर्बादी के बारे में कहीं–कहीं अज्ञानता है – यहां तक कि कुछ अभिभावक बच्चों के लिए स्वाभाविक कार्यों जैसे काम में हाथ बंटाना, काम सीखना, वयस्क जीवन हेतु तैयारी करना – तथा ऐसी गतिविधियों में जो बच्चों को उनके बुनियादी

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

अधिकारों – जिनमें भाोशण मुक्त जीवन का अधिकार भाामिल है – से वंचित करती है अन्तर नहीं समझते।

जब हम हर वर्श बाल श्रम के ख़िलाफ़ वि व दिवस मनाते हैं, तो वि वभर के दे ाों में बाल श्रम के विरोध में बहुत से उद्गार सुनाई देते हैं जो बाल श्रम के प्रति बदलते दृश्टिकोण तथा सांस्कृतिक मापदण्डों का प्रमाण है। अपनी यात्राओं के दौरान मैं खुद इस बदलती जागरूकता को देखती हूं और लोगों को बाल श्रम के ख़िलाफ़ भावनाएं व्यक्त करते सुनती हूं। आइएल्ओ तथा अन्य एजेन्सियों तथा व्यक्तियों के प्रयासों से हर दिन बच्चों को बाल श्रम से बाहर निकालकर ि ाक्षा प्रदान की जा रही है जिसके कि वे हकदार हैं। बच्चों ने स्वयं मुझे अपने नये सपनों के बारे में बताया, जो अब उनकी पहुंच से बाहर नहीं हैं। उनकी कहानियां दिलों को छू जाने वाली हैं।

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए बन रही नीतियों तथा क़ानूनों के कार्यान्वयन में बदलते दृश्टिकोणों तथा संस्कृतियों में बदलाव की वचनबद्धता भी नज़र आ रही है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु एक पक्की नींव तैयार करने हेतु यह निर्णायक है – चाहे व्यक्ति लड़खड़ा ही क्यों न जायें।

बाल श्रम रहित

© M. Crozet/ILO

विश्व के अधिकांश कामगार बच्चे न तो कारख़ानों में हैं और न ही घरों में या न ही भाहरों की सड़कों–गलियों में फेरी लगाते हुए। सबसे अधिक बच्चे काम कर रहे हैं खेतों और बाग़ानों में। प्रायः सूरज निकलने से लेकर छिपने तक वे पौध लगाते हैं, फ़सलें काटते हैं, कीटनाशक छिड़कते हैं और पशु चराते हैं। आइपेक कार्यक्रम के पीटर हर्स्ट, कृशि में बाल श्रम को कम करने के आइपेक के प्रयास का वर्णन कर रहे हैं।

जेनेवा – कई लोग जब खेतों के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने आता है ग्रामीण परिदृ य जहां लड़के और लड़कियां अपने माता–पिता तथा दादा–दादी के साथ ताज़ी हवा में काम कर रहे हैं और काम का मूल्य समझ रहे हैं और काम से मिलने वाला संतोश महसूस कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। आज वि वभर में लाखों बच्चों का विभिन्न आकार और प्रकार के खेतों में बुरी तरह भाोशण किया जाता है, वे प्रतिकूल स्थितियों में कठिन परिश्रम करते हैं और बहुत कम पैसों पर या बिना पैसों के ही ख़तरनाक काम करते हैं। इनमें से कई बच्चे ऐसे काम करते हैं जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा यहां तक कि जान के लिए भी ख़तरनाक होते हैं और उन्हें ि ाक्षा से भी कोसों दूर रखते हैं।

जब बच्चों को लंबे घंटों तक खेतों में काम करने को मजबूर किया जाता है, तो उनके स्कूल में पढ़ने या हुनर सीखने की क्षमता बहुत कम हो जाती हैं, उन्हें ि ाक्षा नहीं मिल पाती, जो उन्हें भविश्य में ग़रीबी से निजात दिला सकती है। लड़कियों के लिए ख़ासतौर से परिस्थितियां और भी प्रतिकूल होती हैं : उन्हें खेतों के साथ–साथ घर का भी काम–काज करना पड़ता है।

किसी भी आयु में, कृशि का क्षेत्र, खदान तथा निर्माण कार्य के साथ तीन ऐसे क्षेत्रों में से एक है, जहां सबसे अधिक मौतें, दुर्घटनाएं और स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं। आइएल्ओ आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं में होने वाली सबसे अधिक मौतें कृशि क्षेत्र में होती हैं (आइएल्ओ, 2000, पृश्ठ 3), इसमें जीवन हमे ा जोखिमभरा होता है। कई स्थितियों में बच्चों को लंबे घंटों तक काम करने को मजबूर किया जाता है, और उन्हें ऐसे तेज़ धार वाले और नुकीले उपकरण काम करने के लिए दिये जाते हैं जो वयस्कों के लिए बनाये जाते हैं, अपरिपक्व भारीर पर भारी बोझा ढोते हैं और ख़तरनाक म ीनें चलाते हैं। विशैले कीटना ाकों, रोगों तथा ख़राब मौसम का जोखिम उन्हें हमे ा घेरे रहता है। वे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भी काम करते हैं और उन्हें मानसिक और भाारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। सूची बहुत लंबी है।

कृशि में सभी कार्य बच्चों के लिए बुरे नहीं हैं, या ऐसे कार्य हैं जिनका न्यूनतम आइएल्ओ आयु समझौता संख्या 138 (1973) या बाल श्रम के निकृश्टतम रूपों पर समझौता संख्या 182 (1999) के अन्तर्गत उन्मूलन किया जाता है। यहां प्र न उन कार्यों का नहीं है जो आयु के अनुरूप हैं, जिनमें जाखिम बहुत कम है और जो बच्चों को स्कूली पढ़ाई और फ़ुर्सत के उसके अधिकारों में बाधा नहीं खड़ी करते।

© M. Crozet/ILO

भावी फ़सलें

वस्तुतः बच्चों के लिए कई प्रकार के कार्य अनुभव सकारात्मक होते हैं, जो उन्हें उनकी वयस्क आयु हेतु व्यावहारिक तथा सामाजिक कौ ाल सिखाते हैं। कई बार कृशकीय क्षेत्र में कार्यरत बच्चों में बेहतर आत्मवि वास, स्वाभिमान तथा कार्य कौ ाल नज़र आता है। आइएल्ओ अंतरराश्ट्रीय कृशि संगठनों के साथ मिलकर युवाओं के लिए कृशि में उत्कृश्ट रोज़गार को प्रोत्साहन दे रहा है। (देखें बॉक्स)एक अन्य मुद्दा जिस पर ध्यान देना आव यक होगा वह है कि कैसे उन युवाओं के वास्ते जो रोज़गार के लिए आइएल्ओ समझौता संख्या 138 द्वारा तय की गयी न्यूनतम आयु के हो गये हैं बिना उनकी ि ाक्षा में विघ्न डाले कृशि में कार्य के सुरक्षित तथा रचनात्मक रास्ते तला ो जायें।

तथापि, बाल श्रम का मामला अलग ही है, और यह ध्यान में रखते हुए कि कृशि से जुड़े कई प्रकार के कार्य जोखिम भरे होते हैं, स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य कामों के बीच सीमा आसानी से बांधी जा सकती है। यह समस्या केवल विकास ाील दे ाों की ही नहीं है, बल्कि औद्योगिक दे ाों में भी पैदा हो सकती है। बच्चे चाहें अपने अभिभावकों के साथ खेतों में काम करें, या दूसरों के खेतों अथवा बाग़ानों में मज़दूरी करें या खेतीहर मज़दूर मां–बाप के साथ जगह–जगह फिरें, जिन जोखिमों का सामना उन्हें करना पड़ता है, वे उन खतरों से कहीं अधिक हानिकारक होते हैं जिनसे वयस्क जूझते हैं। क्योंकि बच्चे मानसिक तथा भाारीरिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, कार्यस्थल पर जोख़िम उनके ऊपर अधिक गंभीर तथा स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। कई बार तो वे जीवनभर के लिए अक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कीटना ाक तथा अन्य कृशकीय रसायन बच्चों के लिए वि ोश हानिकारक होते हैं। और बच्चों की अनुभवहीनता तथा अपरिपक्व निर्णयन भाक्ति दुर्घटनाओं तथा कई भाारीरिक तथा मानसिक आघातों को बुलावा देती है।

हालांकि बहुत से दे ाों में कई क्षेत्रों में बाल श्रम में कमी आयी है, कई कारण हैं, जिनसे कृशि में बाल श्रम से जूझने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। इनमें मुख्य कारण हैं बाल श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या, बच्चों का छोटी आयु में ही काम आरम्भ कर देना, काम का जोखिमभरा होना, नियम–क़ानूनों की कमी, काम का प्रत्यक्ष रूप से नज़र न आना, ि ाक्षा से वंचन, निर्धनता के प्रभाव, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की भूमिका के प्रति गहन दृश्टिकोण तथा बोध।

आइएल्ओ–आइपेक के निदे ाक मि ोल यान्कानि ा के अनुसार, 'ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की कमी, स्कूलों के निम्न स्तर के कारण ि ाक्षकों की नियुक्ति में कठिनाई, बच्चों के लिए ि ाक्षा का समुचित प्रबन्ध न होना, स्कूलों में उपस्थिति की ख़राब, घटती–बढ़ती दरें, भौक्षिक प्रद ान तथा उपलब्धियों का निम्न स्तर स्थिति को और भी विकट बना रहा है। बच्चों को स्कूल जाने और आने में बहुधा पैदल लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। जहां बच्चे स्कूली ि ाक्षा पा भी रहे हैं, वहां छुट्टियां आमतौर पर स्कूलों में फ़सल बोने और काटने के मौसम में की जाती हैं।'

आइएल्ओ वैि वक रिपोर्ट : 'बाल श्रम का अन्त – पहुंच में', वर्श 2006 में अंतरराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सरकारों, नियोक्ता तथा श्रमिक संघटनों द्वारा विचार–विम ा के प चात् अनुमोदित की गयी थी। वर्श 2016 तक बाल श्रम के सभी निकृश्टतम रूपों के उन्मूलन का आह्वान करती है। इस लक्ष्य तक पहुंचना तभी संभव होगा, यदि कृशि में बाल श्रम को कम करने के लिए अधिक प्रयास किये जायेंगे। इस आर्थिक क्षेत्र में वि व के कुल कामगार बच्चों में से 70 प्रति ात पाये जाते हैं – 5–14 वर्श की उम्र के 13 करोड़ 20 लाख बच्चे जिनमें से बहुत से जोखिम भरे कार्यों में लगे हुए हैं। सुश्री यान्कानि ा कहती हैं, कृशि तथा ग्रामीण विकास को क़ायम रखने के लिए बाल श्रम द्वारा बच्चों के भाोशण को आधार नहीं बनाया जा सकता। जब तक कृशि में बाल श्रम को कम करने हेतु संयुक्त प्रयास नहीं किये जायेंगे, तब तक आइएल्ओ का वर्श 2016 तक बाल श्रम के सभी निकृश्टतम रूपों के उन्मूलन का लक्ष्य पाना असम्भव होगा।

आगे का रास्ता

कृशि में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु प्रयासों का अनुमान उन्नत करने के लिए आइएल्ओ ने प्रमुख अंतरराश्ट्रीय कृशि संगठनों के साथ मिलकर एक नयी अंतरराश्ट्रीय बाल श्रम रहित हेतु कृशि सहभागिता विकसित की है।

ये संगठन हैं –

- संयुक्त राश्ट्र खाद्य तथा कृशि संगठन (एफ़्एओ – फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर ऑरगनाइज़े ान ऑफ़ युनाइटिड ने ान्ज़)
- अंतरराश्ट्रीय कृशि विकास कोश (आइएफ़्एडी – इंटर्ने ानल फ़ंड फ़ॉर ऐग्रिकल्चरल डिवलपमेंट)
- अंतरराश्ट्रीय कृशि अनुसंधान पराम ादाता समूह (सीजीआइएआर – कन्सल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटर्ने ानल ऐग्रिकल्चरल रिसर्च) का अंतरराश्ट्रीय कृशि नीति अनुसंधान संस्थान (आइएफ़्पीआरआइ – इंटरर्ने ानल फूड पॉलिसी रिसर्च इंन्स्टीट्यूट)
- किसानों/नियोक्ताओं तथा उनके संगठनों का प्रतिनिधित्व करता अंतरराश्ट्रीय कृशि उत्पादक संघ (आइएफ़्एपी – इंटर्ने ानल फ़ेडरे ान ऑफ़ ऐग्रिकल्चरल प्रड्यूसर्स)
- श्रमिकों तथा उनके संगठनों का प्रतिनिधित्व करता अंतरराश्ट्रीय खाद्य, कृशि, होटल, रेस्तरां, केटरिंग, तंबाकू संघ तथा सहबद्ध श्रमिक महासंघ (आइयूएफ़्– इंटर्ने ानल यूनियन ऑव फूड, ऐग्रिकल्चरल, होटेल, रेस्तोरां, केटरिंग, टबैको ऐंड अलाइड वर्कर्स असोसिए ान्ज़)

अंतरराश्ट्रीय कृशि संस्थाएं तथा संगठन कृशि में बाल श्रम, ख़ासतौर से उसकी जोखिमभरी क़िस्मों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ये संगठन राश्ट्रीय

© M. Crozet/ILO

कृशि में युवाओं के लिए उत्कृश्ट रोज़गार को प्रोत्साहन

बाल श्रम को कम करने के लिए उत्कृश्ट श्रम ढांचे के अन्तर्गत युवाओं हेतु कृशि में उत्कृश्ट रोज़गार को प्रोत्साहन देना आइपेक के कार्य का एक मूल तत्व है। इसको समाप्त करने, ग्रामीण रोज़गार एवं विकास को प्रोत्साहित करने, तथा आमदनी बढ़ाकर निर्धनता कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन बहुत से युवा कृशि क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें पैसा आमतौर पर कम मिलता है, काम के घंटे अधिक होते हैं, काम कठिन और जोखिम भरा होता है तथा उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में तरक़्क़ी की संभावनाएं नहीं के बराबर हैं। युवाओं (15+) को इस क्षेत्र के प्रति आकर्शित करने के लिए काम को समुचित प्रि ाक्षण आधारित बनाना होगा, रोज़गार तथा तरक़्क़ी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने होंगे। उत्कृश्ट पारिश्रमिक के साथ ही उत्कृश्ट रोज़गार की स्थितियां बनानी होंगी तथा बेहतर स्वास्थ्य व सुरक्षा के मानक तय करने होंगे। ऐसी परिस्थितियां और मानक तैयार करना एक बड़ी चुनौती है।

>> स्तर पर सेतु का महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनका राश्ट्रीय कृशि मंत्रालयों एवं विभागों, कृशि सहकारी समितियों, कृशि उत्पादक संगठनों, कृशि अनुसंधान निकायों तथा अन्य संगठनों से क़रीबी संपर्क रहता है। इस सहभागिता का आरम्भ बाल श्रम के ख़िलाफ़ वि व दिवस, 2007, को अंतरराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन में बाल श्रम पर सहयोग हेतु संकल्प घेशणापत्र पर हस्ताक्षर के साथ किया गया। सहभागिता के आरम्भिक उद्दे य हैं :

1. बाल श्रम पर क़ानून लागू करना
2. बच्चे कृशि में जोखिमभरे कार्य न करें, यह सुनि चित करने के लिए कार्रवाई करना, तथा
3. ग्रामीण जीविका साधनों को बेहतर बनाने हेतु नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, तथा कृशि नीति निर्माण में बाल श्रम के मुद्दे को मुख्य धारा में लाना;
4. ि ाक्षा में भाहरी/ग्रामीण तथा लैंगिक फ़ासले को कम करना
5. कृशि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देना।

ग्रामीण रोज़गार को प्रोत्साहन, निर्धनता में कमी का माध्यम

वर्श 2008 के अंतरराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन में परिचर्चा हेतु रखी जाने वाली आइएल्ओ रिपोर्ट – *'ग्रामीण रोज़गार को प्रोत्साहन, निर्धनता में कमी का माध्यम'* – में कृशि में बाल श्रम उन्मूलन को आइपेक द्वारा एक मुख्य विशय बनाया जा रहा है।

कई बार ग्रामीण कामगार बच्चे सस्ते श्रम का स्रोत समझे जाते हैं। बाल श्रम की मौजूदगी वि ोशकर कृशि में, वयस्कों के लिए रोज़गार तथा उत्कृश्ट श्रम की जड़े काट रही है और ग्रामीण श्रम बाज़ार को कमज़ोर करता है, इससे एक ऐसा चक्र बन जाता है, जहां किसानों तथा मज़दूरी पाने वाले श्रमिकों दोनों की ही इतनी आय नहीं हो पाती कि वे अपने परिवारों की आर्थिक ज़रूरतें पूरी कर सकें।

ग्रामीण निर्धनता लड़कियों तथा लड़कों को भाहरों तथा नगरों में जाने को मजबूर करती है और वे अकसर भाहरी बाल श्रमिक या भाहरी बेरोज़गारों की श्रेणी में आ जाते हैं – अपनी ग्रामीण निर्धनता को भाहरी निर्धनता में बदल लेते हैं।

बाल श्रम ग्रामीण युवाओं के लिए कार्य की उत्कृश्ट परिस्थितियों में रोज़गार के अवसरों को प्रोत्साहन देने के प्रयासों पर भी पानी फेर देता है। बच्चे जो अपने दे ाों में रोज़गार की न्यूनतम क़ानूनी आयु (14 वर्श से ऊपर) के हो जाते हैं, ख़राब भावी रोज़गार तथा आर्थिक संभावनाओं के साथ भाोशित तथा जोखिमभरा बाल श्रम करते रहते हैं। यह अब सब समझ गये हैं कि बिना ग्रामीण निर्धनता की समस्या सुलझाए, बाल श्रम का उन्मूलन नहीं हो सकता।

भागीदारों की क्षमता बढ़ाना

आज तक के सभी आइपेक परियोजनाओं तथा काग्रक्रमों में से 15 प्रति ात से भी कम ऐसे हैं जो वि ोश रूप से कृशि पर लक्षित रहे हैं या हैं। तथापि अफ़्रीकी तथा लातिनी अमरीका में पिछले पांच वर्शों के दौरान व्यावसायिक कृशि में कई महत्वपूर्ण बहु–राश्ट्रीय मार्गद र्ी परियोजनाएं आरंभ की गयी हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इन तथा

© M. Crozet/ILO

कठिनाइयों में राहत – आइपेक–सिफ़ी सहभागिता

फ़िलिपीन्ज़ का रूडी सात सदस्यों के परिवार में पांचवें नंबर पर है। पंद्रह वर्श की आयु में उसने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और खेती में पिता की मदद करने लगा। उससे कुछ समय पूर्व ही उसके दोनों बड़े भाइयों की एक दुर्घटना में मौत हो गयी थी।

रूडी ने सोचा कि छोटे भाई–बहनों की मदद करना उसका कर्तव्य है। वह कहता है, 'मुझे डर था कि कहीं मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी बहन को भी काम में मदद के लिए स्कूल न छोड़ना पड़े, क्योंकि हमें पैसे की कमी थी।'

वर्श 2001 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार फ़िलिपीन्ज़ में पांच से 17 वर्श की उम्र के 60 प्रति ात से भी अधिक बाल श्रमिक खेतों में काम करते हैं। वे कई घंटों तक कड़ी धूप में एक लम्बे, भारी छुरे से गन्ने की कटाई करते हैं, और उस छुरे से घायल होने के ख़तरा हमे ा बना रहता है। वे नंगे हाथों से रसायन और खाद का छिड़काव करते हैं।

वर्श 2006 में आइपेक ने फ़िलिपीन्ज़ की चीनी उद्योग संस्था (ुगर इन्डस्ट्री फ़ाउन्डे ान इन्कॉर्पोरेटिड – सिफ़ी) के साथ मिलकर प ि चमी विसायास में बाल श्रम से निबटने हेतु प्रयास आरम्भ किये। सिफ़ी एक ऐसी संस्था है, जहां फ़िलिपीन्ज़ के गन्ना–उत्पादक किसान, चीनी मिल मालिक तथा कृशि श्रमिकों के प्रतिनिधि चीनी उद्योग में लगे श्रमिकों से संबंधित मुद्दों से निबटने हेतु इकट्ठे होते हैं।

आइपेक–सिफ़ी कार्यक्रम के तहत बाल श्रमिकों को तकनीकी कौ ाल प्र ि ाक्षण तथा स्कूल में आगे पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी गयी, और गन्ना फ़ार्मों पर काम कर रहे 100 से भी अधिक लोगों ने अपना व्यावसासिक कौ ाल उन्नत करने हेतु गोश्ठियों में भाग लिया।

रूडी भी उन 80 से भी अधिक बच्चों में भाामिल था जिन्हें कौ ाल प्र ि ाक्षण दिया गया। निर्माण कार्य के लिए भारी म ीनें किराए पर देने वाली एक कम्पनी में 75 दिनों तक कार्य–प्र ि ाक्षण के प चात् रूडी को उसी कम्पनी ने मेकैनिकल असिस्टंट का काम दे दिया। चूंकि रूडी की आयु अभी भी 18 वर्श से कम है, उसके कार्यों तथा कार्य–स्थितियों पर निगाह जारी रहेगी : आइएल्ओ के बाल श्रम मानकों के अन्तर्गत उसे ख़तरनाक कार्य नहीं करना हैं।

अब उसे अपने छोटे भाई–बहनों के स्कूल छोड़ने का डर नहीं है। वह कहता है, 'अब मैं खु ा हूं कि मैं अब अपने छोटे भाई–बहन को स्कूल भेजने के लिए अपने

© M. Crozet/ILO

अन्य क्षेत्रों में हाल की कई आइपेक परियोजनाओं के अन्तर्गत कृशि में बाल श्रम उन्मूलन पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। (बॉक्स देखें)

ये कृशि परियोजनाएं समुदाय पर केन्द्रित हैं : आमतौर पर उनका लक्ष्य होता है सामुदायिक भागीदारी समूहों की बाल श्रम मुद्दों से निबटने की क्षमता विकसित करना, ग्रामीण–सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ानी तथा समुदाय के सदस्यों को गतिविधियो में भाामिल करना। जहां भी संभव हो, परियोजनाएं नियोक्ता संगठनों तथा श्रमिक संघों को भी भाामिल करती हैं ताकि इन समूहों के बीच सामाजिक संवाद सुदृढ़ हो सके। वे इसमें ग़ैर सरकारी संगठन भी भाामिल कर सकती हैं।

हाल ही में कृशि में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किये जा रहे प्रयासों में एक नया चलन आरंभ हुआ है – बहु–सहभागी पहलों का प्रादुर्भाव जिनमें किसी वि ोश फ़सल को ध्यान में रखते हैं और उस क्षेत्र की खाद्य/पदार्थ आपूर्ति श्रृंखला सहित सहभागियों को भाामिल किया जाता है। कुछ पहलें बच्चों तथा उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा स्थानीय संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केन्द्रित करती है। अन्य स्तर पर अपने प्रयास संकेन्द्रित करती है, आचार संहिताएं तथा लेब्लिंग योजनाएं तैयार करती हैं ताकि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने और उसके उन्मूलन पर नज़र रखने के लिए निर्यातकों तथा आपूर्ति पर दबाव डाला जा सके। आइपेक ने पिछले कुछ वर्शों में इस तरह के कई क्षेत्रीय गुटों की सहायता की है, जैसे कि केला, नारियल तथा तंबाकू उद्योगों में।

नियोक्ताओं तथा श्रमिक संघों के साथ कार्य

आइपेक तथा आक्ट्राव घाना, कीन्या तथा युगान्डा में राश्ट्रीय कृशि श्रमिक संघों के साथ मिलकर कार्यक्षेत्र स्तर पर किसानों तथा खेतों में काम करने वाले कृशि श्रमिकों के समूहों को कृशि में जोखिमभरे बाल श्रम के उन्मूलन हेतु प्र ि ाक्षक के रूप में काम करने के लिए प्र ि ाक्षण देने में सहयोग करते रहे हैं।

इन प्र ि ाक्षकों ने प्र ि ाक्षण सत्र आयोजित किये हैं तथा अपने फ़र्मों पर एवं अपने गांवों तथा समुदायों में अपने साथी किसानों तथा ग्रामीणों, सरपंचों, जिला स्तर के अधिकारियों, कंपनियों, उत्पादकों, श्रम ठेकेदारों, कृशि उत्पादक संगठनों को उनमें जागरूकता फैलाने के लिए संबोधित किया है।

आइपेक तथा ऐक्टेंप व्यावसायिक कृशि में बाल श्रम पर नियोक्ता संगठन में सामर्थ्य निर्माण हेतु सहयोग करते रहे हैं।

आइपेक ने नियोक्ता संगठनों के लिए तीन प्र ि ाक्षण कार्य ाालाएं सुलभ करायी हैं; इनमें से एक कार्य ाला हाल ही में ऐक्टेम्प–आइपेक–आइएल्ओआइटीसी की संयुक्त पहल पर आयोजित की गयी।

नियोक्ता कर्मचारियों – ख़ासतौर से परियोजना संचालक कर्मचारी जो न केवल व्यावसायिक कृशि में, बल्कि खदान जैसे क्षेत्रों में भी बाल श्रम पर सामर्थ्य निर्माण हेतु राश्ट्रीय गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं –के लिए प्र ि ाक्षण उपलब्ध कराया गया है। खदान क्षेत्रों जैसे – अज़रबैजान, इथियोपिया, घाना, मलावी, मोलदोवा, माली, मंगोलिया, युगांडा, ज़िम्बाब्वे, जॉर्जिया, कीन्या, नेपाल, फिलिपीन्ज़, दक्षिण अफ़्रीका, स्वाज़ीलैंड, तन्ज़ानिया, टर्की तथा ज़ैम्बिया में।

कई क्षेत्रों में बाल श्रम उन्मूलन में महत्वपूर्ण सफलताओं के बाद आइपेक अब अपने संसाधन कृशि में जोखिमभरे बाल श्रम के उन्मूलन के वि ाल एवं जटिल कार्य में लगाने के लिए बेहतर स्थिति में है।

© P. Deloche/ILO

अतिरिक्त पठन सामग्री

'बाल श्रम का अन्त : पहुंच में', मौलिक सिद्धांतों तथा कार्य में अधिकार 2006 पर आइएल्ओ घोशणा (जेनेवा, 2006) की वै ि वक रिपोर्ट।

कृशि में जोखमभरे बाल श्रम से जूझना : योजना तथा कार्यान्वयन पर दि ाा–निर्दे ा। (जेनेवा, 2006) बहु–सहभागी पहलों पर भाग 3 देखें
http://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/lang--en/index.htm

बाल श्रम के ख़िलाफ़ आइपेक कार्रवाई : मुख्य अं ा 2006 (जेनेवा, 2007)

कृशि में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य : रिपोर्ट (6) 1, अंतरराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 88वां सत्र, जेनेवा, 2000

अंतरराश्ट्रीय कृशि सहभागिता (विवरण पुस्तिका)

नन्हे कंधों पर अत्यधिक भार

खनन व खदान में बाल श्रम

© E. Gianotti/ILO

अनौपचारिक, लघु–स्तरीय खानों तथा खदानों में पांच से 17 वर्श की आयु के करीब दस लाख बच्चे काम करते हैं, जो कि आइएल्ओ समझौता 182 का सीधा–सीधा उल्लंघन है। बच्चे भूमिगत खानों में खुदाई करते हैं और अयस्क को बाहर घसीटते हैं, नदियों और पानी से भरी सुरंगों में कूदते हैं और भारी सामग्री ढोते हैं। वे चट्टानों को पीसते हैं और उसे पारे में मिलाकर सोना निकालते हैं। वे चट्टानों को तोड़कर बजरी बनाते हैं। वे ऐसी जगह रहते हैं जहां मिटटी, पानी तथा हवा भारी धातुओं के संपर्क में आने से दूशित हो चुकी है। उन्हें रोज़ाना गंभीर चोटों, ख़तरनाक रोगों, यहां तक कि मौत का भी ख़तरा रहता है। 'श्रम की दुनिया' आइपेक द्वारा खनन क्षेत्र में बच्चों के भाोशण के उन्मूलन के लिए किये जा रहे अनुसंधान तथा कार्यवाही पर एक नज़र डालती है–

ला रिंकोनादा, पेरु – बहुत से अन्य बच्चों की तरह ला रिंकोनादा में 14 साल का ब्राउलिओ भी भाामिल है जिसने बहुत छोटी उम्र से खान में अयस्क का भारी बोझ ढोने का काम किया था।

वह बताता है, 'एक दिन मेरी तबियत ठीक नहीं थी। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। एक–दो बार तो मैं गिर भी गया। मैं कच्ची धातू से भरे ठेले को धकेलता हुआ खान से बाहर निकलने ही वाला था कि ठेला उलट गया और सारी कच्ची धातु गिर गयी। कप्तान यह देख रहा था। उसने मुझे बहुत तेज़ ठोकर मारी।'

ब्राउलिओ ला रिंकोनादा खानों के लिए आइपेक परियोजना के बारे में सुन चुका था, जो वहां के सहभागी संगठन केयर इंटरनै ानल द्वारा समुदाय तक भी पहुंची, और जिसने 2,500 बच्चों की मदद की है।

वह कहता है, 'मैंने इसके बारे में रेडियो पर सुना था। मैंने परियोजना से संपर्क करने की ठान ली। वे खान में आये, उन्होंने खान प्रबंधक से बातचीत की और कप्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गयी।'

जब ब्राउलिओ, उसके भाई और पिता ने परियोजना द्वारा आयोजित सभाओं में भाग लेना आरंभ किया, तो उन्होंने जाना कि यह काम उनके लिए ठीक नहीं था। 'मुझे निरंतर दर्द रहता था, कई बार तो हम ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे, और स्कूल जाना और पढ़ना तो बहुत ही कठिन था। मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि अब केवल वे अकेले ही काम करेंगे, और हम अपना पूरा समय स्कूल और पढ़ाई को दे सकते हैं।'

[1] *ख़दान में लड़कियां : घाना, नाइज़र, पेरु तथा तंज़ानिया संयुक्त गणराज्य में अन्वेशण के परिणाम। 2007। लैंगिक समता ब्यूरो, आइपेक (जेनेवा, आइएल्ओ), कार्य दस्तावेज़ श्रृंखला पर आधारित, www.ilo.org/child labour पर उपलब्ध*

आइपेक ने वर्श 2000 से 2004 तक पेरु में बच्चों को खानों में काम करने से बचाने के लिए आरेकीपा, पून्यो तथा आयाकूचो के खनन समुदायों में तीन पहलों में सहायता दी। राश्ट्रीय स्तर पर भी जागरूकता लाने के लिए संयुक्त प्रयास किये गये। इन अग्रणी पहलों ने दिखाया कि खानों से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए तकनालजी में बदलावों द्वारा खनन उद्योग में सुधार, आय बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी सेवाओं में सुधार, सांगठनिक सुदृढ़ता तथा राश्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सुग्राह्यता महत्वपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ सांता फ़िलोमिना में एक आधुनिक संसाधन प्लांट स्थापित करने से वहां बाल श्रम पूरी तरह से समाप्त हो गया।

लड़कियों की स्थिति बद्तर

हाल के वर्शों में बाल श्रम अनौपचारिक लघु–स्तरीय खानों में हो रहा है। औपचारिक क्षेत्र की खानों में बाल श्रम की सूचनाएं नहीं प्राप्त हुई हैं, लेकिन लघु–स्तरीय क्षेत्रों में काम कर रहे बच्चों की द ा दयनीय है। लड़कियों की स्थिति तो बद्तर हो सकती है।

वर्श 2006 में घाना, नाइजर, पेरु तथा तन्ज़निया में लड़कियां जिन ख़तरों का सामना करती हैं, इस पर अनुसंधान किया गया, तथा उसके निश्कर्श उलानबातार, मंगोलिया में सितंबर 2007 में आयोजित समुदायों तथा ि ाल्पियों व लघु–स्तरीय खनन (सीएएस्एम्) पर सम्मेलन में पहली बार प्रस्तुत किये गये। आइएल्ओ रिपोर्ट (1) द ार्ाती है कि आइपेक तथा स्थानीय अधिकारियों के बीच सहयोग ने किस प्रकार इस समस्या को हल करना भ्रुरू कर दिया है। यह लघु–खनन समुदायों में लैंगिक भूमिकाओं के बारे में पूर्वधारणाओं को चुनौती देता है।

मुद्दे की जानकारी सही न होने पर उससे सही ढंग से निपटा भी नहीं जा सकता। आइपेक की श्रम वि ोशज्ञा सूज़न गन, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा था, कहती हैं, 'लघु–खनन मुद्दों पर योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाने पर अकसर इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करते हैं कि वहां बच्चे भी काम करते हैं, जो वही या उससे भी अधिक जोखिम का सामना करते हैं जो बड़े करते हैं और उसमें से कई लड़कियां होती हैं। फलस्वरूप लड़कियां कार्यक्रम के तहत सहूलतों का लाभ नहीं उठा पातीं।'

खानों में लड़कियां ऐसे कार्य करती हैं जो अयस्क से सोना निकालने, यातायात तथा प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इसके अलावा खान श्रमिकों को भोजन तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं। खानों में वे बिल्कुल वैसे ही जोखिमभरे कार्य करती हैं जैसे कि लड़के करते हैं, बल्कि उससे भी अधिक घंटे श्रम करती हैं, कार्य का भार उन पर लड़कों की बनिस्पत अधिक होता है और स्कूल जाने, छुटकारे या पुनर्वास की सम्भावनाएं उनसे कम। घोर पारिवारिक दरिद्रता के कारण लड़कियों के श्रम की मांग बढ़ी है, परन्तु उनकी घरेलू ज़िम्मेदारियां तदनुरूप कम नहीं हुई हैं। खनन समुदाय की लड़कियों को हमे ा ही स्कूल पढ़ाई, खानों में श्रम और घरेलू काम एकसाथ करने के लिए मजबूर किया जाता है, इस कारण उन्हें दिन में 14 घंटों से भी अधिक काम करना पड़ता है, जिसमें कई घंटों का ख़तरनाक श्रम भ्ाामिल है। कार्य के अत्यधिक घंटों के कारण उन्हें आराम नहीं मिल पाता और उनके लिए स्कूल में बराबर उपस्थित रहना असंभव हो जाता है।

तन्ज़ानिया के मिरेरानी खनन क्षेत्र में अध्ययन के दौरान पाया गया कि लड़कियां रत्नों की दलाली में प्रति सप्ताह 42 से 70 घंटे काम करती हैं, जबकि लड़के 28 से 56 घंटे काम करते हैं, और छोटे व्यवसायों में लड़कियां प्रति सप्ताह 84 से 90 घंटे काम करती हैं, जबकि लड़के 56 से 70 घंटे काम करते हैं।

खाद्य वस्तुएं बेचना और घर का काम केवल लड़कियां ही करती हैं। नौ वर्श की छोटी बच्चियां अपनी माताओं के साथ घर में भोजन तैयार करने में मदद करती हैं। दिन में तीन या चार बार 20–25 लीटर पानी कार्यस्थल पर अपने पिता या ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए वे पारे से दूशित या नुकीली चट्टानों वाला ख़तरनाक रास्ता तय करती हैं।

स्थानीय समुदाय के साथ कार्य

इसके स्वाभाविक ख़तरों को देखते हुए खानों तथा खदानों में बाल श्रम के निकृश्टतम रूपों पर आइएल्ओ समझौता 182 (1999) के तहत आता है, और तत्काल प्रतिबन्धित घोशित करके समाप्त कर देना चाहिए। दस लाख से भी कम बच्चे इस काम से जुड़े हुए हैं, यह संख्या अत्यधिक नहीं है, और सरकारों, उद्यमों तथा श्रमिक संगठनों ने इस समस्या से निबटने की इच्छा भी जतायी है। आइपेक ने मंगोलिया, तन्ज़ानिया, नाइजर, घाना, बुरकीना फ़ासो तथा दक्षिण अमरीकी दे ाों में चलायी गयी अग्रणी परियोजनाओं ने द ार्ाया है कि खान में काम करने वाले बच्चों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके समुदायों से मिलकर काम करना। आइएल्ओ अपने घटकों तथा सहयोगियों के ज़रिए राश्ट्रीय तथा स्थानीय क्षमता का निर्माण करता है, ताकि खनन तथा खदान कार्यों से बच्चों को छुटकारा दिलाने हेतु मज़बूती से कार्यवाही की जाये।

स्वास्थ्य तथा समाज सेवाएं

खानों में काम करते पाये गये बच्चों को तत्काल खाना और पानी दिया जाता है तथा उन्हें टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करवायी जाती है। युवाओं को जो रोज़गार हेतु क़ानूनी आयु के हो चुके हैं सुरक्षित विश्राम स्थल, मनोरंजन केन्द्र, पराम ि जैसी सेवाएं भी दी जाती हैं।

क़ानूनी संरक्षण

खानों तथा खदानों में श्रम निरीक्षण करने तथा न्यूनतम आयु तथा सुरक्षा नियमों पर नज़र रखने से इस क्षेत्र में बाल श्रम को कम करने में मदद मिलती है। सीमा क्षेत्रों में चौकसी अवैध व्यापार कम कर सकती है।

शिक्षा

छोटे बच्चों की देखरेख की व्यवस्था अभिभावकों द्वारा उन्हें अपने साथ खानों में ले जाने की ज़रूरत कम कर सकती है या बिल्कुल ही दूर कर सकती है। छात्रवृत्तियां तथा कमज़ोर बच्चों के लिए वि ोश कक्षाओं से उन बच्चों के लिए अवसर बढ़ते हैं जो स्कूल नहीं जा सके या जिनकी सामर्थ्य से उच्च ि ाक्षा बाहर होती है। अनौपचारिक ि ाक्षा तथा व्यावसायिक प्रि ाक्षण युवाओं के लिए लाभकारी हो सकते हैं।

आय उत्पत्ति तथा वैकल्पिक रोज़गार

निर्धनता बच्चों और उनके परिवारों को खानों तथा खदानों में काम करने को मजबूर करती है। परिवार की आय के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने की आव यकता है। अभिभावकों को ऋण, प्रि ाक्षण तथा अन्य नौकरियों द्वारा सहायता दी जा सकती है ताकि उन्हें बच्चों से काम कराने की कम ज़रूरत हो।

© M. Crozet/ILO

© E. Gianotti/ILO

>> खनन समुदाय के लिए बने बार या रेस्तराओं में लड़कियों का काम करना आम बात है। पेरु में 10–12 साल की लड़कियां दिन में 12 घंटे काम करती हैं। कुछ मामलों में बार का काम ग्राहकों और मालिकों द्वारा उनके यौन भोशण का कारण भी बनता है। मिरेरानी में 135 लड़कियों से बातचीत की गयी, और उसमें से 85 ने स्वीकार किया कि वे व्यावसायिक रूप से यौन कार्यों में लिप्त हैं, 25 तो पूर्णकालिक तौर पर। ऐसे निरा ाजनक माहौल में लड़कियां, छोटी उम्र में भी यौन संबंधों के लिए मना नहीं कर पातीं। खानों ने ऐसे आदमियों की बाढ़ ला दी है, जो ग्रामीण महिलाओं और बच्चियों को यौन संबंध के बदले खाना और कपड़े दे सकते हैं।

© E. Gianotti/ILO

भाारीरिक तथा भौक्षिक क्षति

खनन गतिविधियों से बहुत गहरी भाारीरिक चोटें पहुंच सकती हैं। बाल श्रमिक भााफ़्ट द्वारा 300 मीटर नीचे गहराई तक उपकरण तथा बारूद लेकर जाते हैं। अयस्क की खुदाई के स्थान पर या उसके आसपास काम कर रहे लड़के या लड़की को हर समय दुर्घटनाओं में चोट का जोखिम घेरे रहता है। अत्यधिक भार ढोने से गर्दन और रीढ़ को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे आगे चलकर बड़ी उम्र में गंभीर समस्याएं पे ा आ सकती हैं। चट्टानों को तोड़ते समय उनके उड़ते टुकड़ों से चोट लग सकती है, वयस्कों के लिए बनाये गये बड़े–बड़े उपकरणों का इस्तेमाल करने से बच्चों ख़ासकर लड़कियां, अकसर घायल हो जाते हैं। उन्हें कंपन और भाोर के बीच ही पूरा वक्त गुज़ारना होता है। पत्थर तोड़ने और रोड़ी के लगातार खिसकते रहने से श्रमिकों को कटने, छिलने, बहरेपन, अन्धेपन, भवास संक्रमण तथा स्नायु तंत्र में स्थायी क्षति का हमे ा ख़तरा बना रहता है।

सबसे अधिक ख़तरा भाायद उस समय होता है जब प्रसंस्करण प्रक्रिया में सोने और पारे का सम्मिश्रण तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान तरल तथा हवा में फैले हुए पारे के साथ संपर्क बहुत हानिकारक होता है। पारा चमड़ी को जला सकता है और भीतरी अंगों को भारी क्षति पहुंचा सकता है। बाल श्रमिक आमतौर पर स्वास्थ्य पर पारे के ख़तरनाक प्रभाव के प्रति ि ाक्षित नहीं होते। उन्हें इसके त्वचा से संपर्क तथा इसे भवास में अंदर लेने से बचना चाहिए, लेकिन वे आमतौर पर दस्ताने, नक़ाब इत्यादि जैसे सामान्य सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूक नहीं होते।

कई अन्य प्रवासी श्रमिकों की तरह सात साल की हदीज़ा और उसके भाई–बहन भी मां–बाप के साथ बेहतर जीवन की तला ा में कोमाबांगू, नाइजर, गये। उन्हें तरल एवं भाुश्क, दोनों तरीक़ों से अयस्क से सोना अलग करने तथा गहरे गड्ढों में से अयस्क और मलबा निकालने का काम दिया गया। लेकिन हदीज़ा ने इसका विरोध किया। वह कहती है, 'लड़कियां सोने की खान में काम करने के लिए नहीं बनी हैं,' 'मैंने दो बार बच निकलने की कोि ा ा की और अपनी एक सहेली के घर में छिप गयी, लेकिन हर बार मुझे वापस ले जाया गया।'

हदीज़ा को दमा हो गया और उसे एक दाई को दिखाया गया, जिसने उसके पिता से कहा कि यदि बच्ची ने यह काम जारी रखा तो उसका दम घुट जायेगा और वह मर जायेगी। हदीज़ा के पिता को बात समझ में आ गयी, उसने निर्णय लिया कि उसका कोई भी बच्चा सोने की खान में काम नहीं करेगा। इसी बीच, वर्श 2006 में सरकार ने 15 वर्श की आयु से कम उम्र की लड़कियों के लिए सोना निकालने संबंधी और प्रसंस्करण प्रक्रियाओं में काम करना ग़ैर क़ानूनी घोशित कर दिया।

इंडोनेि ाया के बाटू बुटॉक गांव के जुनिंदो तथा किफ़्लिआदी भी अपने स्कूल के ही समय से सोने की खान में काम कर रहे थे। जुनींदो दूशित नदी में रोज़ाना बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के दो–तीन घंटे लगातार काम करता था, नदी में छलांग लगाते वक्त हवा के दबाव के कारण उसके कानों में भीशण दर्द रहने लगा था, और उसे सुनाई भी कम देने लगा था, और नदी के तल में

नुकीली रोड़ी से उसकी टांगें तथा बाहें कटी पड़ी थीं। किफ़्लिआदी जिसने छटी कक्षा में ही काम करना भुरू कर दिया था, फेफड़ों के रोग से ग्रस्त हो गया था। उनकी स्कूल की ि ाक्षा भी प्रभावित हो रही थी।

आइपेक सहयोगी पाडी इंडोनेि ाया (पाडी नुसन्तारा, (www.padinetwork.org) के आन्दोलन से संपर्क में आने के बाद, दोनों लड़कों ने अपने भविश्य के लिए ि ाक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने वनीय कृशि, वित्तीय प्रबंधन, सामुदायिक स्वतंत्र समूह प्रबंधन तथा कंप्यूटर कौ ाल जैसे कार्यक्रमों में नाम लिखवाया। अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने न केवल सोने की खान में काम के स्थान पर कम ख़तरनाक मत्स्ययी को अपनाया, बल्कि एक बेहतर भविश्य के सपने देखने भुरू कर दिये। किफ़्लिआदी जो 17 वर्श का है, हाइ स्कूल में पढ़ रहा है। जुनींदो 19 साल का है और जुलाई 2007 में स्नातक हो चुका है और वि वविद्यालय में पढ़ने की आ ाा रखता है तथा ि ाक्षक बनना चाहता है। वह बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

खनन कार्य में बाल श्रम के अन्त के लिए वैश्विक भागीदारी

चूंकि खनन बाल श्रम का अत्यंत ख़तरनाक स्वरूप है, चाहे वह बहुत वि ाालकाय नहीं है – आइपेक ने वर्श 2004 में इससे वैि वक स्तर पर निपटने हेतु विचार करना आरम्भ कर दिया। इस कार्य के लिए अनुभव की कमी नहीं थी : पहले ही कई दे ाों में आइपेक आठ मुख्य परियोजनाएं तथा अनेक लघु कायक्रम चला रहा था। जब वर्श 2005 में बाल श्रम के खिलाफ़ वि व दिवस के लिए मुख्य विशय तय करने का समय आया तो खानों व खदानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज़मीन पहले से ही तैयार हो चुकी थी, जिसने खानों में बाल श्रम के ख़िलाफ कार्रवाई हेतु वैि वक आह्वान का एक आद ा अवसर प्रदान किया।

जेनेवा में 10 जून, 2005, को 15 त्रिपक्षीय प्रतिनिधि जो मानते थे कि उनके दे ाों की खानों में बाल श्रम मौजूद था, पाले दे नास्यिायों में एकत्रित हुए। अंतरराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने वालों की उपस्थिति में बारी–बारी से हर दे ा ने एक नि चत अवधि के भीतर खानों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एक हस्ताक्षरित भापथपत्र प्रस्तुत किया। हलफ़नामा दाख़िल करने वाले दे ा थे ब्राज़ील, बुरकीना फ़ासो, कोलम्बिया, कोत दीव्ऑर, इक्वाडोर, घाना, माली, मंगोलिया, निकारागुआ, पाकिस्तान, पेरु, फ़िलिपीन्ज़, सेनेगल, तन्ज़ानिया संयुक्त गणराज्य तथा टोगो। खनन श्रमिक संघ (आइसीईएम्) तथा खनन नियोक्ता संगठन (आइसीएम्एम्) के महासचिवों ने भी आइएल्ओ तथा सरकारों द्वारा बाल श्रम के वि वस्तरीय उन्मूलन के लिए किये जा रहे प्रयासों को समर्थन देने के लिए एक भापथ पत्र पर हस्ताक्षर

© M. Crozet/ILO

किये।

हस्ताक्षर करने वाले 15 में से 12 दे ाों ने तुरन्त अनुवर्ती गतिविधियां आरंभ कर दीं। खनन में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अगले पांच वर्शों के दौरान उठाये जाने वाले क़दमों को नि चत करने के लिए आधा दर्जन दे ाों में त्रीपक्षीय योजना बैठकें सुनि चत की गयीं। वैि वक स्तर पर, कार्रवाई हेतु आह्वान' को वास्तविकता में परिवर्तित करने के उद्दे य से कार्ययोजना बनाने हेतु

© E. Gianotti/ILO

नयी यात्रा का आरम्भ

बाल श्रम से शिक्षा तथा प्रशिक्षण की ओर

© M. Crozet/ILO

बाल श्रम को समाप्त करने में शिक्षा निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और हाल ही में जारी की गयी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एम्डीजीज़ – मिलेनियम डिवलपमेंट गोल्स) तथा सर्वशिक्षा (ईएफ्ए – एजुकेशन फ़ॉर ऑल) पर रिपोर्ट्स के अनुसार षिक्षा प्राप्ति में बाल श्रम एक बहुत बड़ी रुकावट है। हाल ही में स्थापित एक भागीदारी बाल श्रम तथा सर्वशिक्षा पर वैश्विक कार्यबल बाल श्रम से जूझने तथा बच्चों का शिक्षा में प्रवेश उन्नत करने के प्रयासों के बीच बेहतर संबंध विकसित कर रही है।

एम्डीजी का प्रयास यह सुनि चत करना है कि वर्श 2015 तक सभी लड़के तथा लड़कियां प्राथमिक ि ाक्षा प्राप्त कर लें। लेकिन वर्श 2007 की सर्वे ाक्षा वै वक जांच रिपोर्ट के अनुसार 7 करोड़ 70 लाख बच्चों ने अभी तक नाम दर्ज नहीं करवाया है और ऐसी आ ांका है कि कई दे ा वर्श 2015 तक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे ाक्षा के लिए ज़रूरी है उन समूहों तक पहुंचना जहां ि ाक्षा का नामोनि ाान नहीं है। 'वहां तक पहुंचें जहां तक नहीं पहुंच सके' जैसे उद्दे य लेकर नीतियां बनानी होंगी और साथ ही बाल श्रम की ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए योजनाएं भी। अंतरराश्ट्रीय विकास समूह की वार्शिक बैठक के दौरान सर्वे ाक्षा पर नयी दिल्ली में नवंबर 2003 में युनेस्को के नेतृत्व में पहली अंतरसंस्थीय गोलमेज़ चर्चा आयोजित की गयी। इस चर्चा के प चात् एक घोशणा जारी की गयी जिसने सभी बच्चों को बेहतर ि ाक्षा उपलब्ध कराने तथा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए पहलों तथा संसाधनों के बीच बृहत्तर सामंजस्य बिठाने का आह्वान किया। फलस्वरूप बाल श्रम तथा सर्वे ाक्षा पर वै वक कार्य बल स्थापित किया गया, जो औपचारिक तौर पर नवंबर 2005 में आरंभ हुआ।

वै वक कार्य दल का समग्र उद्दे य है बाल

श्रम उन्मूलन द्वारा ईएफ्ए लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देना। इसकी मुख्य रणनीति है इन लक्ष्यों को सुलभ कराने हेतु राश्ट्रीय तथा अंतरराश्ट्रीय नीतियों की मुख्यधारा में बाल श्रम को सम्मिलित कराने के लिए राजनीतिक संवेग तैयार करना। इस रणनीति का अनुसरण ज्ञान संवर्द्धन, वकालत तथा सुसंगत नीतियों को प्रोत्साहन द्वारा किया जा रहा है।

हाल ही में वैि वक कार्य बल ने घरेलू बाल श्रम तथा ि ाक्षा पर संयुक्त कार्य (युनिसेफ़ द्वारा संचालित) ईएफ्ए ढांचों में बाल श्रम को सम्मिलित करने हेतु राश्ट्रीय स्तर पर पहलों (आइएल्ओ द्वारा संचालित) तथा बाल श्रम एवं ि ाक्षा से संबंध पर अनुसंधान के लिए योजनाओं पर सहमत हुआ।

इस नयी साझेदारी के सदस्य हैं – आइएल्ओ (जो सचिवालय उपलब्ध कराता है), युनेस्को, युनिसेफ़, वि व बैंक, यूएन्डीपी, अंतरराश्ट्रीय ि ाक्षा (ि ाक्षक श्रमिक संघों का वि वव्यापी संगठन), तथा बाल श्रम के ख़िलाफ़ वैि वक मार्च। नॉर्वे तथा ब्राज़ील की सरकारें भी मुद्दे को और अधिक प्रभाव ाली बनाने के उद्दे य से कार्य बल के काम में भाग ले रही हैं। नॉर्वे दिसंबर 2008 में ईएफ्ए के उच्च स्तरीय समूह की मेज़बानी करेगा तथा बाल श्रम तथा ि ाक्षा से वंचन के सामान्य विशयों पर ध्यान और अधिक संकेन्द्रित करने को उत्सुक है।

ब्राज़ील को ि ाक्षा प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अनुभव है और वह बाल श्रम तथा ि ाक्षा के मुद्दों पर दक्षिण–दक्षिण सहयोग का सक्रिय समर्थक है।

इस अवसर पर 17 दे ाों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वे बाल श्रम से निबटने बृहत अनुभव अपने साथ लाये। ि ाक्षा के रास्ते में आने वाली वित्तीय रुकावटों – स्कूल फ़ीस और ि ाक्षा के लिए अप्रत्यक्ष खर्चे से पार पाने की ज़रूरत का परिचर्चा में बार–बार ज़िक्र किया गया। ब्राज़ील से आने वाले प्रतिनिधियों ने बताया कि धन हस्तान्तरण कार्यक्रम बाल श्रम कम करने और स्कूल उपस्थिति बढ़ाने में बड़ा प्रभावी रहा है।

प्रतिनिधियों ने उन व्यावहारिक समस्याओं पर भी चर्चा की जो तब पैदा होती हैं जब दे ा स्कूल में बच्चों को भर्ती कराने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बेहतर ि ाक्षा देने में असमर्थ रहते हैं। ि ाक्षक संघों के वैि वक संगठन, अंतरराश्ट्रीय ि ाक्षा के प्रतिनिधियों ने ि ाक्षकों की प्रतिश्ठा तथा ि ाक्षा की ऊंची गुणवत्ता सुनि चित करने के लिए आइएल्ओ तथा युनेस्को के सुझावों के महत्व की ओर खींचा।

कार्यक्रम के दौरान स्कूल की पढ़ाई छोड़कर काम कर रहे बच्चों का उद्धार करने में समस्याओं, एच्आइवी/एड्स का बाल श्रमिकों पर प्रभाव, तथा ि ाक्षा तथा श्रम बाज़ार के बीच संबंधों पर भी चर्चा की गयी।

पाठ्यक्रम तूरिन प्र ि ाक्षण केंद्र में वर्श 2008 में फिर आयोजित किया जायेगा (दखें तूरिन पाठ्यक्रम कैलेंडर)। आइपेक क्षेत्रीय तथा राश्ट्रीय स्तरों पर भी प्र ि ाक्षण कार्यक्रम चलाने की आ ाा करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें – पचमब/पसवण्वतह

© M. Crozet/ILO

तुर्की : प्रवासी कृशि परिवारों के कामगार बच्चों के लिए ि ाक्षा

तुर्की में 15 वर्श से कम आयु के करीब 65 प्रति ात बच्चे कृशि कार्यों में लगे हैं। दे ा के दक्षिण में कपास–उत्पादक इलाके में, प्रवासी कृशि श्रमिकों के बहुत से बच्चे अपने माता–पिता के साथ खेतों में काम करते हैं और फ़सल चक्र के अनुसार उनके साथ अपने गांव छोड़कर अन्य स्थानों पर काम

>>

TRAINING ON CHILD LABOUR AND EDUCATION POLICY

Representatives of Ministries of Labour, Ministries of Education and teachers' trade unions recently participated in a new training programme on child labour and education policy. The programme, conducted at the ILO's International Training Centre in November 2007, considered education policy approaches that can help to remove barriers to education facing child labourers.

Some 17 countries were represented at the event, bringing together a wide range of practical experience in tackling child labour. The need to address financial barriers to education, both school fees and indirect costs of education, was a recurring theme in the discussions. Representatives from Brazil reported on the positive impact that cash transfer programmes had had on school attendance and reducing child labour.

Participants also discussed the practical problems which can arise when countries succeed in boosting school enrolment but are insufficiently prepared to provide a quality education to the children being enrolled. Representatives of the global organization of teachers' trade unions, Education International, drew attention to the importance of the ILO and UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers, to ensure the goal of a high-status teaching profession and good quality of education.

The programme also considered the specific approaches needed when working with out-of-school child labourers, the impact of HIV/AIDS on child labour, and the linkages between education and labour markets.

The course will be run again at the Turin Training Centre in 2008 (see Turin Course Calendar). IPEC also hopes to be able to deliver the training programme at regional and national levels. For further information contact ipec@ilo.org

>> के लिए चले जाते। चूंकि कपास का मौसम मई से नवंबर तक रहता है, स्कूल जाना उनके लिए कठिन हो जाता है। उनमें से अधिकां ा तो स्कूल बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। कई तो कभी स्कूल में भर्ती ही नहीं हुए।

मौसम कृशि कार्यों में संलग्न बच्चों की ज़रूरतों पर ध्यान देने के लिए तुर्की राश्ट्रीय ि ाक्षा मंत्रालय ने अदाना के पास करातास क्षेत्र में हाल ही में एक आइएल्ओ आइपेक कार्यक्रम (2005–2007) लागू किया। इसके अन्तर्गत वर्श भर चलने वाले छत्रावासी स्कूल कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा एक स्कूल–आधारित बाल श्रम निरीक्षण प्रणाली स्थापित की गयी, जिसके तहत ि ाक्षक, अभिभावक, नियोक्ता (किसान), सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्थानीय अधिकारी मिलकर कामगार बच्चों की पहचान करते हैं और अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं ताकि वे काम पर न लौटें। छोटे बच्चों के लिए वि ोश स्कूल कार्यक्रम, सालभर खुले रहने वाले किन्डरगार्टन स्कूल तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध करायी गयी हैं, ताकि वे काम करने से बचें।

परियोजना के दो मुख्य अवयव थे। पहले अवयव का उद्दे य था एक उपयुक्त माहौल बनाना। दूसरा सीधा बच्चों पर लक्षित था – उन्हें कृशि में जो श्रम से हटाना, मौसमी खेती से उन्हें दूर रखना तथा औपचारिक/अनौपचारिक ि ाक्षा कार्यक्रम या पूर्व–व्यावसायिक/व्यावसायिक प्रि ाक्षण उपलब्ध कराना।

जिन बच्चों को कार्यक्रम का लक्ष्य बनाया गया उनकी ज़रूरतें पूरी करने तथा उनके लिए वि ोश रूप से उपलब्ध करायी गयी विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने में उनकी मदद करने हेतु कारावास में एक समुदाय–आधारित सामाजिक सहायता केंद्र स्थापित किया गया।

परियोजना की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि थी दूरदराज ग्रामीण इलाकों में बच्चों के लिए ि ाक्षा सहित वि ोश सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा बच्चों के कल्याण हेतु चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों के साथ बीच सामंजस्य बिठाना।

कार्यक्रम वर्श 2005 में आरंभ हुआ जिसमें 1,400 बच्चों (45 प्रति ात लड़कियां) का पंजीकरण किया गया। इनमें से आधे बच्चों को कृशि कार्यों से हटाकर प्राथमिक स्कूलों में भर्ती किया गया। सौ से भी अधिक बच्चों (अधिकतर लड़के) को काम से हटाकर काराताई, कोज़ान, मुस्तफ़ाबेली तथा हिलवन के छात्रावासी स्कूलों में भर्ती किया गया। बाकी बच्चों को सामाजिक सहायता केन्द्र तथा आसपास के प्राइमरी स्कूलों द्वारा आयोजित सम्पूरक ि ाक्षा कार्यक्रमों तथा सामाजिक गतिविधियों द्वारा लाभ पहुंचाया गया।

© M. Crozet/ILO

सिम्पॉक : संख्याओं से जूझना

© ILO PHOTO

© ILO PHOTO

बाल श्रम पर आइपेक का सांख्यिकी अंग, सांख्यिकी सूचना तथा निगरानी कार्यक्रम (सिम्पॉक–स्टटिस्टिकल इन्फ़र्मे न ऐंड मॉनिटरिंग प्रोग्रैम – सिम्पॉक) बाल श्रम पर संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करा रहा है। कार्यक्रम की स्थापना 1998 में हुई। इन वर्शों में यह वि व के सबसे बड़े घरेलू सर्वेक्षण कार्यक्रमों में भामिल हो गया है। सिम्पॉक ने :

- तीन सौ से भी अधिक बाल श्रमिकों पर सर्वेक्षण पर तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया है;
- बाल श्रम पर राष्ट्रीय तथा वैि वक डेटाकोश स्थापित किये हैं;
- बड़े स्तर पर प्रि ाक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराये हैं;
- वर्श 2002 तथा 2006 में बाल श्रम पर वैि वक अनुमान जारी किये हैं।

सिम्पॉक ने वर्श 2006 में पहली बार वैि वक बाल श्रम प्रवृत्तियों पर एक पुस्तक प्रकाि ात की। इस प्रयास के पीछे एक लगातार बढ़ रहा और परिश्कृत किया जा रहा डेटा भंडार है। श्रम में मौलिक अधिकारों तथा सिद्धांतों पर घोशणा के प चात् अनुवर्ती कार्रवाई के अन्तर्गत आइएल्ओ की यह ज़िम्मेदारी है कि वह चार वर्शों में एक बार बाल श्रम की प्रवृत्तियों पर वि लेशण जारी करे। सिम्पॉक की आंकड़ा संचयन तथा वि लेशण की क्षमता इसी प्रयास में निर्णायक होगी।

सिम्पॉक इस समय बाल श्रम की बद्तरीन किस्मों, जैसे बंधुआ मज़दूरी तथा बच्चों का व्यापार को आंकने के नये तरीक़े विकसित कर रहा है।

लक्ष्य है ऐसी सर्वेक्षण तकनीकें तैयार करना जिनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इन किस्मों के विस्तार का अनुमान लगाया जा सके।

सिम्पॉक द्वारा वि वभर के 60 से भी अधिक दे ाों को बाल श्रम सांख्यिकी संबंधी मदद देने में जो अनुभव सिम्पॉक ने प्राप्त किया है उसके आधार पर सर्वेक्षण के कई तरीके विकसित किये गये हैं। इनमें डेटा संचयन प्रणालियों द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक डेटा संग्रह हेतु प्र नावलियां भामिल हैं।

अपेक्षाकृत उन्नत डेटा संचयन क्षमता वाले दे ाों के लिए जो राष्ट्रीय बाल श्रम सर्वेक्षण के विकास के प्रति वचनबद्ध हैं, एक व्यापक मानक स्तर पर एक विस्तृत प्र नावली तैयार की गयी है। अन्य दे ाों के लिए एक लघु प्र नावली सुझायी गयी है, जो मुख्य बाल श्रम डेटा संग्रहण सरल बनाती है। बाल श्रम की विभिन्न बद्तरीन किस्मों पर अनुसंधान हेतु द्रुत मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण प्र नावलियां हैं।

[1]सिम्पॉक की डेटा संचयन मैनुअल द्वारा संचयन प्रणालियों पर नियम पुस्तिका (मैन्युअल ऑन मेथडॉलजीज़ फ़ॉर डेटा कलेक ान थ्रू सर्वेज़) बाल श्रम के क्षेत्र में डेटा संग्रह के लिए विभिन्न पद्धतियों पर एक विस्तृत परिचायक प्रका ान है। इसमें राष्ट्रीय घरेलू बाल श्रम सर्वेक्षण, उद्योग सर्वेक्षण, द्रुत मूल्यांकन, स्कूल सर्वेक्षण, आवारा बच्चों पर सर्वेक्षण तथा आधारभूत सर्वेक्षण भामिल हैं। पुस्तिका डेटा प्रस्तुतकर्ताओं और उपभोक्ताओं को सर्वेक्षण योजना, प्र नावली प्रारूप, डेटा संचयन, प्रक्रियात्मक सवाल तथा डेटा वि लेशण के बारे में बताती है। यह विभिन्न प्रकार के बाल श्रम सर्वेक्षणों के लिए प्र नावली भी उपलब्ध कराती है।

बाल श्रम डेटा संचयन तथा मूल्यांकन के लिए वैि वक मानक विकसित करने तथा अपनाने हेतु इस वर्श नवंबर/दिसंबर 2008 में जेनेवा में होने वाले अगले अंतरराश्ट्रीय श्रम सांख्यिकी सम्मेलन (इंटर्ने ानल कॉन्फ़्रेंस ऑन लेबर स्टैटिटि ाक्स – आइसीएल्सी) में बाल श्रम सांख्यिकी पर बहस होगी।

अधिक सूचना के लिए देखें : *http:/www.ilo.org/ipec/childlabour*

© M. Crozet/ILO

statisticsSIMPOC/

[1] *एफ़ हाज़ेमन, वाइ दिआलो, ए. एतिएन, एफ़ मेहरानः स्टटिस्टिकल इन्फ़र्मे ान ऐंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन चाइल्ड लेबर (आइएल्ओ, जेनेवा 2006)*

बाल श्रम के ख़िलाफ़ भारत

© M. Crozet/ILO

पिछले कुछ दशकों से भारत में कामगार बच्चों की स्थिति बदली है। पारिवारिक तथा सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, भाहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच धुंधली पड़ती सीमाएं तथा वैश्वीकरण की ओर व्यावसायिक एवं औद्योगिक अभिमुखता ने बहुत से लोगों का भविष्य बेहतर बना दिया है। महानगरीय भारत में औद्योगिक अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय क़ानूनों ने जाति एवं वंश आधारित परंपरागत जीविका प्रणालियों का स्थान ले लिया है। इस बदलाव ने अनेक बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर पैदा किये हैं। भारत में बाल श्रम के ख़िलाफ़ मुहिम की प्रगति पर विद्या रवि तथा एलेओनोर ईवैं की रिपोर्ट:

© M. Crozet/ILO

चेन्नई – भारत में बच्चे परम्परागत रूप से छोटी उम्र से ही काम करना आरम्भ कर देते हैं। उनमें से बहुत से बच्चों को अपने परिवारों की मदद के वास्ते काम करना पड़ता है और कुछ परिवार चाहते हैं कि उनके बच्चे व्यवसाय को जारी रखें। कृशि क्षेत्र में ख़ासतौर से हमे ा ही पारंपरिक पद्धतियों का अनुसरण करता रहा है।

गोविंदन, (47), अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह उसने बचपन में ही खेतों में काम करना भ्ारू कर दिया था। तमिलनाडु के एक छोटे–से गांव में जन्मा गोविंदन परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने पिता तथा भाई के साथ ठेके पर लिये खेत में काम करता था। 'जब मैं बच्चा था, हम बहुत मु कल वक्त से गुज़र रहे थे, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। मेरे पिता मेरे भाइयों के साथ खेत में काम करते थे तो मेरे लिए भी खेती करना स्वाभाविक था। मैंने स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता और भाइयों के साथ खेती में लग गया। उस समय मैं दस साल का था।'

पारंपरिक रूप से बच्चों द्वारा काम समुदाय की गतिविधियों का हिस्सा माना जाता है और उसे न तो बुरा और न ही भोशित श्रम माना जाता है। बच्चे जब 12–13 वर्श के हो जाते थे, यह समझा जाता था कि वे बड़े हो गये हैं। आइएल्ओ का न्यूनतम आयु समझौता, 1919 (संख्या 5) भारत द्वारा 1955 में अनुमोदित किया गया, इस समझौते के अनुच्छेद 6 में छूट दी गयी कि उसके प्रावधान भारत पर लागू नहीं होंगे और श्रम की न्यूनतम आयु कम करके 12 वर्श कर दी गयी। वर्श 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सरकार ने कई अंतरराश्ट्रीय समझौते अनुमोदित किये हैं, ख़ासकर विकसित हो रहे औपचारिक आर्थिक क्षेत्रों में। भारत में करीब 85 प्रति ात बच्चे पारिवारिक व्यवसाय या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। जोखिमभरे क्षेत्रों तथा प्रक्रियाओं में बाल श्रम प्रतिबन्धित करने तथा अन्य क्षेत्रों में काम की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए वर्श 1986 में एक व्यापक राश्ट्रीय क़ानून लागू किया गया था।

सरकार ने वर्श 2006 में औपचारिक रूप से बच्चों को घरेलू तथा आतिथ्य क्षेत्रों में नौकर रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, जो पहले ही 13 जाखिमभरे उद्योगों तथा 57 प्रक्रियाओं पर लागू था।

गोविंदन याद करता है कि कितना कठिन काम किया करता था वह परिवार की आय बढ़ाने के लिए। 'मेरा काम होता था बीज बोना, तिराई करना, और छोटे–मोटे भार ढोना। मैं दिन में आठ से दस घंटे काम किया करता था और पैसे बहुत थोड़े मिलते थे, सप्ताह में लगभग 50 रुपए (एक अमरीकी डॉलर)। काम बहुत कठिन था लेकिन परिवार को कुछ पैसा तो कमाकर देना ही था।'

आज, कुछ भाग्य ाली लोगों पर इस तरह का दबाव नहीं है। जब गोविंदन 18 वर्श का हुआ, उसने अपना गांव छोड़ दिया तथा चेन्नई चला आया। यहां रोज़ी कमाने के लिए वह बाज़ार में एक सब्ज़ी की दूकान पर काम करने लगा। उसकी अपनी सब्ज़ी की रेढ़ी है। वह कहता है, 'मैं पिछले 25 वर्शों से सब्ज़ी बेच रहा हूं। अब जीवन उतना कठिन नहीं है। मैं अपने गांव को बहुत याद करता हूं, लेकिन यही मेरा भविश्य है। यहां रोज़ी कमाना ज़्यादा आसान है। मेरे बच्चों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खु ा हूं कि सब बदल गया है और मेरे बच्चे अच्छी ि ाक्षा पा सकते हैं।'

कई अभिभावक अब भी अपने बच्चों को कारख़ानों में काम सीखने के लिए भेजते हैं। चूंकि घर के ख़र्चे – खाना, कपड़ा, दवाइयां इत्यादि – के लिए काफ़ी आय नहीं होती, बच्चे हस्तकरघा और कपड़ा उद्योग में काम करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। भास्करन, 37, चेन्नई में दर्ज़ी है। जब वह 10 साल का था, उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। घर बहुत मु ि कलों में था, यहां तक कि भोजन के भी लाले थे। मेरे पिता की जब मौत हुई, मैं बहुत छोटा था, मेरी मां गुज़ारे के लिए फल बेचने लगी। लेकिन कमाई इतनी नहीं होती थी कि हमें भरपेट भोजन भी मिल पाता। भास्करन एक बड़े भाई और तीन बड़ी बहनों के साथ पला। 'इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए हम सभी ने काम करना भुरू कर दिया। इसके साथ ही इस बात का भी दबाव था कि बहनों की भादी अच्छे घरों में होनी चाहिए। इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन मुझे किसी ने स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया था। मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था और इससे मेरा हौसला पस्त हो गया था। मैंने काम करना ही ठीक समझा।'

भास्करन ने चेन्नई के एक कपड़ा स्टोर में कमीज़ों में बटन टांकने का काम आरंभ किया। 'हमारा दिन बहुत लंबा होता था, 11 से 14 घंटे। मुझे रोज़ के 20 रुपए से भी कम मिलते थे। लेकिन धीरे–धीरे मैं बड़े काम करने लगा और मेरी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं।'

पारंपरिक तरीक़ा है कि बच्चे भागिर्दी द्वारा ही किसी व्यापार के बारे में सीखते हैं। व्यावसायिक स्कूल लोकप्रिय नहीं हैं। बहुत से व्यावसायिक श्रमिकों, जैसे कढ़इयों, दर्ज़ियों, खानसामाओं इत्यादि के लिए व्यावसायिक डिग्रियां नहीं हैं।

यद्यपि कई बार भागिर्दी एक तरह से बंधुआ मज़दूरी ही होती है, जिसमें बच्चों को भीड़भरा, अस्वस्थ तथा प्रदूशित माहौल मिलता है। कारखानों या दूकानों में काम सीख रहे बहुत से बच्चे कठिन जीवन जीते हैं और इस स्थिति से बचने की उन्हें कोई आ ा नहीं होती।

हालांकि इस प्रकार के भोशण के विरुद्ध कई राश्ट्रीय क़ानून हैं, निरीक्षण तथा छापे विरले ही होते हैं। वर्श 2006 में महाराश्ट्र के ज़री कारखानों में 12 साल के बाल श्रमिक अफ़्ज़ल अन्सारी तथा 11–वर्शीय अहमद ख़ान की मौत के बाद सरकार ने कई छापे मारे और 16,000 से भी अधिक बच्चों को बचाया।

भास्करन उन खु ानसीबों में से एक है जिसने भागिर्दी के बाद तरक़्क़ी की है। वह बताता है, 'मैंने इन वर्शों में कई जगह काम किया, और दर्ज़ी के काम के बारे में अच्छी जानकारी हासिल की। वर्श 1997 में मैंने अपना खुद का काम भुरू किया।' आज उसने दो सहायक भी काम पर रखे हुए हैं। 'मेरी इच्छा तो स्कूल के बाद उच्च ि ाक्षा प्राप्त करने की थी, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब सब बदल रहा है। लोग अब ि ाक्षा को ज़रूरी समझते हैं। पहले, कम–तबक़े के लोगों का आगे पहुंचना बहुत कठिन था।'

मारन चेन्नई में रहता है और ड्राइवर है। वह चेन्नई के उपनगरों में बड़ा हुआ था। वह बताता है, 'मेरे पिता की जब मौत हुई मैं 13 साल का था। मैं घर में सबसे बड़ा था, इसलिए परिवार के भरण–पोशण के लिए मुझे काम करना पड़ा। मेरी बहन घर के कामकाज में मदद करती थी, लेकिन मेरा भाई दसवीं कक्षा में पढ़ रहा था, और भायद उसकी पढ़ाई में मदद के लिए भी मेरा काम करना ज़रूरी था।'

मारन को सबसे पहला काम एक निर्माण कंपनी में मिला। उसका काम था दीवारों पर सीमेंट लगाना और उन्हें पेंट करना। इसके बाद उसे चिनाई का काम मिला। वह बताता है, 'वह बहुत कठिन काम था, लेकिन धीरे–धीरे मैं उसका आदी हो गया। चूंकि मैं घर का मुखिया था, मुझे काम करना बुरा भी नहीं लगता था।'

मारन ने व ि 1996 में ऑटो चलाना ुरू किया। उसके दो बच्चे हैं। बेटा बारहवीं में और बेटी दसवीं में है। वह कहता है, 'वे दोनों अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनकी पढ़ाई जारी रहे। मेरे ऊपर तो पारिवारिक ज़िम्मेदारियां थीं, लेकिन वे अपने भविश्य के बारे में निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं।'

© V. Ravi/ILO

>>

© V. Ravi/ILO

बाल श्रम उन्मूलन हेतु एक बड़ा क़दम

© M. Crozet/ILO

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 में अपनाने के बाद भारत सरकार राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (नै ानल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स – एन्सीएल्पी) के ज़रिए एक राष्ट्रव्यापी बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है। एन्सीएल्पी का मुख्य उद्दे य है जोखिम भरे उद्योगों से निकाले गये बच्चों को पुनर्वास तथा ि ाक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्शीय योजना (वर्श 2002–2007) के दौरान दे ा के कुल 601 जिलों में से 250 में लागू करने हेतु सरकार ने बजट में 6 अरब 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ि ाक्षा विभाग द्वारा संचालित सर्व ि ाक्षा अभियान कार्यक्रम के साथ मिलकर सरकार का लक्ष्य है, सर्वव्यापी प्राथमिक ि ाक्षा, अधिक सुदृढ़ सार्वजनिक ि ाक्षा तथा बाल श्रम का निवारण। केंद्रीय सरकार के इस प्रयासों के समर्थन में कई राज्य सरकारें बाल श्रम उन्मूलन के लिए समय–सीमा सहित कार्यक्रम लागू कर रही हैं। कुछ राज्यों में उन वर्तमान क़ानूनों को जो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम प्रतिबन्धित करते हैं, लागू करने के उद्दे य से वि ोश बाल श्रम संसाधन कक्ष स्थापित किये गये हैं।

वर्श 1992 में आइपेक के संस्थापन से ही भारत उसमें भाग ले रहा है। पिछले 15 वर्शों में आइपेक ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा सरकार, श्रमिक संघों, नियोक्ता संगठनों, राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्र ि ाक्षण संस्थानों तथा अन्य नागरिक समाज साझेदारों के साथ सहयोग किया है। इस अनुभव के आधार पर बाल श्रम पर एक व्यापक परियोजना 'इन्डस' 20 ज़िलों तथा चार बड़े राज्यों में आइपेक के सहयोग से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना को भारत सरकार और अमरीकी श्रम विभाग द्वारा समान रूप से 2 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता प्राप्त होती है।

परियोजना का लक्ष्य कई अवयवों द्वारा एक समाकलित बहु–क्षेत्रीय पहुंच विकसित करना है। इनमें भाामिल हैं :

- जोखिमभरे श्रम से निकाले गये बच्चों को अन्तर्वर्ती ि ाक्षा उपलब्ध कराना;
- बाल श्रम के निवारण के लिए जन ि ाक्षा को सुदृढ़ बनाना;
- नाबालिगों (14–17 वर्श) को व्यावसायिक कौ ाल प्र ि ाक्षण उपलब्ध कराना;
- बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए आय के अवसर पैदा करना

परियोजना का वि ोश ध्यान संस्था निर्माण तथा बाल श्रम निगरानी पर है और उसका उद्दे य सरकारी संघों तथा ग़ैर–सरकारी संगठनों को सहभागी संरचनाओं में इकट्ठा करना है ताकि अपेक्षित गतिविधियां सभी स्तरों पर व्यवस्थित तथा स्थायी रूप से चलायी जायें।

भारत सरकार की 11वीं पंचवर्शीय योजना (2008–2013) में दे ा के सभी 601 ज़िलों में एन्सीएल्पी को लागू करने तथा इन्डस परियोजना की रणनीतियों की एनसीएल्पी में समावे ा हेतु योजना है।

आइएल्ओ–आइपेक सरकार तथा अन्य मुख्य साझेदारों द्वारा वि वव्यापी कार्य में प्राप्त जानकारी के आधार पर तकनीकी समर्थन देगा। बाल श्रम एक परिवर्तात्मक मुद्दा है। उसके प्रतिमान, ढांचा, परिमाप तथा क्षेत्रीय व्यापकता दे ाों के विकास प्रतिमानों के साथ बदलते रहते हैं, और ये प्रतिमान बाल श्रम की मांग तथा आपूर्ति के परिमाप को प्रभावित करते हैं।

वै ि वकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वि व व्यापार में साझेदारी बढ़ने के साथ बाल श्रम के मुद्दे की ओर मुख्य अधिश्ठित पक्षों – उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं – का अधिक ध्यान खिंचे जाने की संभावना है। भारत के इन मुद्दों के प्रति नज़रिये के अनुसार आइएल्ओ–आइपेक त्रिपक्षीय साझेदारों की मदद से आव यक सहयोग देंगे। भारत में बाल श्रम के परिमाण का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने दे ाभर में एक सर्वेक्षण संचालित करने का नि चय किया है और आइपेक–सिम्पॉक (देखें पृश्ठ 21) उसे इस कार्य में तकनीकी सहयोग देंगे। भारत में स्पश्ट रूप से व्यक्त राजनीतिक वचनबद्धता तथा बजट में तदनुरूप प्रावधानों को देखते हुए,

© M. Crozet/ILO

आइएल्ओ–आइपेक बाल श्रम के उन्मूलन के

स्यारिस

सामाजिक अंतर्वेशन की सेवा में नयी तकनीक

© ILO PHOTO

करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी भरपेट भोजन नहीं मिलता, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते और जिन्हें न ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हैं। यह केवल ग़रीबी की ही समस्या नहीं है। ये हालात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बहिश्करण के कारण भी हैं। निर्धनता के जटिल कारणों के विश्लेषण में मदद करने तथा उत्कृष्ट श्रम हेतु आइएल्ओ द्वारा विकसित जानकारी प्रबन्धन पर फ़िलिप वैन्यूनेगम की रिपोर्ट :

मरीया जसिन्तो सितोए, (28) मापूतो, मोज़म्बिक, में अपने तीन बच्चों के साथ रहती है। जब वह केवल दस साल की थी उसने स्कूल छोड़ दिया था – उसके माता–पिता ग़रीब थे और स्कूल घर से बहुत दूर था। रोज़गार न मिलने के कारण वह पुराने कपड़े बेचने का काम करने लगी और इससे अपने परिवार तथा पति की मदद करने लगी, जिनकी आय बहुत कम थी। उसकी छोटी–सी आमदनी बच्चों की ि ाक्षा भी जारी रखने में सहायक हुई।

परन्तु उन्हीं दिनों मरीया एच्आइवी से ग्रस्त हो गयी और उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। स्थिति बहुत ख़राब हो गयी थी। वह बताती है, 'मैं काम तो करती थी, लेकिन जब मैं बीमार पड़ी तो मुझे अपनी कमाई पारंपरिक डॉक्टरों (कुरान्देरोज़) और फिर अस्पताल में इलाज पर ख़र्च करनी पड़ी। मैंने न केवल अपना सब कुछ खो दिया, मेरे ऊपर भारी कर्ज़ा भी हो गया। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और मैं अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ अपनी दादी के यहां आकर रहने लगी। हम अभी भी उन्हीं के साथ रहते हैं –यह सामाजिक दृश्टि से और पैसे के मामले में भी बहुत कठिन है, क्योंकि उन्हें बहुत ही थोड़ी पेन् ान मिलती है। मैं अब काम भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती।'

मरीया की कहानी, वि वभर में अनेक महिलाओं एवं पुरुशों की ऐसी ही कहानियों की तरह, द र्ाती है कि निर्धनता और बहिश्करण के खिलाफ़ संघर्श को व्यापक ढंग से समझने की ज़रूरत है। सामाजिक बहिश्करण के अधिकतर अध्ययन में उसकी बहुआयामी प्रकृति और उसके कारणों तथा प्रभावों के बीच संबंध पर विचार करने की आव यकता पर ज़ोर देते हैं। अध्ययन यह भी द र्ाते हैं कि ऐसे उपाय जो सामाजिक बहिश्करण के केवल एक ही पहलू पर केन्द्रित होते हैं बहुधा निश्फल रहते हैं। परन्तु ऐसे ही संकीर्ण तरीक़े अपनाती हैं जिस कारण कार्रवाई का प्रभाव सीमित होता है।

दूसरी ओर, वि वभर में, वि ोशकर स्थानीय स्तर पर, पर्याप्त अनुभव हो चुका है कि अन्तरक्षेत्रीय उपाय ग़रीबी तथा बहिश्करण को कम करने में अधिक सफल हो सकता है। आइएल्ओ का लक्ष्य ऐसे उपायों को प्रोत्साहित करना है जो सामाजिक संवाद द्वारा श्रमिकों को रोज़गार तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराएं और साथ ही उनके अधिकारों का सम्मान सुनि ि चत करें। तथापि ऐसे उपायों की पर्याप्त जानकारी नहीं है, और वे लोग जो अपने तरीक़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं बहुधा क्षेत्रीय अवरोधों के पीछे अकेले पड़ जाते हैं। आमतौर पर एक समाकलित रणनीति को व्यवहार में लाने की न तो उनमें क्षमता होती है और न ही आव यक ज्ञान।

ज्ञान बांटने की तत्काल ज़रूरत : क्या नयी तकनीकें मदद कर सकती हैं?

पिछले कई वर्शों में अब आइएल्ओ अपने संघटकों के लिए ऑनलाइन नेटवर्क विकसित कर रहा है जिसका नाम >>

>> है सामाजिक अध्ययन तथा संसाधन अंतर्वे ान पर अध्ययन तथा संसाधन केंद्र – (सीआइएआरआइएस्–लर्निंग ऐंड रिसोर्स सेंटर ऑन सो ाल इन्क्ल्यूझन – स्यारिस)। नयी सूचनाएं तथा संचार तकनीक (इन्फ़र्मे ान ऐंड कम्युनिके ान्ज़ टेक्नॉलजीज़ – इक्ट) इस्तेमाल करने वाली स्यारिस एक प्रबन्धन तथा ज्ञान–सहभागिता साधन है जिसे विभाग के 'स्टेप' कार्यक्रम ने पुर्तगाल सरकार के व्यय पर तैयार किया है।

स्यारिस के ज़रिए विभिन्न कार्यकताओं संसाधनों की सहायता ले सकते हैं तथा एक–दूसरे की सुविज्ञता बांट सकते हैं। यह एक वैचारिक ढांचा उपलब्ध कराता है जो समस्याओं के प्रारूप तैयार करता है, अनुभवों का वि लेशण करता है तथा उन सिद्धांतों एवं नैतिक मूल्यों का वर्णन करता है जो बहिश्करण के ख़िलाफ़ संघर्श में प्रभावी कार्रवाई सुनि चत करेंगे। यह वि ाश्ट सुझाव देता है कि अन्तरक्षेत्रीय विधि अपनाते हुए एक परियोजना को कैसे रूप देना है, अनुवर्ती परियोजना का किस प्रकार मूल्यांकन करना है। यह सहायता सम्पूर्ण परियोजना चक्र के दौरान मिलती रहेगी। ये सब सुझाव तरीकों, उदाहरणों तथा सूची संदर्भों द्वारा समर्थित होते हैं। आज, अध्ययन प्रोत्साहित करने के लिए इक्ट वि ाल क्षमता रखता है, जिसका उपयोग अभी भी पूरी तरह नहीं हो रहा है। स्यारिस वेब् 2.0 के ज़रिए, कार्यकर्ताओं को इकट्ठे नेटवर्क करने तथा सीखने का अवसर प्रदान करता है। भौगोलिक तथा संस्थानीय बाधाओं को तोड़ते हुए स्यारिस सामाजिक बहिश्करण से जूझ रहे लोगों को एकसाथ लाता है। इसके उपभोक्ता वि वभर में एक–दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, अपने अनुभव तथा विचार एक–दूसरे के साथ बांट सकते हैं, संयुक्त परियोजनाएं बना सकते हैं, व्यावहारिक सूचनाओं का आदान–प्रदान कर सकते हैं तथा ऑनलाइन गोश्ठियों तथा प्र िक्षण पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। (देखें बॉक्स)

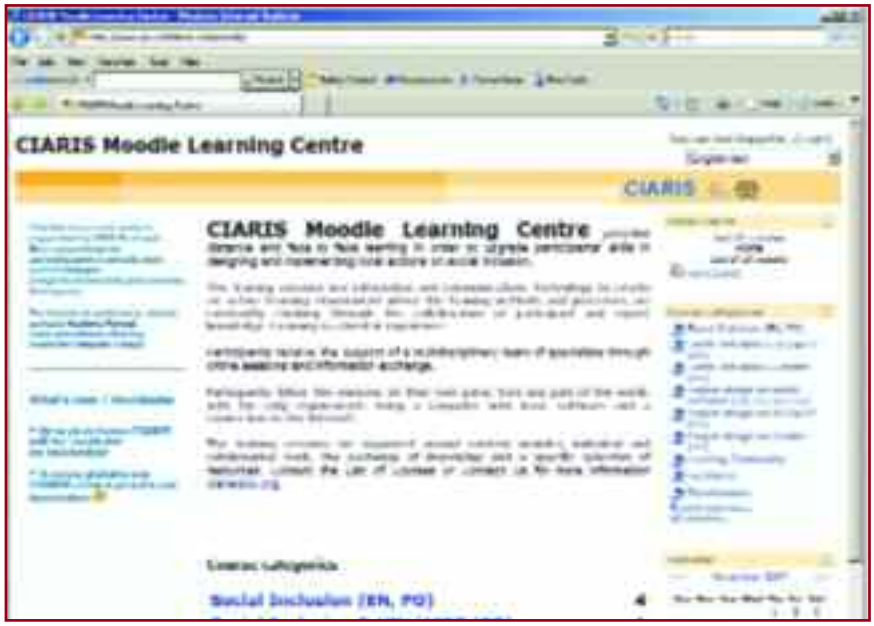

www.psi-conflisboa.com/moodle

A VIRTUAL WORKSHOP

अक्तूबर 2006 में आइएल्ओ, यूरोपियन आयोग तथा पुर्तगाल सरकार ने 'सामाजिक सुरक्षा तथा अन्तर्वे ान : वै िक परिदृ य दृश्टिकोण से केंद्राभिमुखी प्रयास' पर संयुक्त वि व सम्मेलन आयोजित किया। जेनेवा वि वविद्यालय तथा आरयूआइजी फ़ाउन्डे ान की साझेदारी में स्यारिस ने एक अंतरराश्ट्रीय परोक्ष कार्य ाला ;ट/द्ध का आयोजन किया, जिसमें निम्न विशयों पर परिचर्चा करने तथा विचारों के आदान–प्रदान का अतिरिक्त अवसर मिला :

- सामाजिक सहयोग को आधुनिक बनाते हुए तथा सामाजिक सेवाओं को सुधारते हुए सामाजिक अन्तर्वे ान को प्रोत्साहन देना;
- स्थानीय स्तर पर सामाजिक बहिश्करण से निबटने के लिए आर्थिक तथा सामाजिक प्रयासों को जोड़ना।

अधिक सूचना के लिए देखें :

सामर्थ्य–निर्माण : पुर्तगाली बोलता अफ़्रीका

पुर्तगाली–भाशी अफ़्रीका में, काप वेर्द को छोड़कर, वि व में ग़रीबी सबसे अधिक और मानव विकास सांकेतक सबसे कम हैं। उदाहरण के तौर पर मोज़ाम्बिक की 54 प्रति ात आबादी घोर निर्धनता से ग्रस्त है, और अधिकां ा लोगों को न तो सामाजिक सुरक्षा और न ही बुनियादी सुविधाएं – स्वास्थ्य, पेय जल, खाद्य सुरक्षा, ि ाक्षा इत्यादि – प्राप्त हैं।

सीमित सरकारी वित्तीय तथा संस्थागत क्षमता को देखते हुए, नागरिक समाज कर्ताओं के कंधों पर बहुत बड़ा भार आ जाता है। परन्तु 'पैलप' (पेइन्ज्–आफ़्रिकै द लांग ऑफ़िसिएल् पार्तुगेज़ – पैलप) दे ाों में सार्वजनिक तथा निजी कर्ताओं के पास भी बहुत ही कम संसाधन हैं। एनजीओज़ भी अभी हाल ही में विकसित हुए हैं, जबकि श्रमिक तथा नियोक्ता संगठन अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र – जहां ग़रीबी सबसे अधिक गहन है – सामाजिक तथा आर्थिक विकास गतिविधियों में प्रभाव ाली ढंग से भाामिल नहीं हैं।

सामाजिक बहिश्करण के विरुद्ध रणनीतियों को विधिपूर्वक व्यावहारिक रूप देने की आव यकता के संदर्भ में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही संगठनों में सामर्थ्य तथा अनुभव दोनों की कमी है। इस कारण सामर्थ्य निर्माण विकास प्रणालियों में मुख्य तत्व है।

मोज़म्बिक, काप वेर्द तथा मिनी बिसाऊ में 'स्टेप' कार्यक्रम द्वारा बुनियादी सामाजिक सुरक्षा नीतियों के निर्माण में पहले से ही दी जा रही तकनीकी सहायता के

अतिरिक्त स्यारिस का लक्ष्य है एक क्षमता नेटवर्क स्थापित करना तथा विकास कर्ताओं को वि व के अन्य भागों से जोड़ना।

'पैलप' दे ाों में स्थानीय संगठनों जैसे एडी (गिनी बिसाऊ), एन्जीओ मंच (काप वेड्र्द), मंडलेन वि वविद्यालय, सामुदायिक विकास संस्था (एफ्डीसी) तथा नियोक्ता संगठन ईकोसीडा (मोज़ाम्बिक) की साझेदारी से दूरवर्ती अध्ययन या सामुदायिक रेडियो द्वारा पाठ्यक्रम जैसे कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

बहिष्करण से संघर्श : ब्राज़ील

ब्राज़ील में बहिश्करण तथा सामाजिक असमानता मदद की गुहार कर रही है, लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए यथार्थवादी साधनों की ज़रूरत है। स्यारिस ने लैबटेक, रियो द जनेरो के संघीय वि वविद्यालय, तीसरे क्षेत्र हेतु सूचना तन्त्र (आरआइटीएस्), स्थानीय विकास तन्त्र (डीएलआइएस्) तथा नीग्रो एवं अन्य वंचित लोगों की सहायता हेतु आन्दोलन (मोविमेन्तो प्रे–वेस्तिबूलार पारा नेग्रोस ए कारेन्तेस – पीवीएन्सी) द्वारा संयोजित एक ब्राज़ीलियन नेट्वर्क (रिपोर्ट – रेज़ो पोर्ताइ त्रापिकाल स्यारिस) की स्थापना की है। इस नेट्वर्क ने कई स्वतंत्र गतिविधियां विकसित की हैं : इनमें भागिल हैं :

- रियो द जनेरो में श्रमिक संघ तथा सरकारी अधिकारियों को उत्कृश्ट श्रम, घाटा, वेतन, तथा श्रम की दुनिया में बढ़ती अनौपचारिकता इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर प्र िक्षण;
- नयी तकनालजी उपयोग द्वारा हाकारेपाग्वा (भिदादे द द्यूस) के स्थानीय विकास कार्यकर्ताओं के लिए प्रभाव ाली सहयोग स्थापित करना ताकि वहां विकास की गति तीव्र हो सके;
- ि िक्षा में नस्लवादी असमानताओं तथा सामाजिक बहिश्करण के बीच संघर्श के बारे में पीवीएन्सी सदस्यों

www.redecais.org.br

>>

यूरोपियन सामाजिक अन्तर्वेशन में योगदान

वर्श 2005 में पुर्तगाल में यूरोपियन निर्धनता विरोधी नेटवर्क, आइएल्ओ, तथा छह अन्य संगठनों ने 'मल्टीप्लिकर' परियोजना आरंभ की, जिसका उद्दे य है यूरोपियन सामाजिक अन्तर्वे ान रणनीति, खासतौर से राश्ट्रीय कार्रवाई योजनाओं तथा संस्तुतियों को प्रोत्साहित करने हेतु यूोपियन कार्य को सुझाव पे ा कराने में स्यारिस का उपयोग करना। अभी तक सात यूरोपियन दे ाों में 500 से अधिक संगठनों ने इस परियोजना से लाभ उठाया है तथा 33 लघु परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं।

वर्श 2007 में यूरोपियन आयोग ने अपने 'प्रगति' कार्यक्रम के द्वारा एक नयी परियोजना 'अंतर्वे ान सेतु' को अपना समर्थन नवीकृत किया तथा उस पर होने वाले व्यय को स्वीकृति दी। इस परियोजना में छह यूरोपियन दे ा भागिल हैं – बेल्जियम, बुल्गारिया, फ्रांस, पुर्तगाल, रोमानिया तथा स्पेन। यह द्विवर्शीय परियाजना स्यारिस की क्षमता को रोज़गार, कल्याण तथा सामाजिक अन्तर्वे ान के बीच 'पुलों' को और अधिक कार्यक्षम बनाने की आव यकता प्रद ान करने के लिए इस्तेमाल में लायेगी।

परियोजना तीन क्षेत्रों पर वि ोश ध्यान देती है :

- सामाजिक सुरक्षा/अन्तर्वे ान स्थानीय रणनीतियां विकसित करना, रोज़गार योजनाओं तथा अन्तर्वे ान के बीच 'पुलों' पर बल देते हुए सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक अन्तर्वे ान हेतु स्थानीय तथा क्षेत्रीय रणनीतियां विकसित करना;
- सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक अन्तर्वे ान नीतियों के बीच सामंजस्य को मज़बूत करना तथा और इन योजनाओं को बनाने और व्यवहार में लाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने में मुख्य कर्ताओं की भामूलियत को मज़बूत करना;
- योजनाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा उनके प्रभाव के मूल्यांकन में सुधार लाना।

www.ciarisportugal.org

>> की समझ बेहतर बनाना।

यूरोप में बहिष्करण से लड़ाई

पुर्तगाल में सामाजिक बहिश्करण के खिलाफ़ लड़ाई काफ़ी पुरानी है। वहां स्थानीय पहलों तथा राश्ट्रीय कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए स्यारिस ने लिस्बन की उद्यम तथा श्रमिक विज्ञान पर उच्च संस्था के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र की भागीदारी के साथ पुर्तगाली स्यारिस एजेंसी स्थापित की है।

यह एजेंसी वि ोशकर अन्तर्वे ानीय उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देती है। इसने एक ऐसा प्र ि ाक्षण कार्यक्रम स्थापित करने में योगदान दिया है, जिसका उद्दे य वि वभर से पुर्तगाली– भाशी प्र ि ाक्षुओं को एकसाथ लाना है।

सहयोग को प्रोत्साहन देना

अपने संस्थापन से ही स्यारिस सामाजिक अन्तर्वे ान तथा ख़ासतौर से सामाजिक सुरक्षा में अन्तर्वे ान पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। आइएल्ओ का स्टेप कार्यक्रम स्यारिस के दो मुख्य विशयों को वि ोश महत्व देता है : सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तारण एवं स्थानीय आर्थिक विकास के बीच संतुलन क़ायम करने की ज़रूरत को देखते हुए ि ाक्षण उपलब्ध कराना, तथा उपभोक्ताओं में आदान–प्रदान को प्रोत्साहन देना।

इसका क्या अर्थ है? हाल के वर्शों में वि वभर में, ख़ासतौर से लातीनी अमरीका में, एक नयी क़िस्म के सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम धन उपलब्धि (ार्तों के साथ या बना किसी भार्त के) ऐसे कार्यों के साथ जोड़ते हैं जो स्वास्थ्य तथा ि ाक्षा सेवाओं से लाभ उठाना सुसाध्य बनाते हैं (ब्राज़ील में बोल्सा फ़ैमिलिया, मेक्सिको में ऑपरतूनिडाडेस, यूरोप में न्यूनतम आय व्यवस्था) रोज़गार मुहैया कराते हैं (भारत में ग्रामीण रोज़गार योजना); या सुरक्षा तंत्रों, व्यावसायिक प्र ि ाक्षण तथा लघु वित्तीय सहायता इत्यादि से सामर्थ्य बढ़ाते हैं (बांग्लादे ा में 'ब्राक' योजना, देखें www.brac.net)

इन कार्यक्रमों को लेकर बहुत से प्र न उठते हैं, जैसे इन्हें उन दे ाों में कैसे लागू किया जाये जहां वित्तीय तथा संस्थागत सामर्थ्य कमज़ोर है, उनकी भार्तें तथा उद्दे य, उनके प्रभाव या विभिन्न परिस्थितियां तथा लक्ष्य, या उनके प्रभाव, तथा और भी बहुत सी समस्याएं हैं। इसलिए अंतरराश्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों के लिए ज्ञान का आदान–प्रदान बहुत आव यक है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम उत्कृश्ट श्रम से जुड़े कई मुद्दों का हल उपलब्ध करा सकते हैं; ख़ासकर बाल श्रम कम करने में ये काफ़ी प्रभावकारी रहे हैं।

सामाजिक बहिश्करण के ख़िलाफ़ संघर्श में प्रगति के लिए आइएल्ओ तथा अन्य विकास साझेदारों के बीच सहयोग की आव यकता है। बहिश्करण के बहुत से रूप हैं, वि ोशकर अफ़्रीका में – एच्आइवी/एड्स की महामारी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में वृद्धि, तथा लगातार जारी लैंगिक असमानता के कारण। स्यारिस संबंधित आइएल्ओ इकाइयों द्वारा संयोजित विशय–आधारित समुदायों या समूहों में काम करने की संभावना प्रदान करता है। उदाहरणस्वरूप, आइएल्ओ/एड्स के नेतृत्व में एक ऐसा ही समूह श्रम की दुनिया सामाजिक बहिश्करण तथा एच्आइवी/एड्स में संबंध पर कार्य कर रहा है, 'स्टेप' तथा एक अन्य समूह स्थानीय विकास संस्था द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा के विस्तारण हेतु प्रयास कर रहा है और आइएल्ओ लैंगिक ब्यूरो के तहत एक समूह बहिश्करण तथा लैंगिक असमानताओं के बीच संबंधों पर जुटा हुआ है।

ये उदीयमान समुदाय आइएल्ओ के बाहर तथा भीतर ज्ञान के आदान–प्रदान की सुविधाओं द्वारा विकास हेतु वि ाल सामर्थ्य रखते हैं। और यह अभी भारुआत है – ये ऑनलाइन समुदाय अंतरराश्ट्रीय सहयोग की प्रकृति को बदलने की क्षमता रखते हैं, सामाजिक कर्ताओं तथा नीति–निर्माताओं को अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने हेतु एक मंच प्रदान करते हैं, ज्ञान सुलभ बनाते हैं, तथा साझेदारी की सम्भावना बढ़ाते हैं।

स्यारिस से www.ciaris.org पर या इस लेख में वर्णित

श्रमशील चीन

वैश्वीकरण तथा उत्कृष्ट कार्य की चुनौती का सामना करते हुए

© M. Crozet/ILO

आइएल्ओ छायाकार मार्सेल क्रोज़े ने ऐसे देश की यात्रा की जो विभिन्नता से भरी है और वहां के मुख्य उद्योगों, जैसे सूचना और प्रसारण तकनीक, कपड़ा, निर्माण कार्य तथा खनन और कृषि के पारंपरिक स्वरूप में चीनी श्रमिकों को काम करते देखा।

चीन में हाल ही में आर्थिक संक्रमण में उसका वि व तथा वै ि वक बाज़ार प्रणाली से गहरा संबंध कायम हुआ। जहां आ चर्यजनक प्रगति हुई, वहीं उसे कठिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे अत्यधिक ग्रामीण बेरोज़गारी, रोज़गार की कमी तथा गांवों से भाहर की ओर बढ़ता प्रवास। दे ा अब संतुलित नीतियां चाहता है, जिससे सामाजिक स्थिरता के साथ आर्थिक परिवर्तन हो।

'चीन ने पिछले कुछ वर्शों में रोज़गार उत्पन्न करने तथा उत्कृश्ट श्रम प्रदान करने में असाधारण प्रगति की है,' चीन के श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री तिआन भोंगपिंग ने हाल ही में बीजिंग में आइएल्ओ ए ि ाया–पसिफ़िक फ़ोरम में आये प्रतिनिधियों से कहा। वे अपील करते हैं कि भाांतिमय श्रम संबंध के विकास तथा सुरक्षा को तरजीह दी जाये तथा श्रमिकों के क़ानूनी अधिकारों तथा हितों को गंभीरता से लिया जाये, तभी उत्कृश्ट श्रम कार्यान्वित हो सकता है।'?

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

- चीन में कपड़ा तथा वस्त्र उद्योग प्रमुख क्षेत्र है, इस वस्त्र करखाने में 1,100 कर्मचारी हैं, अधिकतर महिलाएं हैं
- हांग्झू के इस कारखाने में आठ–घंटे की तीन ि ाफ़्टों में आटो कल–पुर्ज़े बनाये जाते हैं।
- हांग्झू की एक अन्य कंपनी में यह चीनी श्रमिक एक दिन में 7,000 छाते बनाता है।

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

- *तांग ान में क्वियान्जियांग कोयले की खान में 93,000 श्रमिक कार्यरत हैं।*
- *ज़मीन से 850 मीटर नीचे : नयी ि ाफ़्ट आ रही है*

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

- *तियान्जिन मानव संसाधन विकास तथा सेवा केंद्र : इस रोज़गार संस्था में ?*
- *बीजिंग स्टे ान : कुली अपने सेवाएं दे रहा है*
- *अभी पहुंचे : प्रवासी श्रमिक चीनी राजधानी के नक ो को देखते हुए*
- *बीजिंग में निर्माण श्रमिक*

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

© M. Crozet/ILO

- *म ीनीकरण के बावजूद, निर्माण उद्योग अभी भी श्रम–आधारित है और रोज़गार में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के जोखिमों का श्रमिक अभी भी सामना कर रहे हैं।*
- *इनमें से कई श्रमिक चीन के ग्रामीण इलाकों के हैं।*
- *1992 में निर्माण कार्यों में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए एक नयी आइएलओ आचार संहिता स्वीकृत हुई। यह संहिता निर्माण क्षेत्रों में सुरक्षित तथा स्वस्थ श्रमिक स्थितियों को व्यावहारिक निर्दे ा देती है।*

© M. Crozet/ILO

श्रम ील चीन

© M. Crozet/ILO

- *हरे सोने की खेती : लॉन्गजिंग गांव के पास चाय की खेती*
- *चीन में वर्श 2004 में चाय का 800,000 टन उत्पादन हुआ*
- *आइएल्ओ का 'अपना व्यवसाय आरम्भ करो और सुधारो' (एस्आइवाईबी) कार्यक्रम धन–संबंधी विधि–तंत्र है जो 80 दे ाों में आरम्भ हुआ। पिछले दो वर्शों – वर्श 2004 तथा 2006 – में 120,000 श्रमिकों, बेरोज़गारों, लघु–उद्योग मालिकों तथा प्रवासियों को चीन के एस्आइवाईबी कार्यक्रम द्वारा प्र ाक्षित किया। इससे चीन के विभिन्न स्थानों पर क़रीब 200,000 नये रोज़गार पैदा हुए।*
- *सुश्री फ़ेंग युईंग ने एस्आइवाईबी कार्यक्रम में हिस्सा लिया : आल उसकी कढ़ाई का कारखाना है, जहां दो दर्जन कर्मचारी कार्यरत हैं।*

© M. Crozet/ILO

वैश्वीकरण पर श्रमिक संघों की प्रतिक्रिया

श्रमिक संगठन एक भूमंडलीकृत विश्व में कार्रवाई के नये तरीक़े तलाश रहे हैं। उनकी प्रति. क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के एक नये अध्ययन पर ऐन्ड्रयू बिबी की रिपोर्ट–

पिछले वर्ष सितंबर 30 देशों के 1,800 कार्यकर्ताओं ने इटली के आइबीएम् श्रमिकों के समर्थन में, जिनका कम्पनी से विवाद चल रहा था, आइबीएम् परिसरों के बाहर प्रदर्शन किया। परन्तु यह एक अलग क़िस्म का विरोध था। यह विरोध प्रकट किया गया था 'द्वितीय जीवन' (सेकंड लाइफ़) नामक एक वेबसाइट द्वारा जिसके क़रीब 70 लाख सदस्य हैं। प्रदर्शनकारी श्रमिक संघों की टी–शर्ट्स पहने हुए थे।

© AEB

यह दृश्टिकोण सरलता से अपनाया जा सकता है कि जहां पूंजी वै वक है, वहीं श्रम स्थानीय है; जबकि व्यापार ने अंतरराश्ट्रीय आधार पर क्रिया ीलता का ढांचा ढूंढ़ लिया है, श्रमिक संघ अभी भी वि व को एक संकीर्ण राश्ट्र आधारित दृश्टि से देख रहे हैं। 'द्वितीय जीवन' पर आइबीएम् के विरुद्ध प्रद नि (जो वै वक महासंघ यूएन्आइ द्वारा समन्वियत किया गया था) जो औद्योगिक कार्रवाई के भावी रूपों की एक झलक हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह कम से कम इतना तो द ाता ही है कि संघ वै वीकरण के जवाब में नये–नये अनूठे तरीक़े अपना रहे हैं। बे ाक, श्रमिक संघों द्वारा भूमंडलीकृत वै वक अर्थव्यवस्था से समायोजन समस्याओं से भरा है और इतना ही कहा जा सकता है कि 'काम चल रहा है'। तथापि, जैसा कि निबन्धों का यह महत्वपूर्ण संग्रह स्पश्ट करता है, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों ही रूपों में कुछ सार्थक घटनाएं हो रही हैं।

पुस्तक ' वै वीकरण पर श्रमिक संघों की प्रतिक्रिया', अनुसंधानकर्ताओं तथा श्रमिक संघों को वै वक अर्थव्यवस्था में हो रही घटनाओं के सम्मुख श्रमिक आंदोलन की प्रतिक्रियाओं का अन्वेशण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्श 2004 में स्थापित वै वक संघ अनुसंधान नेट्वर्क (ग्लोबल यूनियन रिसर्च नेट्वर्क – गर्न), के कुछ कार्यों को एकसाथ लेकर आयी है।

पुस्तक आइएल्ओ के श्रमिक गतिविधि ब्यूरो की वेरेना ि मट द्वारा संपादित की गयी है, जिन्होंने इसमें तीन साझे तथ्यों की पहचान की है – पहला, श्रमिक संघ अजेंडा के विस्तारण की आव यकता एवं गठबंधन निर्माण की भूमिका; दूसरा, नेटवर्क तथा मैत्री की भूमिका तथा तीसरा न्यायोचित वै वीकरण की प्राप्ति पाने में आइएल्ओ तथा श्रम मानकों की भूमिका।

निःसंदेह, वै वक व्यापार के बारे में कुछ नया नहीं है, जैसा कि पुस्तक में कोलम्बिया के केला उद्योग के बारे में एक निबन्ध ने स्पश्ट किया है। इस निबन्ध के अनुसार कुछ वि ालकाय वै वक कम्पनियों ने एक भाताब्दी से भी अधिक समय से केला व्यवसाय पर कब्ज़ा जमा रखा है। तथापि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सामाजिक तथा सामूहिक समझौते लगभग बिना किसी अपवाद के राश्ट्रीय सीमाओं के भीतर किये गये हैं। यह प्रवृत्ति संभवतः बदल रही है।

बे ाक, वै वक संघीय संस्थानों के परिवार – अंतरराश्ट्रीय श्रमिक संघ मंडल (दी इंटर्नै ानल ट्रेड यूनियन कन्फ़ेडरे ान – आइटीयूसी), ओईसीडी की श्रमिक संघ सलाहकार समिति (दि ट्रेड यूनियन अडवाइज़री कमिटी – टीयूसीए), तथा ख़ासतौर से 10 क्षेत्रीय वै वक संघीय मंडलों (जीयूएफ़्स) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जीयूएफ़्स ने बहुराश्ट्रीय उद्योगों के साथ बढ़ते अंतरराश्ट्रीय ढांचागत समझौतों में नेतृत्व किया है, और वै वक स्तर पर औपचारिक समझौतों का यह प्रारूप अब तक 30 से भी अधिक मामलों में अपनाया जा

[1] *Trade union responses to globalization: A review by the Global Union Research Network*, edited by Verena Schmidt. ILO and GURN, Geneva, 2007.

>>

© M. Crozet/ILO

>> चुका है। निर्माण तथा कश्ठ श्रमिक अंतरराश्ट्रीय संघ (बिल्डिंग ऐंड वुड वर्कर्स इंटर्नै ानल (बीडब्ल्यूआई) की मरीयन हेलमैन के अनुसार अंतरराश्ट्रीय ढांचागत समझौता कंपनियों की स्वैच्छिक व्यवहार संहिताओं से आगे बढ़ने का एक साधन उपलब्ध कराते हैं। वे कहती हैं कि ये संहिताएं व्यवसाय की एक चाल मात्र हो सकती है। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाली बहुराश्ट्रीय कंपनियां आइएल्ओ समझौतों के तहत श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करने की वचनबद्धता प्रकट करती हैं।' वे लिखती हैं।

सुश्री हेल्मन एक वि ोश ढांचागत समझौतों का विस्तृत वर्णन करती हैं। बीडब्ल्युआइ तथा स्वीडन की बहुराश्ट्रीय फ़र्नीचर कंपनी 'इकेआ' के बीच इस समझौते तथा दोनों सामाजिक साझेदारों द्वारा प्रकट की गयी वचनबद्धता के फलस्वरूप पोलैंड मलेि ाया तथा चीन जैसे विविध दे ाों में श्रम मानकों को ऊंचा करने में मदद मिली है। तथापि सुश्री हेल्मन इन समझौतों के विस्तार में आने वाली कुछ व्यावहारिक समझौतों की पहुंच बहुराश्ट्रीय कंपनियों के आपूर्तकों तथा उपठेकेदारों के तन्त्रों तक पर्याप्त रूप से विस्तृत करने में पे ा आती हैं। यह अंतिम मुद्दा – जो महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी बड़ी–बड़ी कंपनियां अपनी केन्द्रीय प्रक्रियाओं के कई पहलुओं को अधिकाधिक दूसरे दे ाों में निपटारे हेतु भेज रही हैं – पुस्तक के अन्य निबन्धों में भी उठाया गया है। इस मामले में स्पश्टतया परस्पर–विरोधी प्रवृत्तियां काम कर रही हैं। एक ओर, ऐसे काम को जो पहले कंपनी के कर्मचारी खुद करते थे। दे ाान्तरण करने का अर्थ हो सकता है श्रमिकों की बदतर स्थिति। एक निबन्ध में कैलिफ़ोर्निया की सिलिकॉन वैली तथा भारत के आइटी क्षेत्र बंगलूर में आइटी क्षेत्र पर दृश्टि डालते हुए ऐनिबल फ़ेरस–कॉमेलो संकेत देती हैं कि कम्प्यूटर्स तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मूल्यों में भारी प्रतिस्पर्धा अति–जटिल उप–ठेका श्रृंखलाओं को जन्म दे रही है। 'जहां यह एक सफल औद्योगिक रणनीति रही है, वहीं वि व के विभिन्न क्षेत्रों के मुल्कों में इन श्रृंखलाओं के निचले छोरों पर श्रमिकों के लिए इसके हानिकारक परिणाम हुए हैं। आइटी उद्योग में काम करने का अर्थ बहुधा होता है एक बहुस्तरीय ढांचे में अनियमित या छोटी अवधि के ठेके पर अनिि चत रोज़गार', वे लिखती हैं।

दो अन्य लेखक ऐस्थर द हान तथा माइकेल् कोएन, एक दे ाान्तरित उद्योग – दक्षिण तथा पूर्वी अफ़्रीका में कपड़ा निर्माण क्षेत्र – में केन्द्रीय श्रम मानकों की सुरक्षा में आने वाली समस्याओं का वर्णन करते हैं।

दूसरी ओर, वैि वक मूल्य श्रृंखलाएं – जो प्राथमिक उत्पादकों, निर्माताओं, बिचौलियों तथा खुदरा व्यापारियों को आपस में जोड़ती हैं – अधिकाधिक संबद्ध हो रही हैं, और यह संबद्धता इन श्रृंखलाओं के ऊपरी छोरों पर कंपनियों तथा ठेकेदारों को उत्तम श्रम स्थितियां उपलब्ध कराने के साधन के रूप में देखी जा सकती हैं। ली पेगलर तथा पीटर नॉरिंगा एक निबन्ध में वैि वक मूल्य श्रृंखला के वि लेशण के संघों हेतु निहितार्थों पर एक निबन्ध में कई मुद्दों पर अन्वेशण करते हैं। इनमें से एक मुद्दा यह है कि क्या इन श्रृंखलाओं में भाग लेने वाली कंपनियों ने श्रम स्थितियां बेहतर की हैं। तथापि, बहुराश्ट्रीय कंपनियों को हस्तान्तरण के साधन के रूप में देखा जा सकता है। ये कंपनियां अपने मूल दे ाों से औद्योगिक संबंधों के अन्तर्गत व्यवहारों का अन्य दे ाों के आपूर्तकों एवं ठेकेदारों को स्थानांतरण करती हैं और यह एक क्षेत्र है, जिस पर अधिक ध्यान देना संघों के वास्ते लाभकर हो सकता है। जैसा कि वेरेना ि मट कहती भी हैं, 'मूल्य श्रृंखलाएं श्रमिकों को कुछ अवसर प्रदान करती हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ–साथ संगठित होना प्रयास संकेन्द्रित करने तथा वर्तमान उत्तर–दक्षिण सहयोग प्रबन्धों से आगे बढ़ने का एक रास्ता हो सकता है।

तर्क दिया जाता है कि श्रमिक संघों को संघटित करने में एक बड़ी समस्या है, बहुराश्ट्रीय उद्योगों का अस्थिर स्वभाव : वे जहां भी लागत कम हो या सरकारी सहायता अधिक हो, स्थानान्तरित होने को तत्पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर निर्यात कोटा नियमों के बदलने के बाद, एि ायाई निवे ाकों के हाथ खींचने से दक्षिण अफ़्रीका का वस्त्र उद्योग हाल ही के वर्शों में बुरी तरह से

प्रभावित हुआ है। बुल्गारिया का वस्त्र उद्योग भी गंभीर सांघटनिक चुनौतियों से जूझ रहा है। नादेझ़्दा दस्कलोवा तथा ल्यूबेन् तॉमेफ़ बुल्गारिया में स्वतंत्र श्रमिक संघ मंडल द्वारा श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों का वर्णन करते हैं। 'बुल्गारिया में पड़ोस के मुल्कों से स्थानांतरित कई श्रमिक विदे ाी निवे ाकों की वस्त्र–निर्माण कंपनियों में श्रमिक न्यूनतम मज़दूरी पर 14–16 घंटे काम कर रहे हैं – जो कि सामाजिक तथा श्रम क़ानूनों का घोर उल्लंघन है,' वे लिखते हैं।

केवल पूंजी ही भ्रमण ाील नहीं हो सकती, अधिकाधिक भूमंडलीकृत हो रहे वि व में श्रम भी भ्रमण ाील हो सकता है। हाल ही में संयुक्त राश्ट्र ने बताया कि वि व के कुल 19 करोड़ 10 लाख प्रवासियों में से बहुसंख्यक श्रमिक तथा आश्रित हैं। और जैसा कि भलि–भांति विदित है, प्रवासी श्रमिक रोज़गार की ख़राब स्थितियों तथा कार्य में भाोशण के वि ोश रूप से ि ाकार होते हैं। कुछ परिस्थितियों में दे ा के श्रमिक बल में असंगठित प्रवासी श्रमिकों के कारण घरेलू श्रमिकों के हालात बदतर हो सकते हैं।

इन चुनौतियों से निबटने की श्रमिक संघों द्वारा पहलों पर इस संग्रह में दो बहुत महत्वपूर्ण निबन्ध हैं।

ऐन्–मारी लॉर्द – जिन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र की जीयूएफ़् पब्लिक सर्विसिज़ इन्टर्ने ानल द्वारा समन्वित हाल ही की परियोजना में एक मुख्य भूमिका निभायी थी – कैरिबियन क्षेत्र में अन्तःक्षेत्रीय प्रवास पर कैरिबियन सार्वजनिक संघों के कार्य द्वारा संयुक्त श्रमिक संघ अभिगमन के अवसरों का अन्वेशण करती हैं। जेन हार्डी तथा निक क्लार्क ने ब्रिटेन तथा पोलैंड में पोलि ा प्रवासी (मुख्यतः युवा) श्रमिकों, जो हाल ही में बड़ी संख्या में ब्रिटेन आये हैं, को संघटित करने के प्रयासों पर रिपोर्ट लिखी है।

यदि श्रमिक संघों द्वारा अधिक अंतरराश्ट्रीय सहयोगिता की आव यकता इस पुस्तक का एक संदे ा है, एक और विशय जो बार–बार उठाया गया है वह है श्रमिक संघों की अन्य संगठनों, वि ोशकर एनजीओज़ के साथ सहभागिताएं स्थापित करने की आव यकताएं। जैसा कि मार्गरेट फ़ानो तथा सूज़ैन फ़ैन्ज़्वे कहती हैं, 'राजनीतिक परिमाण इस क़दर बढ़ गये हैं कि कई क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों तथा विकास की वकालत में रुचि लेने वाले संगठनों के सरोकारों के साथ परस्पर व्याप्त होते हैं।' उनका अपना दृश्टिकोण नारीवादी है, जिसके अनुसार भूमंडलीकरण का सामना करने के वास्ते संघों के लिए यह आव यक है कि वे ऐसे ढांचे तथा कार्यविधियां विकसित करें जो महिला श्रमिकों एवं संघों की महिला सदस्यों को स ाक्त बनायें। 'श्रमिक आंदोलन के नवीनीकरण में संलग्न लोगों के लिए यह अत्याव यक है कि वे नव–उदार भूमंडलीकरण, श्रम बाज़ार तथा मुक्त व्यापार समझौतों में लैंगिक सोच–विचार के मौलिक प्रभावों से निपटें। हम लैंगिक वि लेशण का आग्रह इस कारण

© M. Crozet/ILO

करते हैं कि लैंगिक राजनीति श्रमिक संघों, भूमंडलीकरण तथा नव–उदारवादी अजेंडे को चुनौती देने वाले प्रयासों में अन्तर्निहित है,' वे कहती हैं।

एक सन्दे ा जो स्पश्टतया इस पुस्तक से निकाला है वह है संघों द्वारा अन्य संगठनों के साथ गठबंधन की आव यकता। एक अन्य संदे ा जिस पर लगभग सभी लेखकों ने ज़ोर डाला है, वह है न्यायोचित एवं समदृश्टिपूर्ण भूमंडलीकरण में आइएल्ओ तथा श्रम मानकों की प्रासंगिकता। जैसा कि सुश्री वेरेना ि मट कहती हैं, 'इस विशय में आइएल्ओ की भूमिका निहित थी उसके 1919 में स्थापना पर व्यक्त आधारभूत सिद्धांतों में, तथा निःसंदेह उसके द्वारा 1944 में किये गये आह्वान में – कि श्रम के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार न किया जाये। भूमंडलीय होती हुई अर्थव्यवस्था में कार्य स्थितियां बेहतर बनाने के वास्ते अन्तरराश्ट्रीय श्रम मानक एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होंगे,' वे कहती हैं।

इन प्रयासों के अन्तर्गत, पोलि ा प्रवासियों को ब्रिटेन के श्रमिक संघों में संगठित करने हेतु ब्रिटि ा ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के साथ कार्य करने के लिए पोलि ा महासंघ सॉलिडैरिटी ने एक कार्यकर्ता भेजा। पोलि ा संघों द्वारा प्रवास के इच्छुक पोलि ा श्रमिकों को विदे ा में उनके अधिकारों से अवगत कराने के प्रयासों का भी लेखकों ने वर्णन किया है। हालंकि इस प्रकार के सहयोग अभी प्रारम्भिक चरण पर हैं, अभी तक का अनुभव

प्लैनेट वर्क

A REVIEW OF TRENDS AND DEVELOPMENTS IN LABOUR ISSUES

बाल श्रम का सामना करता विश्व

सरकारें, नियोक्ता एवं श्रमिक संगठन तथा एन्जीओज़ बाल श्रम के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने में लगातार प्रगति कर रहे हैं। विश्वभर में इस विशय से संबंधित मीडिया वृतान्तों/विवरणों पर प्लैनेट वर्क की रिपोर्ट:

© P. Deloche/ILO

■ येमेनी सरकार ने हाल ही में बाल श्रम से जूझने के लिए एक नयी समिति बनायी है। श्रम तथा सामाजिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार येमेन में निर्धनता ने बाल श्रम को और भी गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट कहती है कि निर्धन परिवारों में बच्चे घर की ज़रूरतों और आय बढ़ाने हेतु काम करते हैं। वह कहती है कि जब तक निर्धनता रहेगी यह समस्या समाप्त नहीं होगी। येमेन में वर्श 1990 के बाद बाल श्रम और भी बुरे हालात में पहुंच गया है, सामाजिक सुरक्षा तन्त्र तथा उदार आर्थिक नीतियां तबाह हो गयी हैं। रिपोर्ट सुझाव देती है कि सरकार को एक प्रभाव ाली राश्ट्रीय कार्यक्रम अपनाना चाहिए जो सबसे कम विकसित तथा निर्धनतम समुदाय की पहचान करे और उन्हें ऐसी उत्पादक परियोजनाएं उपलब्ध कराये जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाकर बाल श्रम पर उनकी निर्धनता कम करें। दे ा में 78 प्रति ात निरक्षरता है, और पचास लाख बच्चे निरक्षर हैं। *(न्यूज़ येमेन, 22 सितंबर, 2007)*

■ भारत सरकार ने अक्तूबर 2006 में घरों, रेस्तरांज़, चाय की दूकानों तथा रिज़ॉर्ट्स में बच्चों को काम पर रखने पर पाबंदी लगा दी। राज्य सरकारें आतिथ्य क्षेत्र तथा घरों में काम पर रखे गये बच्चों की पहचान करने, उन्हें बचाने तथा उनके पुनर्वास के लिए कार्य योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार कर रही हैं। श्रम विभाग की राज्य तथा ज़िला स्तरों पर वि ाल जागरूकता–निर्माण प्रचार की भी योजना है। योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसे घरों में छापे मारना जहां 14 वर्श से कम उम्र के बच्चों को नौकर के तौर पर रखे जाने का सन्देह हो। यदि कहीं से पता चलता है कि फ़लां जगह बच्चा काम पर है तो श्रम विभाग की टीम वहां छापा मारती है। बच्चे को उस घर से निकाल लिया जाता है, और सुनि चित किया जाता है कि उसे अनौपचारिक ि ाक्षा का और यदि योग्य है तो किसी नियमित स्कूल में भर्ती का अवसर मिले। एन्जीओ 'बचपन बचाओ आंदोलन' दावा करता है कि केवल दिल्ली में 20 लाख

© ILO PHOTO

से भी अधिक बच्चे रेस्तरांज़ में काम कर रहे हैं। *(द हिंदू, 9 अक्तूबर, 2007; डीएन्ए इंडिया, 7 अक्तूबर, 2007)*

■ श्रमिक संघ 'सॉलिडैरिटी' दक्षिण अफ़्रीकी चॉकलेट निर्माताओं से कोको के स्रोत तथा कोको खेती में बाल श्रम पर नीतियों के बारे में अधिक जानकारी मांग रही है। संघ यह दावा करता है कि वि व में कोको की खेती में क़रीब 2,80,000 बच्चे काम कर रहे हैं। समाचार मिले हैं कि पि चमी अफ़्रीकी दे ा आइवरी कोस्ट, जो वि व में सबसे अधिक कोको पैदा करता है, में नौ–नौ साल के लड़कों को कोको खेती में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वि व के 43 प्रति ात कोको का उत्पादन यहीं होता है। सॉलिडैरिटी की लैंगिक समिति की समन्वयक आइलीन बैरी कहती हैं, 'अफ़्रीका में कोको की खेती में बाल श्रम का दुराग्रहपूर्वक उपयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद दक्षिण अफ़्रीका के लोग ऐसे कोको उत्पाद लगातार ख़रीद रहे हैं, जिनका स्रोत जबरन मज़दूरी है।' यह अनुमान लगाया गया है कि आइवरी कोस्ट के कोको उद्योग में 1,00,000 से भी अधिक बच्चे बद्तरीन किस्म के बाल श्रम हैं और इनमें से 10,000 गुलाम हैं। *(द टाइम्स, दक्षिण अफ़्रीका संस्करण, 9 अक्तूबर, 2007)*

■ बहुत से बच्चे संभवतः सैकड़ों बच्चे दक्षिणी किर्गिस्तान में सोवियत युग की त्यक्त कोयला खानों में काम कर रहे हैं। ग़रीबी से कुछ राहत पाने के लिए कई लोग स्वयं ही इन खानों की खुदाई में लग जाते हैं। खानों के संकरी होने के कारण पिता अकसर अपने बच्चों को इनमें भेज देते हैं। बच्चे जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं, और आमतौर पर बिना किसी पर्यवेक्षक के, जिससे दुघर्टना के समय मदद के लिए बुलाना उनके लिए कठिन हो जाता है। बच्चे पूरे वर्ष खराब मौसम में भी काम करते हैं और दुर्घटनाएं तथा मौतें आम हैं। एनजीओ कार्यकर्ता नूरजमाल माम्बेतोवा कहते हैं कि इस समस्या के हल के लिए हम सरकार को कहें तो भी कुछ हल निकलने की आ ा नहीं है। 'हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वह इन खानों को बंद करवा देगी या बारूद से उड़वा देगी, लेकिन समस्या इससे नहीं सुलझेगी। लोग फिर वहीं जायेंगे और खुदाई करने लगेंगे, क्योंकि उनके पास जीने का कोई दूसरा तरीक़ा नहीं है। हमें विकल्प की आव यकता है, अन्य रोज़गार या खानों में काम करने लायक परिस्थितियां। कुछ भी, लेकिन यह नहीं।' एक खनन दुर्घटना में अपना पति और बच्चा खो चुकी जुल्फ़िया कहती है, 'हम यहां बहुत हता ा हो चुके हैं'। लोग बच्चों को स्कूलों से निकालकर खान में काम के लिए भेज रहे हैं। यहां पैसा कमाने का कोई अन्य ज़रिया नहीं है।' *(बीबीसी, 24 अगस्त, 2007)*

■ न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने कॉलेज पॉएंट फ़ैक्ट्री में छापा मारकर 11 श्रमिकों को बाल श्रम क़ानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ़्तार किया। लेतीसिया क्लेमन्ते उनमें से एक है। लेतीसिया (16) पढ़ाई की आ ा से अमरीका आयी थी, लेकिन एक कारखाने में प्रति सप्ताह 50 घंटे काम करने लगी, बाल श्रम क़ानून द्वारा स्वीकृत घंटों से ठीक दुगुने। लेतीसिया को न्यूनतम वेतन से भी कम मज़दूरी मिलती थी। और काम के लंबे घंटों के कारण वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। उसके मालिक पति–पत्नी युंग तथा यी युंग र्यू के ख़िलाफ़ कोरिया गणराज्य में जालसाज़ी तथा बाल भोशण के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि लेतीसिया का अपराध साबित हुआ तो उसे एक वर्श की जेल हो सकती है और फिर उसे निर्वासित किया जा सकता है। *(न्यू यॉर्क डेली न्यूज़, 9 अक्तूबर, 2007)*

■ आइएल्ओ के सहयोग से लेबनन की हेरीरी फ़ाउन्डे ान ने सिडॉन में बाल श्रम के उन्मूलन के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्दे य से दो दिन की कार्य ाला का आयोजन किया। बाल श्रम विरोधी परियोजना की राश्ट्रीय निदे ाक बद्र अल्वी के अनुसार, लेबनान में 10–19 साल के क़रीब 38,000 कामगार बच्चे हैं। बाल श्रम से संघर्श में हेरीरी फ़ाउन्डे ान की बाल श्रम विरुद्ध परियोजना के अन्तर्गत सिडॉन के निजी तथा सार्वजनिक स्कूलों के छात्रों ने उन बच्चों की मदद के लिए अभियान चलाया जिन्हें स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया था। सिडॉन के छात्रों ने अपनी जेब ख़र्च में से 75 बच्चों को स्कूल बैग इत्यादि तथा पांच को स्टे ानरी, किताबें तथा ि ाक्षा भाुल्क दिया। *(डेली स्टार लेबनन, 9 अक्तूबर, 2007)*

आइएल्ओ शासी निकाय का 300वां सत्र

© M. Crozet/ILO

सहकारी, नियोक्ता तथा श्रमिक संघटकों के साथ कई मुद्दों पर – जिनमें मूल श्रमिक अधिकार तथा बदलते मौसम के रोज़गार पर प्रभाव भ्ाामिल थे – आइएल्ओ भ्ाासी निकाय ने अपने 300वें सत्र का समापन किया।

भ्ाासी निकाय का सत्र श्री दयन जयतल्लिके, संयुक्त राश्ट्र में श्रीलंका के राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि, की अध्यक्षता में 1–15 नवम्बर तक चला।

वैभवीकरण के सामाजिक परिमाण पर कार्यदल ने मौसम बदलाव तथा श्रम के बीच संबंध पर एक पैनल परिचर्चा आयोजित की जिसमें यूएन् वातावरण कार्यक्रम (यूएन्ईपी) के कार्यकारी निदेभ्ाक श्री आख़िम भटाइनर, विभव मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएम्डी) महासचिव मि ोल झ्ारो, यूएन् व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटैड) महासचिव सुपाचय पनिच्पक्दी, ब्रिटि ा उद्योग महासंघ (सीबीआइ) की वातावरण नीति समिति के प्रमुख मैथ्यू फ़ैरो तथा स्पेन के श्रमिक महासंघ (सीसीओओ) के व्यासायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं वातावरण सचिव, श्री होआक्विन निएतो, सम्मिलित थे।

हरित रोज़गारों में सामाजिक दृश्टि से न्यायपूर्ण संक्रमण को प्रोत्साहित करने के वास्ते आइएल्ओ प्रस्ताव के अलावा कार्यदल ने व्यापार एवं रोज़गार पर आइएल्ओ/वि व व्यापार संघ (डब्ल्यूटीओ) के संयुक्त अध्ययन संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई पर भी चर्चा की। इसमें वै वीकरण, व्यापार तथा अनौपचारिक रोज़गार पर एक नये संयुक्त अध्ययन हेतु तय्यारियां भ्ाामिल थीं।

भ्ाासी निकाय ने फ़रवरी 2007 में हुए आइएल्ओ तथा म्यांमार सरकार के बीच जबरन श्रम से पीड़ित लोगों द्वारा प्रति ोध के डर के बिना, राहत प्राप्त करने हेतु तन्त्र पर समझौते की समीक्षा की। सितम्बर 2007 के जन प्रद र्शनों तथा सरकार द्वारा उनके दमन तक इस समझौते की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, भ्ाासी निकाय ने हाल के भ्ाान्तिपूर्ण प्रद र्शनकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई पर गहरी चिन्ता व्यक्त की।

भ्ाासी निकाय ने म्यांमार सरकार से आग्रह किया कि वह उच्चतम स्तर पर स्पश्ट सार्वजनिक घोशणा करे कि पूरे दे ा में सभी प्रकार का जबरन श्रम प्रतिबन्धित है, तथा प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित किया जायेगा। सरकार को यह सुनि ित करना चाहिए कि समझौते द्वारा प्रदान किया गया तन्त्र पूर्णतः कार्य ील रहे तथा ि ाकायतकर्ताओं, उनके समर्थकों या अन्य लागों की भविश्य में कोई गिरफ़्तारी या उत्पीड़न न हो, तथा यह सेना अधिकारियों पर भी लागू हो। बाल सैनिकों की भर्ती रोकने पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

भ्ाासी निकाय ने आइएल्ओ को आदे ा दिया कि वह म्यांमार सरकार के साथ समझौते के तहत कार्य की पूरी समीक्षा करे तथा उसे समझौते के भविश्य और म्यांमार में जारी आइएल्ओ भूमिका पर संस्तुतियों सहित वर्श 2008 के भ्ाासी निकाय ने चौथी बार उन क़दमों पर विचार किया जो 2004 के जांच आयोग तथा आइएल्ओ द्वारा जून 2007 में उस दे ा में भेजी गयी टीम की संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रोत्साहित करने हेतु लिये गये थे।

ब्येलरूस के श्रम मंत्री द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी का संज्ञान लेते हुए भ्ाासी निकाय ने श्रमिक संघ संबंधी क़ानून पर सभी पक्षों के साथ समझौता करने हेतु सरकार के व्यक्त इरादे का स्वागत किया। भ्ाासी निकाय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी श्रमिक संघ तथा नियोक्ता संगठन स्वतंत्रता से कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए तथा उन्हें क़ानूनी एवं व्यावहारिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यह आ ा

व्यक्त करते हुए कि ब्येलरूस में संतोशजनक समाधानों की ओर अर्थपूर्ण प्रगति होगी, भाासी निकाय ने उस दे ा में संगठन की स्वतंत्रता हेतु उठाये गये क़दमों की अपने वर्श 2008 के सत्र में समीक्षा करने का नि चय किया।

भाासी निकाय ने संगठन की आज़ादी पर आइएल्ओ समिति की 348वीं रिपोर्ट का अनुमोदन किया। रिपोर्ट कोलम्बिया, झिबूती, इथियोपिया, ग्वातेमाला तथा इन्डोनेि ाया में स्थिति की ओर वि ोश ध्यान दिलाती है।

संबंधित दस्तावेज़ों के लिए संपर्क करें *http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/gb/CurrentSession/lang--en/commId--ALL/WCMS_083598/index.htm*

न्यायोचितवैश्वीकरण हेतु
उत्कृष्ट श्रम पर लिस्बन फ़ोरम
'उत्कृष्ट श्रम आंदोलन' के लिए रास्ता बनाया

लिस्बन में 31 अक्तूबर से 2 नवम्बर तक 'न्यायोचित वै वीकरण हेतु उत्कृश्ट श्रम' पर आयोजित आइएल्ओ फ़ोरम ने वै वीकरण को अधिक न्यायसंगत बनाने तथा वैि वक आर्थिक उथल–पुथल के लोगों के रोज़गार तथा जीविका पर प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए 'उत्कृश्ट श्रम आन्दोलन' का मार्ग प्र ास्त किया।

© M. Crozet/ILO

आइएल्ओ महानिदे ाक हुआन सोमाविया ने 300 से भी अधिक सरकार, श्रमिक, नियोक्ता, संसदीय, नागरिक समाज तथा लोकमत नेताओं को लिस्बन फ़ोरम में संबोधित करते हुए कहा, 'मैं एक बहुत ही व्यावहारिक आंदोलन को ऊपर उभरते देख रहा हूं। आज लोग वाक्पटुता नहीं, परिणाम चाहते हैं।'

फ़ोरम ने कई वै वीकरण संबंधित मुद्दों तथा उत्कृश्ट श्रम को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय धारणीयता तथा अन्तर्वे ानीयता हेतु निर्णायक मानते हुए उसे प्रोत्साहित करने के तरीक़ों पर विचार किया। मुख्य विशय जिन पर परिचर्चा हुई उनमें सम्मिलित थे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, प्रि ाक्षण तथा कौ ाल, प्रवास तथा युवा रोज़गार। फ़ोरम में अंतरराश्ट्रीय प्रणाली में नीति सुसंगति हुई। यूएन् के मुख्य कार्यकारी बोर्ड (चीफ़ एग्ज़ेक्युटिव्ज़ बोर्ड – सीईबी) द्वारा हाल ही में स्वीकृत 'रोज़गार तथा उत्कृश्ट श्रम को मुख्यधारा में लाने हेतु साधन' को आगे बढ़ने के एक व्यावहारिक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया।

फ़ोरम को यूरोपियन आयोग का समर्थन प्राप्त था, और उसकी मेज़बानी पुर्तगाली सरकार ने की थी। उस समय पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन (रीयू) का अध्यक्ष था।

मुख्य वक्ताओं में थे –पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जोज़ सॉक्रेटीज़, एसियान के महा सचिव डॉ. सूरिन पित्सुवां, पुर्तगाल के श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री होज़े श्री अन्तोनियो दा सिल्वा; ईयू रोज़गार, सामाजिक मामले तथा समान अवसर आयुक्त श्री व्लादीमीर स्पिद्ला, अंतरराश्ट्रीय नियोक्ता संगठन के अध्यक्ष श्री ऐब्रहम काट्ज़, यूएन् सीईबी की कार्यक्रमों पर उच्च–स्तरीय समिति के उपाध्यक्ष श्री मैट्स कार्लसन, अंतरराश्ट्रीय श्रमिक महासंघ (इन्टर्नै ानल ट्रेड यूनियन कॉन्फ़ेडरे ान – आइटीयूसी) महासचिव श्री गाए राइडर; अधिकारों पर वैि वक पहल संस्था (रीअलाइज़िंग राइट्स : दि एथिकल ग्लोबलाइज़े ान इनि ाटिव) अध्यक्ष सुश्री मेरी रॉबिन्सन; आइएल्ओ भाासी निकाय के श्रमिक उपाध्यक्ष सर लरॉए ट्रॉटम्न, आइएल्ओ भाासी निकाय के नियोक्ता उपाध्यक्ष श्री डैनियल फूनेस द रिओहा; तथा आइएल्ओ भाासी निकाय के अध्यक्ष डॉ. दयन जयतिल्लेका।

फ़ोरम के संयोजन का विचार आइएल्ओ द्वारा

>>

स्थापित 'वै वीकरण का सामाजिक परिमाप' पर वि व आयोग की वर्श 2004 में जारी रिपोर्ट में पे ा किया गया था। उसने न्यायोचित तथा समदृश्टीपूर्ण वै वीकरण की ज़रूरत पर अन्तरराश्ट्रीय संवाद प्रारम्भ किया और उसे मज़बूत वै िवक समर्थन मिला। यूएन् वि व ि ाखर बैठक (वर्श 2005) तथा परिशद की बैठक (वर्श 2006) द्वारा न्यायोचित तथा समदृश्टिपूर्ण वै वीकरण एवं उत्कृश्ट श्रम की आव यकता का वै िवक अनुमोदन किया गया।

फ़ोरम के मुख्य अं ा, पृश्ठभूमि तथा दिये गये वक्तव्यों को जानने के लिए देखें www.ilo.org

नयी आइएल्ओ रिपोर्ट दर्षाती है कि श्रम की दुनिया में मातृ मौतों को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है।

© M. Crozet/ILO

लंदन में 18–20 अक्तूबर, 2007, को आयोजित वि व प्रसव सम्मेलन में प्रस्तुत रिपोर्ट[1] के अनुसार कई विकास ील दे ों में मातृत्व अवका ा केवल कुछ वेतनभोगी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलता है। मातृ–स्वास्थ्य पर सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 5 की उपलब्धि में और उसके प्रति वचनबद्धता की 109 दे ों से आये वै िवक नेताओं तथा प्रतिनिधियों ने समीक्षा की।

हर दिन हर मिनट, एक महिला गर्भावस्था या प्रसव के दौरान दम तोड़ देती है। आइएल्ओ रिपोर्ट के अनुसार वर्श 2006 में वि व की प्रजनन आयु की महिलाओं में से लगभग 60 प्रति ात श्रम बल में थीं और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के जीवन में मज़दूरी सहित श्रम का महत्व यह वांछनीय बना देता है कि उनका तथा उनके बच्चों का स्वास्थ्य सुनि ित करने तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें मातृत्व संरक्षण मिले।

यह देखते हुए कि वि वभर में बहुत सी महिलाएं – जो क़ानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से बाहर हैं और जिन्हें ग़रीबी निम्न–स्तरीय श्रम–परिस्थितियों में काम करने और प्रसव के बाद बहुत जल्दी काम पर लौट आने को मजबूर करती हैं – निरा ाजनक स्थिति में हैं, मातृ–स्वास्थ्य बेहतर बनाने हेतु प्रयासों को सुदृढ़ करने के वास्ते श्रम की दुनिया आ ाजनक अवसर उपलब्ध कराती है। मातृत्व संबंधी भेदभाव तथा उन जोखिमों का प्रभाव जिनका सामना कामगार महिलाएं गर्भावस्था में तथा प्रसव के बाद करती हैं, कम करने के लिए यह रिपोर्ट सामाजिक तथा क़ानूनी तरीक़े सुझाती है और छुट्टियों के प्रावधान तथा श्रम स्थितियां सुधारने की आव यकता पर बल देती है। उसके अनुसार रसायन, कीटना ाक, श्रम के लंबे घंटे, भारी काम तथा मज़दूरी–सहित छुट्टियों का अभाव, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे बड़े ख़तरे हैं।

रिपोर्ट सभी को सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने, महिलाओं तथा उनके परिवार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर ख़र्च की भरपाई हेतु बीमा व्यवस्था करने, तथा उनकी पहुंच मातृत्व व प्रासविक सेवाओं में बढ़ाने के लिए प्रयासों हेतु आह्वान करती है। अन्त में रिपोर्ट कहती है कि कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के निम्न स्तर के कारण हैं ख़राब कार्य स्थितियां, कर्मचारियों की कमी तथा कुछ जगहों में एच्आइवी/एड्स संक्रमण। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आव यक है स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य में सुधार के लिए वै िवक कार्रवाई।

आइएल्ओ के अंतरराश्ट्रीय श्रम मानक इन सभी क्षेत्रों में राश्ट्रीय क़ानून तथा कार्रवाई के लिए मार्गद ान उपलब्ध कराते हैं।

आइएल्ओ का मातृत्व समझौता, 2000 (संख्या 183), कार्यस्थल पर मातृत्व सुरक्षा के लिए बुनियादी आव यकताएं नियत करता है। इनमें ाामिल है : प्रसव से पहले और बाद में अवका ा का अधिकार, धन तथा चिकित्स्कीय लाभ, श्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा, कार्य के दौरान स्तनपान के लिए बीच में अवका ा, रोज़गार सुरक्षा तथा समान व्यवहार।

सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) एवं नर्सिंग कर्मचारियों पर अन्तरराश्ट्रीय समझौते (संख्या 102, 149) तथा अन्य ऐसे समझौते तथा श्रम एवं रोज़गार की

[1] *सुरक्षित मातृत्व तथा श्रम की दुनिया, अन्तरराश्ट्रीय श्रम कार्यालय, जेनेवा, 2007*

स्थितियों पर सर्वत्र मान्य सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्रवाई के ढांचे प्रदान करते हैं।

महिलाओं के लिए सुरक्षित मातृत्व अधिकार सुनि चत करने के लिए अनेक आइएल्ओ तकनीकी सहयोग परियोजनाएं आरम्भ की गयी हैं। बुर्किना फ़ासो में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों को संगठित करने की मुहिम के अन्तर्गत नयी माताओं को मज़दूरी–सहित मातृत्व अवका ा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की प्राप्ति में मदद देने की योजना है। जॉर्डन में, आइएल्ओ ने दे ा में उत्तम तथा सुलभ मातृत्व सुरक्षा प्रणाली की व्यवहार्यता पर सरकार, नियोक्ता तथा श्रमिक संगठनों का मार्गद न किया। कम्बोडिया में कपड़ा कारखानों के मालिक कार्यक्षेत्र में मातृत्व सुरक्षा को सुधारने तथा कारखानों में स्वस्थ गर्भावस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कारखानों में ि ाक्षा

अन्तरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 2007

विकलांगों के लिए उत्कृष्ट श्रम पर ज़ोर

अंतरराश्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर जारी आइएलओ की नयी रिपोर्ट 'विकलांगों को उत्कृश्ट श्रम का अधिकार' के अनुसार वि वभर में 65 करोड़ लोग अ ाक्त हैं – इनमें से अधिकतर लोग विकास ील दे ों में हैं। हालांकि हाल के वर्शों में उनके जीवन में सुधार आया है, अभी भी करोडों अ ाक्त व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो रहा है।

© M. Crozet/ILO

रिपोर्ट के अनुसार, उपलब्ध आंकड़े द ार्ाते हैं कि अन्य श्रमिकों की तुलना में अ ाक्त श्रमिकों की निश्क्रियता दर अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर वर्श 2003 में यूरोपियन संघ में श्रम आयु के अ ाक्त व्यक्तियों में से 40 प्रति ात कार्यरत थे, जबकि सक्षम व्यक्तियों की प्रति ातता 64.2 थी। यूरोपीय संघ में श्रम आयु के अक्षम व्यक्तियों में से 52 प्रति ात आर्थिक रूप से निश्क्रिय हैं, जबकि सक्षम व्यक्तियों की प्रति ातता 28 है। अपंग लोगों, ख़ासकर महिलाओं, के लिए श्रम बाज़ार में प्रतिकूल स्थितियां होती हैं। सक्षम लोगों के मुक़ाबले ये अधिक निश्क्रिय या बेरोज़गार होते हैं, और कम कमाते हैं। वयस्क जीवन की भ ुरुआत में उन्हें कुण्ठा, हता ा घेर लेती हैं, और रोज़गार के अपने सपने धूल में मिलते देख बेहाल होने लगते हैं।

वैि वक रिपोर्ट कई अन्य चुनौतियों का भी वर्णन करती है, जिनका सामना अक्षम व्यक्तियों को श्रम की दुनिया में करना पड़ता है। उन्हें आमतौर पर निम्न–स्तरीय, कम–आय वाले काम दिये जाते हैं, और उच्च स्तर पर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता। यातायात तथा निवास की समस्याएं, साथ ही नियोक्ताओं, सह–कर्मियों तथा आम जनता का उनके प्रति पूर्वाग्रह स्थितियां और भी कठिन कर देती हैं।

पिछले दो द ाकों में मुख्य सुधार रहा दिसम्बर 2006 में यूएन् महासभा द्वारा अपनाया गया संयुक्त राश्ट्र अपंग व्यक्ति अधिकार समझौता। यह समझौता अक्षम लोगों के लिए दूसरों के बराबर मानव अधिकार सुनि चत करने हेतु सभी साझेदारों को मिलकर आगे बढ़ने के वास्ते एक मंच प्रदान करता है। इस नये यूएन् समझौते के सिद्धांत आइएल्ओ मानकों के अनुरूप हैं, जिनमें 80 दे ों द्वारा अनुसमर्थित व्यावसायिक पुनर्वास तथा रोज़गार (अपंग व्यक्ति) समझौता, 1983 (संख्या 159), भी भ ामिल है।

रिपोर्ट का निश्कर्श है कि अपंग लोग अच्छे, भरासेमंद कर्मचारी साबित हो सकते हैं जो नौकरी

>>

© M. Crozet/ILO

में टिके रहते हैं, परन्तु उनकी क्षमता का आमतौर पर बहुत कम इस्तेमाल होता है।

आइएल्ओ ने जेनेवा में अपने मुख्यालय में 'अपंग लोगों के लिए उत्कृश्ट श्रम' पर एक पैनल परिचर्चा आयोजित की। जो वि व के उन प्रयासों में भाामिल थी, जो अपंगता के मुद्दों की बेहतर समझ प्रोत्साहित करने तथा अपंग व्यक्तियों के सम्मान, अधिकारों तथा कल्याण हेतु समर्थन जुटाने के उद्दे य से किये जा रहे हैं। इस 'दिवस' को मनाने के लिए वि व भर में समारोह आयोजित किये गये। (अधिक सूचना के लिए देखें *http://www.ilo.org/global/Themes/Skills_Knowledge_and_Employability/lang-en/index.htm*

वैश्विक श्रम उत्पादन प्रणालियों के श्रम तथा सामाजिक पहलू

वि वभर के दे ाों में 'वै वक मूल्य श्रृंखलाओं', में वै वक आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा वै वक स्रोत श्रृंखलाओं के ज़रिये वि व के बाज़ारों के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लोगों की भागीदारी वै वकरण की भाायद सबसे ठोस तथा प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। नीति वातावरण को इस प्रकार सुधारने में कि वै वक उत्पादन प्रणालियां सभी को लाभ उठाने का अवसर उपलब्ध करायें, व्यवसाय की मदद करने के उद्दे य से आइएल्ओ ने जेनेवा में 17–19 अक्तूबर 2007, को 'अंतरराश्ट्रीय वै वक उत्पादन प्रणालियों के श्रम तथा सामाजिक पहलू : व्यापार हेतु मुद्दे' पर एक अंतरराश्ट्रीय गोश्ठी आयोजित की।

इस गोश्ठी ने, जिसमें नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया भावी उन्नति के लिए वै वक उत्पादन प्रणालियों के निहितार्थ तथा उसमें ख़तरों एवं अवसरों की बेहतर समझ हेतु प्रयास किये। वक्ताओं में मुख्य वै वक ख़रीदार तथा आपूर्ति संस्थाओं के प्रतिनिधि, अकादमिक विचारक, श्रमिक संघ नेता तथा वै वक मुद्दों में सक्रिय एन्जीओज़ के प्रतिनिधि भाामिल थे।

अपने निश्कर्शों में गोश्ठी ने कहा कि वै वक उत्पादन प्रणालियां लोगों का जीवन सुधारने, निर्धनता कम करने तथा उत्कृश्ट श्रम के वै वक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रगति का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करा सकती हैं। तथापि वै वक उत्पादन प्रणालियों को धारणीय बनाने के लिए यह आव यक है कि सभी पक्ष मानव अधिकारों, श्रम मानकों एवं पर्यावरण को सम्मान दें।

निश्कर्शों में वै वक उत्पादन प्रणालियों के लिए नियन्त्रक ढांचे को भाक्ल देने में राश्ट्रीय क़ानून तथा राज्य की भूमिका तथा उस क़ानून को सभी पर समान रूप से लागू करने पर ज़ोर दिया गया। मानव तथा श्रम अधिकारों के केंन्द्रीय अंतरराश्ट्रीय मानक इस नियन्त्रक ढांचे के महत्वपूर्ण भाग होने चाहिए।

'मुलायम क़ानून' – जैसे कि कम्पनी नियम तथा स्वैच्छिक एवं खरीदार आचार संहिताएं – नियन्त्रक ढांचे के पूरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह औपचारिक क़ानून के प्रावधानों से परे उत्तम व्यवहार पर मार्गद र्न कर सकता है, तथा विभिन्न परिस्थितियों में काम कर रही अनेक कम्पनियों से निपटने में आव यक लचीलापन उपलब्ध करा सकता है।

जहां तक व्यापार संस्थाओं का प्र न है, बैठक का निश्कर्श था कि उन्हें अधिक से अधिक कंपनियों को अपना सदस्य बनाना चाहिए तथा अन्य कर्ताओं – वि ोशकर दूसरे व्यापार समूहों – के साथ सहभागिताओं का निर्माण करना चाहिए। नियोक्ता संगठन अपने उन सदस्यों की जो वै वक उत्पादन प्रणालियों में लिप्त हैं, सामाजिक श्रम मानकों के अनुपालन में मदद कर सकते हैं। इस मदद में संबद्ध मानकों के बारे में जागरूकता का स्तर बढ़ाना, उत्तम व्यवहार पर जानकारी एवं पराम र्श देना, उत्पादक सुधार हेतु प्र िक्षण उपलब्ध कराना तथा स्वरूपण अभियान भाामिल किये जा सकते हैं।

इक्कीसवीं सदी में संघीय शिक्षा

जेनेवा में आइएल्ओ मुख्यालय में 8–12 अक्तूबर, 2007, को 45 से भी अधिक दे ाों के 150 श्रमिक संघों के प्रतिनिधि सामाजिक–आर्थिक नीतियों तथा विकास रणनीतियों को प्रभावित करने हेतु श्रमिक संघों की क्षमता को मज़बूत करने के तरीक़ों पर चर्चा के लिए मिले। वै वीकरण द्वारा श्रम की दुनिया में लाये जा रहे तीव्र परिवर्तनों से निपटने के प्रयासों में श्रमिक ि ाक्षा गतिविधियों का केन्द्रीय स्थान है।

© M. Crozet/ILO

श्रमिकों की ि ाक्षा में श्रमिक संघों की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक गोश्ठी का उद्दे य था राश्ट्रीय क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर श्रमिक ि ाक्षा गतिविधियों का मूल्यांकन करना तथा श्रमिक ि ाक्षा की आव यकताओं को पहचानना। उनसे सीख तथा भावी कार्यों पर चर्चा के अलावा प्रतिनिधियों ने आइएल्ओ के उत्कृश्ट श्रम अजेंडा को लागू करने में श्रमिक ि ाक्षा की भूमिका को भी जांचा। सभा ने श्रमिक संघों की क्षमता का निर्माण करने और उसे बढ़ाने के तरीके विकसित किये, तथा श्रमिक ि ाक्षा केन्द्रों की भूमिका और श्रमिक ि ाक्षा के नये तरीक़े एवं तकनीक की समीक्षा की।

हर वर्श वि वभर में श्रमिक ि ाक्षा के ज़रिये लाखों संघ सदस्यों को भर्ती एवं संगठन के तरीक़े, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मुद्दों, कार्यस्थल पर अधिकार, समानता तथा अन्य बहुत सी बातों में प्र ि ाक्षित किया जाता है। कई दे ाों में यह केवल कार्यस्थल–स्तर के मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि श्रमिक संघों की भूमिका, लोकतंत्र को मज़बूत करने, सामाजिक न्याय हेतु संघर्श तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी श्रमिकों की जागरूकता बढ़ाती है। उत्कृश्ट श्रम को प्रोत्साहन देने में भी श्रमिक संघ ि ाक्षा महत्वपूर्ण है। गोश्ठी में भाग लेने वालों ने सरकारों से आग्रह किया कि वे श्रमिकों के मौलिक अधिकारों – वि ोशकर संगठन तथा सामूहिक समझौतों की आज़ादी का पूर्ण सम्मान करें तथा उन्हें प्रोत्साहन दें। ये संघीय ि ाक्षा सुनि ित करने के साधन हैं और राश्ट्रीय उत्कृश्ट श्रम कार्यक्रम के विकास में बुनियादी भूमिका निभा सकते हैं।

आज, श्रमिक संघों तथा उनके प्र ि ाक्षण कार्यक्रमों को आर्थिक वै वीकरण के प्रभावों, उत्कृश्ट श्रम की मांग, एच्आइवी/एड्स के फैलाव तथा उनसे ग्रस्त लोगों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध संघर्श, मौसम में परिवर्तन, प्रवास तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार को ध्यान में रखना होगा। श्रमिकों के प्रतिनिधियों को पेचीदे सौदों : आर्थिक एकीकरण प्रक्रियाओं, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों, लचीली सुरक्षा पर तथा बहुराश्ट्रीय कंपनी परिशदों – के साथ पेचीदी बातचीत की ज़िम्मेवारी संभालने हेतु निरन्तर विकसित हो रही श्रमिक ि ाक्षा ने पिछले कुछ वर्शों में अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत कर लिया है, तथा उसने ि ाक्षा प्रणाली के वि वविद्यालय सहित सभी स्तरों पर पारगमन व्यवस्थाएं स्थापित की हैं।

तूरिन के अंतरराश्ट्रीय प्र ि ाक्षण केंद्र में श्रमिक गतिविधि कार्यक्रम भी पीछे नहीं है। वह हर वर्श सैकड़ों सैकड़ों श्रमिक संघ नेताओं को प्र ि ाक्षण देता है। इससे साबित होता है कि आइएल्ओ श्रमिक ि ाक्षा द्वारा श्रमिक संगठनों की क्षमता सुदृढ़ करने को कितना महत्व देता है।

अतिरिक्त जानकारी के लिए आइएल्ओ श्रमिक गतिविधि ब्यूरो ने एक दस्तावेज़ जारी किया है, जो वि व में श्रम ि ाक्षा पर दृश्टि डालता है : 'श्रमिकों की ि ाक्षा में श्रमिक संघों की भूमिका : श्रमिक संघ सामर्थ्य

© M. Crozet/ILO

Peter Auer with the 2007 Human Resources Prize

अग्रणी कार्य को मिला मानवशक्ति संस्था का मानव संसाधन पुरस्कार, 2007

रोज़गार हेतु मानव ाक्ति संस्था (ल' ऐंस्तीत् मैनपाउर पूर ल' आंप्लवा) द्वारा स्थापित मानव संसाधन पुरस्कार वर्श 2007 के लिए आइएल्ओ वि लेशण एवं भोध इकाई अध्यक्ष पीटर ऑएर तथा बर्न्नर्ड गाज़िए को उनकी पुस्तक 'अप्राप्य रोज़गार सुरक्षा' (ल' ऐंत्रूवाब्ल सेकूरिते द् आंप्लवा) को प्रदान किया गया।

पुरस्कार समारोह 2 अक्तूबर को पैरिस में फ़्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री तथा विएन्न के वर्तमान सेनेटर झां–पिएर राफ़ारैं की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

1995 में मानव संसाधन पुरस्कार की स्थापना हुई, जो मानव संसाधनों या प्रबंधन के विशय पर ऐसे अग्रणी प्रका ान को प्रदान किया जाता है जो निर्णय लेने में वास्तविक रूप से सहायक सिद्ध हो।

पुरस्कृत पुस्तक वै वीकरण द्वारा पैदा की जा रही आ ांकाओं के संभावित प्रतिकारों पर चर्चा करती है। हमारे रोज़गार का क्या होगा? हमें कितनी मज़दूरी मिलेगी? हमारी कार्य स्थितियां कैसी होंगी? श्रमिक संघों, अर्थ ाास्त्रियों तथा राजनयिकों ने – श्रम बाज़ार लचीलेपन एवं मानव सुरक्षा, दोनों, को ध्यान में रखते हुए– ऐसे प्र नों का उत्तर देने का प्रयास किया है।

राश्ट्रीय दृश्टिकोण ने ऊपर उठते हुए, ऑएर बनर्ड गाज़िए 'लचीली सुरक्षा' पर चर्चा में अधिक स्पश्टता लाते हैं। वै वीकरण से उपजती समस्याओं का आत्मवि वास के साथ सामना करने का आह्वान करते हुए, उनकी पुस्तक फ़्रांस में श्रम बाज़ार के सामाजिक नियन्त्रण में सामाजिक संवाद द्वारा समर्थित पुर्वोपायों सहित बदलाव की ओर ध्यान दिलाती है।

युवा रोज़गार पर स्रोत निर्देशिका

© M. Crozet/ILO

आइएल्ओ पुस्तकालय ने युवा रोज़गार पर एक नयी स्रोत निर्देशिका प्रस्तुत की है। युवा रोज़गार पर जो भी अनुसंधान आरंभ करना चाहता है, निर्देशिका उसे आइएल्ओ के इस विषय पर अन्य प्रकाशनों, आइएल्ओ श्रम मानकों तथा डेटा, और विश्वभर के अन्य संसाधनों से जोड़ती है।

अधिक सूचना के लिए संपर्क करें –http://www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/youth.htm

महाद्वीपों के इर्द–गिर्द

A REGULAR REVIEW OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION AND ILO-RELATED ACTIVITIES AND EVENTS TAKING PLACE AROUND THE WORLD

अमरीकन देशों के विकास में उत्कृष्ट श्रम निर्णायक

■ अमरीकी राश्ट्र संगठन (ऑर्गनाइज़ ान ऑव अमेरिकन स्टेट्स–ओएएस्) के सदस्य दे ाों के श्रम मंत्रियों ने अपने 11–13 सितंबर को आयोजित 15वें सम्मेलन में पोर्ट ऑव स्पेन घोशणा, 2007 – जिसके अनुसार इन दे ाों के 'सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उत्कृश्ट श्रम की केन्द्रिय भूमिका है' को कार्ययोजना सहित अपनाया। इस अवसर पर ओएएस् महासचिव मोज़े मिग्युएल इन्सुल्या तथा आइएल्ओ महा–निदे ाक हुआन सोमाविया ने ओएएस् तथा आइएल्ओ के बीच सहयोग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये।

प्रारम्भिक सत्र में श्री सोमाविया ने ओएएस् तथा आइएल्ओ के बीच बढ़ते सहयोग, जो उत्कृश्ट श्रम अजेंडा पर आधारित है तथा इस अजेन्डे को उच्चतम राजनीतिक स्तरों पर अपनाये जाने में श्रम मंत्रियों और नियोक्ता एवं श्रमिक संगठनों की भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने भावी कार्रवाई के लिए पांच वरीयता क्षेत्रों की पहचान की – राज्य, बाज़ार तथा समाज के बीच संतुलन क़ायम करना; सामाजिक सुरक्षा का एक निम्नतम स्तर इतना दृढ़ करना कि कोई भी नागरिक उसके नीचे न जाने पाये; युवा बेरोज़गारी तथा अनि चित रोज़गार के ख़िलाफ़ संघर्श; जलवायु परिवर्तन तथा रोज़गार पर एक सक्रिय नीति अपनाना; तथा सामाजिक संवाद को लोकतन्त्र, स्थिरता तथा विकास के साधन के रूप में सुदृढ़ बनाना।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें – आइएल्ओ क्षेत्रीय कार्यालय, लातीनी अमरीका तथा द कैरिबियन,
फ़ोन :+511 6150300;
फ़ैक्स : +511 6150400 या
ईमेल करें : oit@oit.org.pe

© M. Crozet/ILO

© D. Riunaud/ILO

© ILO PHOTO

ढांचागत कार्यक्रमों द्वारा रोज़गार को बढ़ावा

डर्बन, दक्षिण अफ़्रीका, में 8–12 अक्तूबर, 2007, को श्रम आधारित व्यवसायियों की 12वीं क्षेत्रीय वार्शिक गोश्ठी आयोजित की गयी। 'सरकारी नीतियों में रोज़गार तथा ढांचागत कार्यक्रमों में 'निवे ा को वरीयता' विशय पर आधारित गोश्ठी में विकास के उन मुद्दों पर वि ोश ध्यान दिया गया जो रोज़गार सृजन पर निवे ा तथा सरकारी कार्यक्रमों के प्रभाव को बढ़ाते हैं।

12वीं क्षेत्रीय गोश्ठी ने तीन ठोस कार्यक्षेत्रों में रोज़गार, निवे ा तथा आधारभूत संरचना में विकासवादी तथा राजनीतिक वचनबद्धता के बीच संबंध कायम करने का अवसर दिया; ये तीन कार्यक्षेत्र हैं : रोज़गार सृजन पर निवे ा नीतियों तथा सरकारी कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना; उत्पादक तथा उच्च–स्तरीय आधारभूत संरचना विकास के ज़रिए सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी आय गारंटी तथा रोज़गार सृजन को आपस में जोड़ना; तथा रोज़गार सृजन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के लिए नये प्रयास करना – जैसे लघु घरेलू उद्योगों का विकास प्रोत्साहित करना तथा उन उद्यमों की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों में रोज़गार सृजन के समावे ा हेतु प्रयत्न करना जो प्रत्यक्ष विदे ाी निवे ा प्रदान करते या प्राप्त करत हैं।

क्षेत्रीय गोश्ठी में, जो दो वर्शों में एक बार आयोजित की जाती है, जब व्यवसायी, योजना एवं नीति निर्माता, अनुसंधानकर्ता, दानकर्ता तथा विकास साझेदार – तथा अफ़्रीका और अन्य क्षेत्रों से वे सभी जो आधारभूत संरचनाओं के विकास में लगे हैं – एक मंच पर एकत्र होते हैं – तथा आधारभूत संरचनाओं की प्राप्ति हेतु गहन–रोज़गार विधियों के उपयोग में उन्नति पर चर्चा करते हैं और अपने अनुभवों तथा विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। 12वीं क्षेत्रीय गोश्ठी में 27 से भी अधिक दे ाों के 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

गोश्ठी के दौरान एक मंत्री–स्तरीय बैठक भी आयोजित की गयी, जिसमें अंगोला, बॉट्स्वाना, कीन्या, लसोथो, मलावी, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ़्रीका, स्वाज़ीलैंड तन्ज़ानिया, ज़ैम्बिया तथा ज़िम्बाब्वे के लोक निर्माण तथा श्रम मंत्रालय के 12 मंत्रियों ने भाग लिया तथा उत्कृश्ट एवं उत्पादक रोज़गार के अवसर पैदा करने में आधारभूत संरचनाओं तथा सेवाओं के सामर्थ्य तथा उसके निर्धनता उन्मूलन, सामाजिक संबद्धता तथा राजनीतिक स्थायित्व पर प्रभाव का वि लेशण किया। बैठक के बाद मंत्रियों ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने आधारभूत संरचनाओं तथा सेवाएं प्रदान करने में रोज़गार सृजन को अपना सहयोग देने की वचनबद्धता दोहराई।

अधिक जानकारी के लिए देखें :

नये प्रकाशन

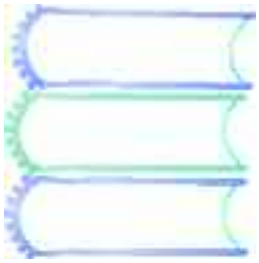

■ **सूक्ष्म वित्त तथा सार्वजनिक नीति : निष्पादन, कार्यक्षमता (माइक्रोफ़िनैंस ऐंड पब्लिक पॉलिसी :आइट्रीच, पर्फ़ॉर्मेंस, इफ़िषन्सी)**

बर्न्ट बाल्केनहोल (संप.)

आइएसबीएन् 978–92–2–119347–0 आइएल्ओ, जेनेवा, 2007। पैलग्रेव मैकमिलन सह प्रकाषन। मूल्य : 90 डॉलर (अ); 55 पाउंड; 80 यूरो; 115 स्विस फ़्रैंक।

यह पुस्तक सूक्ष्म वित्त के निश्पादन तथा उसकी धारणीयता पर चल रही परिचर्चा में बहुमूल्य योगदान देता है। यह अंक वित्तीय अंतरमध्यस्थता में कार्यक्षमता की धारणा, उसे मापने के तरीक़े तथा उसे उन्नत करने हेतु सार्वजनिक नीति निर्माण की जांच करती है। इसका तर्क है कि सार्वजनिक नीति में ऐसी कार्यक्षमता को जो वित्तीय निश्पादन तथा सामाजिक प्रभाव के विभिन्न संयोजनों के साथ निपट सके सर्वोच्च मापदण्ड बनाना चाहिए।

पुस्तक के अनुसार ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें लघु वित्त संस्थाएं (माइक्रोफ़िनैंस इन्स्टीट्यूषन्ज़ – एम्एफ़आइज़) अपने परिमाप बढ़ा सकती हैं तथा दोनों उद्देष्य – कुषल वित्तीय निश्पादन तथा सार्थक सामाजिक प्रभाव – एकसाथ प्राप्त कर सकती हैं, परन्तु अन्य बाज़ार समाकृतियां विद्यमान हैं जिनमें किसी संस्था के कार्यों को कितनी भी कुषलता से चलाया लाये, उसके लिए हानि से बचना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवष्य है। ऐसी स्थिति विषेशकर ग्रामीण, दूर–दराज के तथा बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रो में पैदा हो सकती है। इस तर्क के समर्थन में विष्वभर की 45 एम्एफ़आइज़ के कार्य का अनुभव आधारित विष्लेशण प्रस्तुत किया गया है।

■ **वैष्वीकरण पर श्रमिक संघों की प्रतिक्रिया : वैष्विक संघ अनुसंधान नेट्वर्क द्वारा समीक्षा (ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्सिज़ टु ग्लोबलाइज़ेषन : अ रिव्यू बाइ द ग्लोबल यूनियन रिसर्च नेट्वर्क)**

वेरेना ष्मिट

आइएसबीएन् 978–92–2–119860–4। आइएल्ओ, जेनेवा, 2007। मूल्य : 24.95 डॉलर (अ); 14.95 पाउंड; 20 यूरो; 30 स्विस फ़्रैंक।

यह पुस्तक जिसमें वैश्विक संघ अनुसंधान नेट्वर्क (गर्न) के कुछ राष्ट्रीय तथा अंतरराश्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा तैयार दस्तावेज एकत्र किये गये हैं, वैष्वीकरण के सम्मुख विष्वभर के श्रमिक संघों की प्रतिक्रियाओं का मूल्यवान सिहांवलोकन उपलब्ध कराती है।

इसमें कोलम्बिया, पोलैंड, ब्रिटेन, तुर्की ब्राज़ील, बुल्गारिया, कैरिबियन, दक्षिण तथा पूर्वी अफ़्रीका में सफलतापूर्वक अपनायी गयी रणनीतियों का विवरण है। सर्वोपरि, यह पुस्तक दर्शाती है कि किस तरह श्रमिक संघ यथोचित वैश्वीकरण पर निर्णायक असर डाल सकते हैं, और इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

इस पुस्तक के बारे में देखें पृष्ठ 36 पर

■ **अक्षम व्यक्तियों का उत्कृश्ट श्रम हेतु अधिकार**

आर्थर ओ रेली (द राइट टु डीसेन्ट वर्क ऑव पर्सन्ज़ विद डिसअबिलिटीज़)

आइएसबीएन् 978–92–2–120144–1 आइएल्ओ, जेनेवा, 2007। मूल्य : 22.95 डॉलर (अ); 12.95 पाउंड; 20 यूरो; 30 स्विस फ़्रैंक।

विषेशकर रोज़गार तथा श्रम को ध्यान में रखते हुए, यह पुस्तक ऐसे कार्यों की ओर ध्यान दिलाती है जो अपंग व्यक्ति कर सकते हैं – जैसे खुला/प्रतिस्पर्धात्मक रोज़गार, आश्रित, अवलंबित रोज़गार, सामाजिक उद्यम – तथा इन सभी श्रेणियों में प्रवृत्तियों एवं समस्याओं की जांच करती है। पुस्तक में उन मुख्य विधियों की भी चर्चा है जो अपंग लोगों को रोज़गार प्राप्त करने, उसे जारी रखने तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देने हेतु राश्ट्रीय स्तर पर अपनायी गयी हैं, जिनमें क़ानून निर्माण, रोज़गार सेवाएं एवं प्रषिक्षण, विकलांगता प्रबंधन, वित्तीय, तकनीकी तथा व्यक्तिगत सहयोग, एवं प्रेरणा षामिल हैं। प्रमुख शब्दों की परिभाशा की उपयोगी सूची के आलावा पुस्तक अपंग व्यक्तियों के अधिकारों, पर यूएन् समझौते (2006) तथा श्रम एवं रोज़गार पर उसके प्रावधानों को लागू करने हेतु एक भावी कार्रवाई अजेन्डा भी प्रस्तावित करती है।

■ **महिला श्रमिकों के अधिकारों तथा लैंगिक समानता का क ख ग (एबीसी ऑव विमिन वर्कर्स राइट्स ऐन्ड जेन्डर इक्वॉलिटी)**

दूसरा संस्करण

आइएसबीएन् 978–92–2–119622–8। आइएल्ओ, जेनेवा, 2007। मूल्य : 22.95 डॉलर (अ); 12.95 पाउंड; 20 यूरो; 30 स्विस फ़्रैंक।

आइएल्ओ के समझौतों तथा संस्तुतियों पर आधारित यह संषोधित तथा विस्तारित प्रवेषिका राज्यों तथा नियोक्ताओं के श्रम की दुनिया में लैंगिक समानता से संबंधित दायित्वों तथा श्रमिकों के अधिकारों पर केंद्रित है। श्रमिक आमतौर पर इन मानकों से मिलने वाले अधिकारों से अपरिचित होते हैं। यह अधिकाधिक माना जा रहा है कि यही अनभिज्ञता इन अधिकारों के प्रभावी उपभोग में एक मुख्य बाधा है। पुस्तक में महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है। प्रविश्ठियों में षामिल हैं यौन षोशण, विकास में महिलाएं, अंषकालिक श्रम तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व। ऐसे मुद्दे भी उठाये गये हैं जो महिला तथा पुरुश श्रमिकों, दोनों से संबंधित हैं, जैसे श्रम में मौलिक सिद्धांत तथा अधिकार, वैष्वीकरण, निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र। कार्यान्वयन तन्त्रों एवं प्रक्रियाओं – जिनकी व्यक्तिगत अधिकारों का उपभोग सुनिष्चित करने में निर्णायक भूमिका है – तथा उपायों एवं दंडों की भी चर्चा की गयी है। अत्यन्त सरल ढंग से लिखी गयी यह प्रवेषिका श्रम तथा लैंगिक समानता के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता एवं क़ानूनी ज्ञान का स्तर ऊंचा करने का एक अत्यावष्यक साधन है।

■ **श्रम सांख्यिकी अब्दकोश (यिअरबुक ऑव लेबर स्टैटिस्टिक्स), 2007, 66वां संस्करण**

जिल्द 1, समय श्रृंखला

आइएसबीएन् 978–92–2–020176–3। आइएल्ओ, जेनेवा, 2007। मूल्य : 235 डॉलर (अ); 140 पाउंड; 195 यूरो; 290 स्विस फ़्रैंक। त्रिभाशीय – इंग्लिष/फ़्रेंच/स्पैनिष

'द यिअरबुक ऑव लेबर स्टैटिस्टिक्स', 1935–36 के अपने प्रथम संस्करण से ही श्रम मुद्दों पर विष्व की अग्रतम संदर्भ पुस्तक बन गयी है, जिसमें करीब 190 देषों के व्यापक आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़े व्यवस्थित रूप से दर्ज किये गये हैं।

जहां भी संभव है, आंकड़े निम्नलिखित अन्तरराश्ट्रीय मानक वर्गीकरणों के नवीनतम विवरणों के आधार पर प्रकाषित किये जाते हैं : अंतरराश्ट्रीय आर्थिक–औद्योगिक मानक वर्गीकरण (इन्टर्नैषनल स्टैन्डर्ड इन्डस्ट्रियल क्लासिफ़िकेषन ऑव ऑल इकनॉमिक ऐक्टिविटीज़ – आइएस्आइसी), संषोधन 3; अंतरराश्ट्रीय व्यावसायिक मानक वर्गीकरण (इन्टर्नैषनल स्टैन्डर्ड क्लासिफ़िकेषन ऑव ऑक्युपेषन्ज़ – आइएस्ओ 88); अंतरराश्ट्रीय रोज़गार स्तर वर्गीकरण (इन्टर्नैषनल क्लासिफ़िकेषन ऑव स्टेटस इन इम्प्लॉएमन्ट – आइसीएसई–93) तथा अंतरराश्ट्रीय षिक्षा मानक वर्गीकरण (इन्टर्नैषनल स्टैन्डर्ड क्लासिफ़िकेषन ऑव एड्यूकेषन – आइएस्सीईडी), 1976।

■ **वर्ष 2007 में नौ मुख्य अध्याय तथा 31 सारणियां हैं, ये नौ अध्याय आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या, रोज़गार, बेरोज़गारी, काम के घंटों, मज़दूरी, श्रम लागत, उपभोक्ता मूल्यों, व्यावसायिक घटनाओं तथा हड़तालों व तालाबंदियों पर हैं।**

जिल्द 2 : देषों की रूपरेखा

आइएसबीएन् 978–92–2–020177–0। आइएल्ओ, जेनेवा, 2007। मूल्य : 160 डॉलर (अ); 90 पाउंड; 130 यूरो; 200 स्विस फ़्रैंक। त्रिभाशीय – इंग्लिष/फ़्रेंच/स्पैनिष

'श्रम सांख्यिकी अब्दकोश : देषों की रूपरेखा'

190 से अधिक देषों तथा क्षेत्रों की आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या, रोज़गार, बेरोज़गारी, काम के घंटों, मज़दूरी, श्रम लागत, उपभोक्ता मूल्यों, व्यावसायिक घटनाओं तथा हड़तालों व तालाबंदियों पर नवीनतम आंकड़े एक नये रूप में उपलब्ध कराता है। (बिना समय श्रृंखला के) साथ ही इसमें आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी, रोज़गार और बेरोज़गारी के वैष्विक तथा क्षेत्रीय अनुमान भी षामिल हैं।

■ **श्रम बाज़ार के प्रमुख संकेतक (की इन्डिकेटर्स ऑव द लेबर मार्केट– केआइएल्एम्) पांचवां संस्करण**

आइएसबीएन् 978–92–2–120125–0। आइएल्ओ, जेनेवा, 2007। मूल्य : 200 डॉलर (अ); 135 पाउंड; 180 यूरो; 275 स्विस फ़्रैंक। सीडी–रोम सहित, त्रिभाशीय – इंग्लिष/फ़्रेंच/स्पैनिष

यह बहुमूल्य, व्यापक संदर्भ साधन तेज़ी से बदलती श्रम की दुनिया पर समयोचित, सटीक तथा अभिगम्य जानकारी की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करता है तथा आम उपभोक्ता को विष्व के श्रम बाज़ारों पर आंकड़े सरलता से और तत्काल उपलब्ध कराता है।

अंतरराश्ट्रीय डेटा भंडारों, तथा क्षेत्रीय एवं राश्ट्रीय सांख्यिकी स्रोतों से एकत्रित की गयी विषाल जानकारी के आधार पर यह महत्वपूर्ण संदर्भ साधन वर्श 1980 से लेकर आज तक के 200 से भी अधिक देषों के डेटा उपलब्ध कराता है। श्रम बल, रोज़गार, अल्परोज़गार, कार्यबल के पैक्षिक स्तर, मज़दूरी तथा मुआवज़ा, उत्पादकता तथा श्रम लागत, रोज़गार लचीलापन, तथा ग़रीबी पर सांख्यिकी का उपयोग करते हुए यह सॉफ़्टवेयर उपभोक्ताओं को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराता है। 'किल्म' वे सब आधारभूत आंकड़े सम्मिलित करता है, जिनके द्वारा 20 मुख्य बाज़ार संकेतकों का परिकलन किया जाता है। ये आंकड़े षोधकर्ताओं को विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं तथा क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक सिद्ध होंगे।

'किल्म' के पांचवे संस्करण के साथ संबद्ध जानकारी षीघ्रता तथा सरलता से ढूंढने के लिए एक 'अन्तरक्रियात्मक' सॉफ़्टवेयर भी उपलब्ध है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम समीक्षा अंक 146 (2007), संख्या 3–4

■ श्रम क़ानून का विकास : नियामत व्यवस्थाओं का आंकलन, उनकी तुलना

एक ऐसे नये डेटा, समूह का इस्तेमाल करते हुए जो समय के साथ क़ानून में बदलाव मापता है, साइमेन डीकिन, प्रिया लेले तथा मेथियस सिएम्स जर्मनी, फ़्रांस, भारत, ब्रिटेन तथा अमरीका में श्रम क़ानून के विकास पर प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उनका विप्लेशण इस दावे पर रोषनी डालता है कि 'क़ानूनी उत्पत्ति' श्रम क़ानून व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। यद्यपि सामान्य विधि अपनाने वाले देषों तथा उन देषों के बीच जहां वैधानिक क़ानून लागू होता है सामूहिक स्तर पर विचलन पाया जाता है, तथापि जहां तक श्रम क़ानून के विषेश क्षेत्रों का प्रष्न है, एक अधिक जटिल स्थिति दृश्टि में आती है। उन ताकतों को समझने के लिए जो श्रम क़ानून के विकास को रूप देती हैं, लेखक माप–आधारित इस अपेक्षाकृत नयी पद्धति की क्षमता पर चर्चा करते हैं।

■ उभरते संघ–पष्च श्रम बाज़ार में 'इज़ारेदारी'

वैष्वीकरण के संदर्भ में विष्वभर के नियोक्ता कैसे श्रम की बढ़ती कमी महसूस कर सकते हैं? विस्तृत होती हुई अर्थव्यवस्था में मज़दूरी क्यों नहीं बढ़ायी जाती? क्रिस्टोफ़र एल. एरिक्सन तथा डैनियल जे.बी. मिषेल तर्क देते हैं कि संघों की षक्ति कम होने की वजह से नियोक्ताओं के हाथ मज़बूत हो गये हैं और वे उसी तरह मज़दूरी तथा रोज़गार की अन्य स्थितियां निष्चित करते हैं, जिस तरह वे एकाधिकार वाले श्रम बाज़ार में करें। मांग–आपूर्ति का आदर्ष स्पर्धात्मक प्रतिमान अस्वीकार करते हुए, लेखक कहते हैं कि सौदाकारी में विस्तृत असन्तुलन विद्यमान है। बृहत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा षक्तिषाली निश्पादन के अवांछनीय परिणामों – जैसे मज़दूरी में असमानता तथा श्रमिकों के अधिकारों में कमी से जूझने के वास्ते श्रमिकों की आवाज़ को पुनः स्थापित करने की आवष्यकता है।

■ काम का अधिकार : मानव अधिकारों तथा रोज़गार नीति को जोड़ना

गी मुंडलक का लेख मानव अधिकारों पर ज़ोर देने के विभिन्न स्पश्टीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है तथा श्रम बाज़ार के नियन्त्रण में उठने वाले मुद्दों को इस अधिकार के विकास में एक रुकावट क़रार देता है। इन मुद्दों से निपटने हेतु मानव अधिकारों तथा रोज़गार नीति के विशम दृश्टिकोणों सहित ढांचों – 'आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति की साधारण टिप्पणी' 'यूरोपियन रोज़गार रणनीति' – की यह लेख तुलना करता है। यद्यपि ये दृश्टिकोण स्वाभाविक मित्र नहीं हैं, तथापि वे एक–दूसरे के पूरक हो सकते हैं तथा एक ऐसे संस्थागत तन्त्र का निर्माण कर सकते हैं जिसमें काम के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

■ असतत बाल श्रम तथा बाल श्रम अनुमानों में उसके निहितार्थ

ब्राज़ील के षहरी इलाकों से व्यापक डेटा इस्तेमाल करते हुए डेबोरा लोविसन, जैस्पर हॉक, डेविड लैस तथा सुज़ैन डूर्या ने 80 तथा 90 के दषकों में 10–16 वर्श के हज़ारों बच्चों द्वारा चार महीनों के दौरान रोज़गार परिमाणों की जांच की। उन बच्चों का अनुपात जिन्होंने चार महीनों की अवधि में किसी भी समय काम किया था, कहीं अधिक था बनिस्पत उन बच्चों के जो किसी भी एक महीने में काम करते पाये गये थे। लेखक इस निश्कर्श पर पहुंचे हैं कि असतत रोज़गार बाल श्रम की एक महत्वपूर्ण विषिश्टता है जिसका संज्ञान बाल श्रम के विस्तार का अनुमान लगाने तथा बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए अत्यावष्यक है।

■ यूरोपियन रोज़गार परिमाणों में बदलाव हेतु दबाव

'राश्ट्रीय रोज़गार परिमाण' का अर्थ है वे संस्थाएं जो विभिन्न देषों में श्रम आपूर्ति, उपयोग तथा मांग निर्धारित करती हैं। इन प्रतिमानों के वर्तमान रूपों पर आधारित यह लेख उनके कार्यों तथा बदलाव हेतु दबावों का प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता का अन्वेशण करता है। यह विभिन्न प्रतिमानों द्वारा उत्पाद बाज़ार की नियममुक्ति तथा महिलाओं एवं प्रौढ़ श्रमिकों की बढ़ती रोज़गार दरों को देखते हुए उत्कृश्ट श्रम स्थितियां कायम रखने के प्रयासों की तुलना करता है। अन्त में, गेर्हार्ड बाष, जिल रूबरी स्टेफ़ेन लेह्नडार्फ़ कहते हैं कि यूरोपियन देषों के लिए अपने रोज़गार प्रतिमान भीतर से सुधारना अधिकाधिक कठिन हो रहा है। इन लेखकों की दलील है कि यूरोपियन स्तर पर सकारात्मक एकीकरण नीतियों पर अधिक बल देना चाहिए।

■ लातीनी अमरीका में अनौपचारिकता, राज्य तथा सामाजिक समझौता : एक प्रारम्भिक अन्वेशण

जेम सावेद्रा तथा मारियआनो तोमासी के अनुसार लातीनी अमरीका में अनौपचारिकता व्यक्तियों तथा राज्य के बीच संबंधों की दुश्क्रियता, तथा राज्य द्वारा पुनर्आपूर्ति एवं सार्वजनिक सुविधाओं तथा सेवाओं की उपलब्धि पर अपर्याप्त ध्यान का प्रतिबिम्ब है। इसके परिणाम हैं सामाजिक सुरक्षा हेतु योगदान की नीची दरें तथा उसकी सीमित पहुंच; व्यापक कर वंचन और श्रम एवं व्यापार नियमों का उल्लंघन; तथा कर संग्रह, क़ानून कार्यान्वयन एवं राज्य में भरोसे के निम्न स्तर। लेखकों के अनुसार, इन देषों के लिए चुनौती है – अपनी–अपनी विषेश पृश्ठभूमि एवं वर्तमान सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए – यथार्थवादी घरेलू आम राय द्वारा समर्थित अधिक अन्तर्वेषनीय सामाजिक समझौतों का निर्माण करना।

ब्रिकी के लिए आइएल्ओ के प्रका ान बड़े पुस्तक विक्रेताओं या विभिन्न दे ाों में स्थित आइएल्ओ के स्थानीय कार्यालयों या सीधे आइएल्ओ थियेटर कोर्ट, तीसरी मंज़िल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नयी दिल्ली–110 003 से प्राप्त किये जा सकते हैं। दूरभाषः 24602101, 2462102, फैक्सः 24602111, ई–मेलः delhi@ilo.del.org

WILEY-BLACKWELL

International Labour Organization

International Labour Review
Revue internationale du Travail
Revista Internacional del Trabajo

No. 61, December 2007

Editors

Mark Lansky *(English edition/Managing Editor)*
Patrick Rolle *(Edition française)*
Luis Lázaro Martínez *(Edición española)*

Editorial Board

Adrián Goldin *(University of San Andrés, Buenos Aires)*
Paul Osterman *(M.I.T. Sloan School of Management, Cambridge, MA)*
Trilok Singh Papola *(Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, and Indian Society for Labour Economics)*
Gerry Rodgers *(International Institute for Labour Studies, Geneva)*
Raymond Torres *(International Institute for Labour Studies, Geneva)*

- **Multidisciplinary** research in labour markets and economics
- **Rigorous** articles of the highest scholarly standards offering global coverage
- **Wide readership** in academia, the public sector and NGOs
- **International:** English, French and Spanish editions
- **Established** by the ILO in 1921; now led by top independent academics

For further information, please visit:

English edition: www.blackwellpublishing.com/ilr
French edition: www.blackwellpublishing.com/ritf
Spanish edition: www.blackwellpublishing.com/rite